राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का ४७ वां दिवस [संख्या ३६

शुक्रवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६६.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, वन, राजस्व, गृह, श्रम अकाल सहायता सामान्य प्रशासन, आयुर्वेद, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सिंचाई विभाग]

प्रश्न संख्या ६५५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५६

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जौधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५७

श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

मृत्यु सम्बन्धी जांच के परिणाम

६५८. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छावड़ा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि श्रीमती उमराव देवी की मृत्यु सरदारशहर में अपने ससुराल में ४ जून, १९६५ को हुई ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त मृत्यु के बाबत पुलिस में रिपोर्ट श्रीमती उमराव देवी के पिता श्री सम्पतरामजी ने की ?

(३) क्या पुलिस द्वारा सम्बन्धित मामले की जांच हुई, ?

(४) यदि हां, तो जांच से क्या साबित हुआ और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) तफतीश चालू है। अब तक की तफतीश में किसी के विरूद्ध काबिल गिरफतारी वजूद नहीं मिला है।

Page No. 2

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या लाश का पोस्टमॉर्टम हुआ था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट है, काज ऑफ डेथ में माल न्यूट्रेशन, अपोषिकता, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ वास्टिंग कृशता, हीट एग्जोर्शन गर्मी का बढ़ना।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : सुना नहीं क्या कहा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मालन्यूट्रेशन एक्स्ट्रीम डिग्री ऑफ वास्टिंग...

श्री भैरोंसिह : समझ में नहीं आ रहा है, डेथ के आपने क्या कारण बता दिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बताया कि पोस्टमॉर्टम करने के बाद डाक्टर ने जो मौत का कारण बताया है वह है माल-न्यूट्रेशन, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ वास्टिंग एण्ड हीट एग्जोशर्न। इन तीनों की वजह से मौत हुई है।

श्री भैरोंसिह : फिर जांच किस बात की जा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मौत के कारण की।

श्री भैरोंसिह : मौत के जो कारण बताए गए हैं क्या उनसे कोई ओफेंस बनता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओफेंस इसके कारण नहीं बनता है। यही प्रश्न विवाद ग्रस्त है कि पोस्ट-मार्टम भी हुआ है या नहीं डाक्टर ने इसे अपोषिकता कृशता और गर्मी का बढ़ना बताया है और इनके कारण नेचरल डेथ हुई है।

श्री भैरोंसिह : यह उसके रिश्तेदारों ने मान लिया कि मौत इन्हीं कारणों से हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिश्तेदार उसका विरोध करते हैं। यह पोस्टमार्टम गलत है, वह विश्वास नहीं करते।

श्री भैरोंसिह : रिश्तेदारों ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत बताया है तो इस मौत के कारण को जानने के लिए और कोई मौजूं कार्यवाही की गई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मौत का कारण चूंकि लाश जल चुकी है इसलिए कारण तो उसके साथ समाप्त हो गया, लेकिन उसकी जांच की गई सर्किल इन्सपेक्टर इन्टेलिजेन्स के मार्फत कि दरअसल में यह मौत अपराध में है या बिना अपराध में। तो उस रिपोर्ट के आधार पर इस पर सस्पीशन हुआ है कि सम्भवतः यह मौत के जो डाक्टर ने बतलाये हैं कारण उन कारणों से हुई प्रतीत नहीं होती है। ऐसा नतीजा हमारी एन्क्वायरी से निकला है।

श्री भैरोंसिह : तो जब आप इस नतीजे पर पहुंचे तो उस डाक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर मेडीकल एक्सपर्ट्स से कोई ओपीनियन ली है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेडीकल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन इस रिपोर्ट के

Page No. 3

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सम्बन्ध में अभी अवशेष है। अवशेष इसलिए है कि एस० एच० ओ० और जो मेडीकल आफिसर ने जांच की है उसका एप्लीकेशन अपर्याप्त है। ऐसी सूरत में सारी जो शहादतें इकट्ठी की गई थीं उनका विश्लेषण किया जा रहा है और किसी नतीजे पर आते जब डी० ई० का प्रश्न उपस्थित हो जायेगा तब इस प्रश्न को भी ले लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें डी० ई० का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सबसे मोटा यह है कि माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो मौत के कारण बताये गये हैं वह पुलिस की इन्वेस्टीगेशन से सही नहीं मालूम होते है, तो यह डाक्टर के खिलाफ हो गई उस सम्बन्ध में मौत के कारण क्या हो सकते है तो पोस्टमार्टम में जो सारे आइटम्स होते हैं कि उस वक्त ब्लड कैसा था आदि इन सब बातों पर मेडीकल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन एक्सप्रेस करा ली या राय मांगी है क्या ? क्या आपने कोई मेडीकल बोर्ड बैठाया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो डेटाज हैं और ओपीनियन है इसमें दिये कारण मुलाहिजा करें मेल न्यूट्रीशन, एक्स्ट्रीम डिग्री आफ वास्टिंग और हीट एग्जार्षशन। यह तीनों प्रश्न ऐसे हैं—डाक्टर तो कह कर चला गया कि किस आधार पर मौत हुई। अब अगर मेडीकल बोर्ड बैठाया जाय तो इस आधार पर ही और मेडीकल बोर्ड इसी ओपीनियन पर जा सकता है कि कत्ल हुआ नहीं और वही कह सकता है जो कि डाक्टर ने कहा कि नेचुरल कोर्स में हो गई ?

श्री भैरोंसिंह : पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो यह दिया जाता है कि बोडी के अन्दर ब्लड कहां था, बेलो का सारा विसरा लिया जाता है उसके आधार पर मेडीकल बोर्ड अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस करता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह भी खामी है कि विसरा उस डाक्टर ने नहीं रखी। बोडी जैसा कि उसको कहते हैं कि खोलो गई तो खोले जाने के बाद उसका जो विसरा है वह रिजर्व किया जाना चाहिये। मगर प्रश्न यह उठता है कि कत्ल है या जहर दिया गया तो यह सब इम्पार्टेन्ट एवीडेन्स हैं। इस डाक्टर ने उस एवीडेन्स को नहीं रखा और लाश को जला दिया और ये तीन बातें कह कर छुटकारा पा लिया इसलिए विसरा कायम रखना चाहिए था। मेडीकल ओपीनियन यह प्रमाणित कर दे कि डाक्टर ने मिसगाइड किया है पोस्ट मार्टम में। वह चेष्टा की गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पोस्ट मार्टम के कालम्स भरे नहीं क्या ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह सही है कि सबइन्सपेक्टर श्री यादव ने जांच की और जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि पोस्ट मार्टम नहीं हुआ ? यह मेरे पास रिपोर्ट है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, वह कुछ अंश में ठीक है, क्योंकि

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

इनके रिश्तेदार हैं मुतवफ्फी के उनकी शहादत से यह भी प्रमाणित हुआ है कि दरअसल पोस्टमार्टम नहीं हुआ और डाक्टर ने पोस्ट-मार्टम न करते हुए यह कह दिया कि पोस्ट-मार्टम कर दिया। यह भी प्रश्न विवादास्पद चल रहा है। एक फैक्ट ग्राफ एवीडेन्स यह है कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं। डाक्टर ने रेडियाजी नाम के एक सेठ हैं उनको ही अपने साथ रखा। रेडियाजी ने कहा है कि पोस्टमार्टम हो गया है इस शहादत के आधार पर यह कहते हैं। सी० ग्राई० इस नतीजे पर पहुँचा है कि दरअसल में इनके कहने में संदेह है कि पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं।

महाराज श्री हुक्मसिंह (जैसलमेर) : क्या यह आवश्यक नहीं है पोस्टमार्टम के बाद विसरा प्रिजर्व किया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आवश्यक है। अगर सस्पीशस सरकम्सटान्सेज में डाक्टर इस नतीजे पर पहुँचता है कि मौत हुई है तो उसका यह कर्त्तव्य है कि बिसरा रखे, और मेरी मान्यता में भी जहां कि इतनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं उस वक्त भी आवश्यक था और विसरा को प्रिजर्व रखना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक उस डाक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिस डाक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में संदेह हो कि पोस्टमार्टम किया या नहीं ? आपको संदेह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एन्ट्रीज की गई हैं वे जेन्युइन हैं। आपको इस बात का संदेह है कि पुलिस अधिकारी यह कह कर चलते हैं कि मौत के कारणों को गलत लिखा है। दोनों कारण डाक्टर के खिलाफ एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस डाक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एफ० आई० आर० नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी मर गया और आप मजाक कर रहे हैं। जून के अन्दर एक लड़की मर जाती है। उसका पोस्टमार्टम गलत होता है। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट करते हैं कि पोस्टमार्टम गलत हुआ है, और केवल एक रेडिया जो को साथ लेकर वह करता है जो रेडियाजी डिप्टी मिनिस्टर के साथी हैं उनको लेकर करता है तो उस मर्डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब मैं अर्ज कर देता हूँ फिर आक्रोश करते हैं तो सही होता ...

श्री भैरोंसिंह : आक्रोश करने का सवाल नहीं है, आप एक की जिन्दगी से खेल रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तफतीश में एस० एच० ओ० को साथ लिया गया है, नम्बर एक। (२) सी० आई० डी० को साथ दिया है। उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। (३) डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस इसका इन्वेस्टीगेशन पुनः कर रहे हैं। इस इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट आ जाने पर डाक्टर के विरुद्ध और एस० एच० ओ० के खिलाफ अपराधी जैसी स्थिति इसमें पैदा हुई तो

Page No. 5

कार्यवाही निश्चित रूप से अधिक से अधिक जो हो सकती है वह की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक वे एस० एच० ओ० और डाक्टर कहां हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस० एच० ओ० और डाक्टर सरदार शहर में ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार का आरोप है माननीय मंत्री महोदय उनको साफ नहीं कहते। उनका ट्रान्सफर भी नहीं किया जाता है। उन्हें वहां इसलिए रखा गया है कि मामले को दबाया जा सके और मौत को हजम कराया जाये और सरकार उनका समर्थन करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ट्रान्सफर का जहां तक सवाल है अगर वह नहीं हुआ है तो कर दिया जायेगा एस० एच० ओ० का।

श्री भैरोंसिंह : डाक्टर का ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हम लिख देंगे कि इस स्थिति में ट्रान्सफर कर दिया जाय। ये साधारण प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न यह है कि इनको सजा दी जाये।

श्री भैरोंसिंह : डाक्टर का ट्रान्सफर आपने क्यों नहीं किया ? जिस डाक्टर के बारे में इस प्रकार का संदेह है उसका ट्रान्सफर करते, उसको सस्पेन्ड करते....

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों का हो चुका है डाक्टर और एस. एच. ओ. का।

श्री भैरोंसिंह : कब हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके बाद हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है। ऐसी स्थिति में जो मर गये उनकी मौत के बारे में तथ्यों को डाक्टर और पुलिस के अधिकारी ये दोनों मिलकर छिपाने की कोशिश करते हैं और सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार उसकी जांच में लाएतलाली कर रही है।

श्री अध्यक्ष : सरकार लाएतलाली कर रही है, ऐसा मंत्री महोदय की बात से पता नहीं चलता है।

श्री भैरोंसिंह : एक साल हो गया मर्डर किये हुए। उस मर्डर को छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मर्डर को छिपाया जा रहा है। जिस डाक्टर ने मर्डर को छिपाने की कोशिश की है...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस जांच कर रहे हैं और सारे मामले उनकी जानकारी में हैं। जो अधिकारी वहां रह रहा है उसके लिए उन्होंने आश्वासन दे दिया कि नहीं रहेगा। अगर उसका ट्रान्सफर नहीं हुआ है तो वह हो जायगा। मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा सरकार और क्या कर सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं विश्वास दिलाता हूँ कि १५ दिन के अन्दर डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट की रिपोर्ट जितनी भी है उसके

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आ जाने के बाद एस. एच. ओ. के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम लिया जायेगा, और डाक्टर के सम्बन्ध में सम्बन्धित डिपार्टमेंट को हमारी मान्यताएं और निर्णय जो कुछ भी निकलते हैं उससे आगाह कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री को बन्द करने का नोटिस

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या श्रम मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री के मालिकों ने फैक्ट्री को बन्द करने का नोटिस कब दिया ? कृपया नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या उक्त फैक्ट्री की यूनियन की ओर से कोई रिप्रेजेन्टेशन नोटिस के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ ? अगर हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि यूनियन का प्रतिनिधि-मंडल मुख्य मंत्री व श्रम मंत्री से मिला था ? अगर हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि यूनियन ने नोटिस देकर भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (भीखाभाई) : (१) दिनांक १६ दिसम्बर १६६५ को दिया था। नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, श्रम मंत्री जी को दिनांक २१ दिसम्बर १६६५ को भेजा गया।

(३) श्रम मंत्री जी से दिनांक १३ जनवरी १६६६ को मिला।

(४) जी हां, दिनांक ७ फरवरी, १६६६ से भूख हड़ताल प्रारम्भ हुई। दिनांक २ मार्च, १६६६ को श्री स्वामीनाथन, जो भूखहड़ताल पर थे, पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गये। उन्होंने ४ मार्च १६६६ को हड़ताल तोड़ी थी। वह अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं उसके पश्चात् कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठा। विवाद जिसके सम्बन्ध में भूख हड़ताल की गई सरकार द्वारा श्रम न्यायालय में १३ जनवरी, १६६६ को सुपुर्द किया जा चुका है। विवाद को श्रम न्यायालय को सुपुर्द करने के पश्चात् भूखहड़ताल प्रारम्भ हुई।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने यूनियन के अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया है कि जो फैक्ट्री को बन्द किया गया है उसको तुरन्त चालू कर दिया जायेगा ?

श्री भीखाभाई : सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विचार कर रही है यह अलग बात है। क्या सरकार को मैनेजमेन्ट के जो इन्चार्ज हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि फैक्ट्री तुरन्त चालू कर देंगे ? क्या यह विश्वास आपने प्रतिनिधियों को दिलाया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने नकारात्मक जवाब नहीं दिया है। हकारात्मक जवाब दिया है। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। कल मिटिंग बुलाई थी, हम चाहते हैं कि जल्दी ही काम चालू हो जाय।

(श्री भीखाभाई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि सरकार फैक्ट्री चालू करने के लिये फाइनेन्स करने को तैयार है जिससे कि विदिन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में चालू हो जाय ?

श्री भीखाभाई : टाइम लिमिट का नहीं कह सकता। यह सवाल भी नहीं है कि फाइनेन्स किया जाय। दूसरा आदमी चलाने को आजाय तो उसको दिया जा सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार ने किस आधार पर मजदूरों को विश्वास दिलाया है कि फैक्ट्री चालू हो जायगी ? सरकार के सामने मैनेजमेन्ट या किसने तथ्य रखे हैं जिससे सरकार ने मजदूरों को विश्वास दिलाया है कि चालू हो जायगी ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को भी मालूम है कि सरकार ने विश्वास दिलाया है किन्हीं आधारों से। फैक्ट्री के मैनेजमेन्ट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है अथवा उसी मैनेजमेन्ट को दिया जाय या दूसरे को दिया जाय इस पर विचार सरकार कर रही है। इस बारे में ६ तारीख को मीटिंग का आयोजन किया था वह नहीं बुलाई जा सकी। लेकिन हम इस चर्चा में हैं कि जल्दी ही फैक्ट्री का काम चालू कराया जाय।

श्री. कृष्णकुमार गोयल : जल्दी की अवधि निश्चित की होगी अप्रेल, मई या जून कब तक चालू करायेंगे, कोई अवधि मैनेजमेंट से मिलकर कायम की होगी ? मैनेजमेन्ट जो बात कह रहा है, तथ्य सरकार के सामने रखे हैं आखिर अवधि तो रखी गई होगी सरकार के सामने कि इस अवधि में काम चालू हो जायगा ?

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सकेगा प्रयत्न किया जायगा तारीख देने की स्थिति में मैं इस समय नहीं हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि मजदूरों को डिस्करेज करने के लिये, कि वे हड़ताल नहीं करें, उनको विश्वास दिलाया है कि फैक्ट्री चालू करदी जायगी ?

श्री भीखाभाई : सरकार का इन्टेन्शन साफ है। मैंने निवेदन किया कि सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है हो। सकता है आज कल में ही फैसला हो जाता है, मैनेजिंग डाइरेक्टर को बदलना पड़े तो भी बदल सकते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टर्म्स एण्ड कन्डीशन तय नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री चालू हो जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि १६-१२-६५ को फैक्ट्री बंद करने का नोटिस दिया था ?

श्री अध्यक्ष : कानूनी सवाल इस तरह से नहीं पूछ सकते।

श्रीमती गौरीपूनिया।

भिक्षावृत्ति व आवारागर्दी रोकने की योजना

६६० **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना)। क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मती गौरी पूनिया)

(१) बच्चों में भिक्षावृत्ति व आवारागर्दी रोकने की कोई योजना क्या राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(२) अगर हां, तो कब से लागू होगी और नहीं तो क्यों ?

(३) अन्य किसी राज्य में इस प्रकार की योजना चल रही है क्या ?

उपमंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) जी हां ।

(२) अभी यह कहना कठिन है कि कब तक यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी । इस पर निर्णय जल्दी ही लिया जावेगा ।

(३) चिल्ड्रेन एक्ट आन्ध्र प्रदेश, गुजरात केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं दिल्ली में लागू है ।

श्रीमती गौरीपूनिया : जिन प्रान्तों में यह योजना लागू है उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है या केन्द्रीय सरकार ?

श्री निरंजननाथ आचार्य यह सोशियल वेलफेयर विभाग से ताल्लुक रखता है ।

श्रीमती गौरीपूनिया : राज्य सरकार ने योजना बनाई है क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हां, चिल्ड्रन्स एक्ट का ड्राफ्ट बना लिया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : इसका सारा खर्चा केन्द्र वहन करेगा या राज्य सरकार ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राज्य सरकार योजना बनायेगी । यह सोशियल वेलफेयर से ताल्लुक रखता है वे ही पूछेंगे हम से संबंधित नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह कब तक लागू हो जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जल्दी ही ।

श्रीमती गौरी पूनिया : जल्दी की परिभाषा क्या है निश्चित अवधि बता सकते हैं क्या ? १७ साल तक ऐसे बच्चे गली कूंचों में भिक्षावृत्ति करते रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक पुलिस का संबंध हैं पीनल कोड की धारा है ३६६ (ए)
उस पर हम बराबर ताकीद करते रहे हैं, सारे पुलिस विभाग को हमने सतर्क किया है ऐसे लड़के कहीं पर मिलें तो कब्जे में किया जाय, जिनकी कस्टोडी में मिलें उनको भी इन्ट्रोगेट किया जाय । ऐसे लोगों की रिपोर्ट आई. जी. पुलिस के पास आयेगी.........

श्री **अध्यक्ष** : ऐसे मामलों में पुलिस ने मुकद्दमें भी चलाये हैं ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप देख लेना पता चल जायगा कि पुलिस कितनी सतर्क है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं प्रस्तुत कर दूंगा । चिल्ड्रन्स एक्ट का ड्राफ्ट सोशल वेलफेयर विभाग के पास पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

चूरू जिलेकी तहसीलों में चारे आदि की खरीद

६६१. **श्री रावतराम** : (सादुलपुर) [श्री मोहरसिंह (चूरू) द्वारा पूछा गया] क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या पिछली साल चूरू जिले की कई तहसीलों में अकाल के कारण सरकार ने काफी मात्रा में पशुओं के लिए चारा, कड़बी आदि खरीदा था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कड़बी चारा करीब करीब बच गया था और बचा हुआ चारा अभी निकट भविष्य में नीलाम किया गया है ? यदि हां, तो नीलाम से सरकार को कितना रुपया मिला ? कृपया यह भी बतायें कि इससे सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस जिले में कई स्थानों पर अधिकारियों ने कड़बी और चारा आग से जला डाला ? यदि हां, तो कहां कहां और ऐसा क्यों किया गया ?

उप मंत्री अकाल सहायता श्री दौलतराम सारण) : १. जी हां । कुल घास-चारा ६१.२७० मन खरीद किया गया था ।

(२) ५० प्रतिशत के करीब याने ४८, ७३१ मन फोडर बच गया था, जो माह जून में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ७०७५ दिनांक २७. ५. ६५ से नीलाम करवाया गया, जिससे कुल १३,३८५ रु. प्राप्त हुए । फोडर की बिक्री समय पर न होने व आग से नष्ट हो जाने के कारण कुल १,०८,०४८ रुपयों का नुकसान रहा ।

(३) जी नहीं ।

श्री मोहरसिंह : कैसे जल गया इसकी जांच हुई क्या ?

श्री दौलतराम सारण : जलने की जांच प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और दूसरे अंडर ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट से करवाई गई दोनों जगह की । उनकी जांच के मुताबिक इसके लिये किसी पर उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता । डूंगरगढ़ में रेल इंजिन की चिनगारी से आग लगने के कारण जला और सरदारशहर में अन्य प्राकृतिक कारणों से जला ।

श्री **मोहरसिंह** : ऐसी जगह क्यों रखा गया जहां रेल के इंजिन की चिनगारी पहुँचे ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री दौलतराम सारण ; बीकानेर भेजने के लिए रखा गया था ।

बाल मंदिर एस. टी. सी. गर्ल्स स्कूल, जयपुर को अनुदान

६६२. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई। : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) बाल मंदिर एस. टी. सी. गर्ल्स स्कूल जयपुर को सरकार कितना अनुदान देती है ?

(२) इसमें कितनी लड़कियों के लिये स्वीकृति है और वास्तव में कितनी लड़कियां हैं ?

Page No. 10

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राएं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य :(१ से ३) बाल मंदिर एस. टी. सी. गर्ल्स स्कूल, जयपुर बन्द हो चुका है अतः सूचना देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब बंद हो गया और क्यों बंद हो गया ? दोनों ही बता दीजिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गये साल छात्र नहीं मिले, फाइनेन्शियल पोजीशन खराब हो गई, नही चल सका।

पोस्ट ऑफिस की मांग

६६३. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम सिरासना (तहसील डेगाना) में पोस्ट ऑफिस खोलने की जनता ने मांग की है ?

(२) क्या सरकार वहां पोस्ट ऑफिस खुलवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? ग्राम सिरासना में पोस्ट ऑफिस कब तक खोल दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री सामान्य प्रशासन : श्री रामप्रसाद लडढा (१) जी हां। सरपंच, सिरासना ने ग्राम सिरासना में डाक घर खुलवाये जाने हेतु संचालक, डाक व तार विभाग, राजस्थान, जयपुर को मार्च १९६५ में मांग की थी।

(२) आर्थिक दृष्टिकोण से ग्राम सिरासना में डाक घर खुलवाया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आपत्कालीन स्थिति में नये डाक घर खुलवाये जाने पर निषेध है।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, संकटकालीन स्थिति में निषेध है लेकिन कहीं अपवाद भी हो सकता है मैं बताना चाहती हूं कि इस क्षेत्र के ५०. ६० आदमी सेना में भर्ती हैं। उनके परिवार वालों को हर महीने मनीऑर्डर लेने जाने में दिक्कत होती है। महिलाओं के लिए और भी दिक्कत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक सूचना हमारे पास यह आई है कि नॉन रिटर्नेबल धन राशि यदि पहले जमा करा दें तो विचार किया जा सकता है इसलिए इस तरह की व्यवस्था ग्राम पंचायत या कोई महानुभाव की तरफ से की जा सकती है तो इस संबंध में वे सूचना दें तो विचार कर सकते हैं ऐसा डाइरेक्टर ने लिखा है।

श्रीमती गौरी पूनिया : सैनिकों की सुविधा में यह नहीं आता क्या जिससे कि उनके लिए माफ हो जाय ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : हम अपनी तरफ से जितनी शक्तिपूर्वक लिख सकते हैं और लिख देंगे लेकिन आखिर उनके हाथ में है। उनकी शर्तें पूरी करनी होती हैं, जमानत लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं, गारन्टी लेते हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : कितनी धनराशि जमा करानी पडती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राशि जमा कराने की इच्छा प्रकट करें तो वे बताते हैं कि कितना खर्चा होता है उस हिसाब से देख लेते हैं।

पटवारी द्वारा रिश्वत, तहसील निम्बाहेड़ा

६६४ **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कदमाली, तहसील निम्बाहेड़ा के निवासी बन्जाराम से पटवारी हल्का बाड़ी श्री इनायत खां ने रिश्वत ली है और उन्हें जमीन एलॉट करने का आश्वासन भी दिया है ?

(२) कदमाली के बन्जारों की कुल दरख्वास्तें कितनी हैं और वह किस स्टेज पर हैं ?

(३) जब विभाग को यह जानकारी हुई कि अमुक पटवारी ने बन्जारों से पैसा लिया तो विभाग (तहसील दार) ने क्या एक्शन लिया ?

उपमंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ऐसी शिकायत पटवारी के विरुद्ध की गई है।

(२) १४ प्राप्त हुई, ३ प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

(३) ऐसी शिकायत पेश होने पर उक्त पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही ही शुरू कर दी गई।

श्री अब्दुल जब्बार खां : विभागीय कार्यवाही क्या शुरू हुई ? सर्विस में है या सस्पेन्डेड है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Bag your Pardon ?

श्री अब्दुल जब्बार : विभागीय कार्यवाही क्या हुई और वह सस्पेन्डेड है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुअत्तिल कर दिया गया था, अब तक मुअत्तिल की स्थिति में है। जहां तक विभागीय कार्यवाही का प्रश्न है जांच हो चुकी है। कलेक्टर ने सर्विस से पृथक् करने का नोटिस देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

समरथपुरा के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन

६६५ श्री **भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा-सु.) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(१) समरथपुरा ग्राम, जिला सीकर के ग्राम वासियों ने आयुर्वेदिक औषधालय के निमित्त जो भवन बनाया है उसमें औषधालय कब से चलाया जायेगा ?

(२) क्या पंचायत समिति खन्डेला तथा जिला परिषद् सीकर ने भी उपरोक्त समरथपुरा ग्राम में औषधालय खोले जाने के लिए प्रस्ताव पास किया था ? यदि हां तो क्या सरकार अब शीघ्र औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१ व २) नये औषधालय खोलते समय विचार किया जावेगा।

Page No. 12

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह किसका जवाब दिया है, एक का जबाब है ?

श्री दौलतराम सारण : दोनों का है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' आपने साल भर पहले गांव के व्यक्तियों को लिख कर दिया था कि इस वर्ष खोल दिया जाएगा।

श्री दौलतराम सारण : मैंने लिखकर नहीं दिया ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपके बड़े मिनिस्टर साहब ने लिख दिया होगा। पूछें तो सही ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने नहीं लिखा न प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले लिखा जा सकता है। यह लिखा जा सकता है कि नये प्रस्ताव में शामिल किया जायगा तो मेरिट के हिसाब से कन्सीडर होता है, और उचित समय पर विचार करके खोल देते हैं। मैंने आश्वासन दिया है कि नये औषधालय खोलते समय इस पर विचार करेंगे और जैसा सम्भव होगा वैसा करेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : खाना पूर्ति हो गई है, पंचायत समिति और जिला परिषद ने खोलने के लिए प्रस्ताव गवर्नमेंट को दे दिया है। इसके अनुसार भी खोलने की योजना कब शुरू होगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजा था और जिला परिषद ने नहीं भेजा। अब नये प्रस्ताव के समय विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ?

हाई स्कूल नापासर का भवन

६६६ **श्री भीमसेन** (लूणकरण सर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय हाई स्कूल नापासर का भवन वहां के निवासियों ने बना कर कई वर्ष पूर्व सरकार के सुपुर्द किया था ?

(२) क्या यह सही है कि इन वर्षों में शिक्षा प्रसार के कारण इस स्कूल में ६ ठे एवं ६ वें दर्जे में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है लेकिन स्थानाभाव के कारण ६ ठे एवं ६ वें दर्जे में और अधिक सेक्शन नहीं खोले जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि वहां के नागरिकों ने साइंस ब्लाक के निर्माण हेतु जन सहयोग की राशि ६१ में विभाग के पास जमा कराने के बावजूद भी विभिन्न कारणों से अब तक उक्त भवन नहीं बन पाया है ?

(४) क्या सरकार उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में तत्काल कदम उठायेगी ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां, लेकिन अधिक सेक्शन खोले गये हैं।

(३) जनता ने ६०-६१ में २५०० रु० जमा कराये थे जिससे साइंस का सामान खरीदा जाकर स्कूल को दिया जा चुका है। आर्थिक कठिनाई के कारण सरकार उक्त भवन बनाने में असमर्थ रही।

Page No. 13

(श्री भीमसेन)

(४) धन की उपलब्धि एवं आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही अन्य स्कूलों के साथ इस पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि जनता भी अपना आर्थिक सहयोग दे।

श्री भीमसेन : क्या सरकार नहीं मानती है कि वहां की जनता ने काफी सहयोग दिया है, भवन दिया है धनराशि दी है ? अब क्या एक कमरा बनाने का विचार करेगी सरकार ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार मानती है आर्थिक सहायता कुछांश में दी है और अधिकांश में देना बाकी है।

श्री भीमसेन : सरकार ने विश्वास दिलाया था कि इतना रुपया दे देंगे तो कमरा बना दें और इसके बारे में पिछले विधान सभा में आश्वासन दिया था कि कमरा बनाने का आर्डर दे दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पता नहीं मैंने कब कहा है। लेकिन उसके बाद आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द !

श्री भीमसेन : इस साल कुछ विचार करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : करेंगे।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री **गंगासिंह**।

नागौर में कॉलेज

६६८. श्री **गंगासिंह** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि नागौर ज़िला के हैड क्वार्टर नागौर में अभी तक कोई कॉलेज नहीं है ?

(२) क्या सरकार नागौर में कॉलेज खोलने की सोच रही है ?

उप मंत्री शिक्षा (निरंजननाथ आचार्य :

(१) नागौर टाउन में कोई कॉलेज नहीं है लेकिन नागौर जिले में डीडवाना में एक राजकीय कॉलेज है। जहां नागौर जिले के सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध है।

(२) जी नहीं।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर करीब करीब सभी जगह कॉलेज हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह सभी जगह तो नहीं हैं लेकिन हैं।

श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : नागौर में कॉलेज नहीं बनाने के कारण क्या हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डीडवाना में है और चौथी पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर खोलेंगे, इसके लिए तीन नाम हैं—नीमका थाना, तापगढ, जालौर या भीनमाल !

Page No. 14

श्री गंगासिंह : इस साल खोलने का विचार है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अभी तक क्यों नहीं खोला ? आपने किस दुश्मनी से नहीं खोला है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक्सटेंशन न करके क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : वहां इसलिए कॉलेज नहीं खोला जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय से आप नाराज हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप झगड़े के सिवाय कुछ सोचते भी हैं कि नहीं।

श्री गंगासिंह : अगर.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) खूब पहचाना है एक दूसरे को !

श्री गंगासिंह : जनता सहयोग देने को तैयार हो तो आप कॉलेज खोलने के लिए तैयार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न हाइपोथेटिकल है।

श्री गंगासिंह : जनता रुपया देने के लिए तैयार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं निवेदन करना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : कालेज खोलने की जो आवश्यकता होती है तो क्या वहां उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति नहीं है। डीडवाना में होने से इस अधिक खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल सीधा है, जिन आधारों पर कालेज खोलने की अनुमति दी जाती है, क्या उस प्रकार की स्थिति नागौर में नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसका अभी मैंने अध्ययन नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : फिर किस आधार पर कहते हैं, डीडवाना और नागौर के बीच कम्पेरीजन करने पर डीडवाना में खोला है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए कि वहां खुला हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि कम्पेरीजन करने पर डीडवाना में खोलना था इसलिए खोल दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह नहीं कहा। यह कहा कि डीडवाना में एक राजकीय कालेज विद्यमान है।

एक माननीय सदस्य : क्या लाडनूं में खोला जा रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रावतसर में खोला जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजस्थान में है, क्या ?

Page No. 15

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां राव साहब खुद खोल देंगे।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छाबड़ा) : वहां मंडी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह रहे हैं कि राजस्थान मे है नहीं और महिला सदस्या ने कहा कि वहां मंडी है।

श्री गंगासिंह : राजस्थान में डिग्री कालेज हैं उनके अतिरिक्त और कालेज खोलने की आवश्यकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आवश्यकता नहीं है अभी।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री सांवलिया राम।

भरतपुर सिटी औषधालय का भवन

६७०. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर सिटी औषधालय का भवन जीर्ण अवस्था में है और निकट भविष्य में गिरने वाला है ?

(२ क्या सरकार का इस भवन की मरम्मत कराने का विचार है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) औषधालय भवन की मरम्मत पर ४ हजार रु० ६५-६६ में खर्च किया गया।

(२) भवन की बाकी मरम्मत का कार्य आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री सांवलियाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बताया कि ४ हजार कुछ रु० इस भवन की मरम्मत पर खर्च किया गया है लेकिन उस भवन की स्थिति क्या है, यह जाकर स्वयं देख आये हैं फिर भी कह रहे है कि धन उपलब्ध होने पर मरम्मत कर दी जायगी। मेरी समझ में नहीं आया कि जहा सरकार लाखों रुपया औषधियों पर खर्च करती है, और स्टाफ पर खर्च करती है, वहां भवन फाकट व मिल जाय फिर भी उसकी मरम्मत नहीं करा सकती—बड़े अफसोस की बात है।

श्री दौलतराम सारण: मरम्मत करवाई है और बाकी करवाई जायगी।

श्री सांवलियाराम : नहीं करवाई गई है, वह भवन जीर्ण अवस्था में है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वाकई आप मानव प्रेमी है तो भवन की मरम्मत कराके मानव-हित का कार्य करें, नहीं तो सैंकड़ों आदमियों की जान बरसात में चली जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जय नारायण !

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द) : भीखा-भाई मानव प्रेमी हैं उनसे पूछें।

श्री सांवलियाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

मंत्रियों को दैनिक व यात्रा भत्ता

६७१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के मन्त्रियों व उप मन्त्रियों ने जनवरी सन् ६५ से दिसम्बर सन् ६५ तक राजस्थान में व राजस्थान के बाहर जो दौरे किये उनके कारण उनको कितने रुपये टी. ए. व डी. ए. के दिये गये ? अलग अलग नाम वार रकम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमंत्री सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान के मन्त्रियों व उप मंत्रियों को जनवरी सन् ६५ से दिसम्बर....

श्री सांवलियाराम (रूपवास सु.) : - अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है रिपेअर कर दी जाएगी।

श्री सांवलियाराम : मुझे विश्वास दिलाया जाय कि धन उपलब्ध कर देंगे। अब नहीं करेंगे और छः साल के बाद में करेंगे तो सैंकड़ों आदमी के मरने से क्या लाभ होगा ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन सु.) : जवाब आया या नहीं, आप तो कांग्रेस में आ गये हैं !

श्री सांवलियाराम : वह विचारों की बात है। आप भी आ सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान के मंत्रियों व उप मंत्रियों को जनवरी सन् ६५ से दिसम्बर सन् ६५ तक राजस्थान में व राजस्थान के बाहर दौरों के कारण टी.ए. व डी. ए. के रु० १, ३०, ४७५. ३७ दिये गये। अलग अलग नामवार रकम की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इसके लिए क्या माप दन्ड है कि इससे ज्यादा कोई मंत्री ड्रा नहीं करे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक साल में अमुक रकम से ज्यादा ड्रा नहीं करना होगा इसके लिए कोई माप दण्ड या नियम नहीं हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री से भी अधिक टी. ए. डी. ए. डिप्टी मिनिस्टर ने ड्रा किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो हर अंक में लिख दिया है कि स्वयं की गाडी जन डिप्टी मिनिस्टर के पास है उसके ऊपर वह चार्ज करते हैं इसलिये हो सकता है कि उन मिनिस्टर को जिनके पास स्वयं की गाड़ी नहीं है से कुछ रकम अधिक हो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मुख्य मंत्री ने जहां ८ हजार ड्रा किया है वहां स्वास्थ्य

Page No. 17

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मंत्री ने ११ हजार ड्रा किया है ? और उसी विभाग के डिप्टी मिनिस्टर ने १५ हजार किया है, एक ही विभाग के मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर पर २६ हजार खर्च हो जब कि चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा काम करते हैं, पूरे राजस्थान में घूमते हैं उनके ऊपर ८ हजार का खर्चा है। इस पर आपको चैक रखना चाहिए कि एक ही विभाग के मंत्री और उप मंत्री पर २६ हजार खर्च हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ! जैसा एक दफा बताया गया है, इसमें वह खर्च सम्मिलित नहीं है जो गैराज की मोटर पर खर्च किया जाता हैं, बिना उसके आंकड़े एक तरह अपूर्ण हैं !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आपको पूरी जानकारी करके देनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें यही पूछा गया था कि राजस्थान के मंत्रियों व उप मंत्रियों ने सन् ६५ में राजस्थान में व राजस्थान के बाहर दौरे किये हैं उनके कारण उनको कितने टी. ए., डी. ए, दिये गये वह मैंने बताया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पूछा था उसका उत्तर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह तो जानकारी होनी चाहिये कि कितने मील गाड़ियां चलीं। उसका सारा अकाउन्ट आपके यहां पर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप वह भी जानकारी कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मोटर वाला मामला है। कितने मील चली उसका सारा अकाउन्ट मेन्टेन होना चाहिये। इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : आपके पास उपलब्ध हो तो बता दें और नहीं हो तो ना दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन मंत्रियों ने टी. ए. डी. ए. मोटरों के खर्चे के नाम पर उठाया है उन्होंने अपनी कारों की कीमत से दुगना वसूल कर लिया है ? ११ हजार या १२ हजार की गाड़ी और उससे ज्यादा उन्होंने वसूल कर लिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नहीं कह सकता कि उन्होंने डी. ए. और टी. ए. में दुगना पैसा वसूल किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : श्री बरकतुल्लाखां ने १५ हजार रुपये वसूल किये जब कि भीखाभाई ने एक हजार रुपये वसूल किये हैं।

श्री श्रवणलाल : श्री भीमसिंहजी ने एक साल के १८००) रू० ७१ नये पैसे और

Page No. 18

(श्री श्रवणलाल)

दूसरे उप मंत्री जैसे आचार्यजी ने ११,६६८) १० पैसे, श्री चन्दनमल वैद ने ११ हजार रुपये प्राप्त किये हैं इनमें इतना भेद भाव क्यों है जब कि भीखाभाई ने एक हजार ही लिये हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : आधा रुपया तो पेट्रोल में खर्च करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब वे अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वे टी. ए., डी. ए. चार्ज करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो इस टूर में जाते हैं चाहे वे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में जावें चाहे अपने डिविजन में जावें, चाहे कहीं भी जावें टी. ए., डी. ए. चार्ज करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या चन्दनमलजी वैद, और दूसरे मंत्रियों ने ज्यादा टूर करके जनता के ज्यादा पैसे लिये हैं ! आपने हमारे कोस्ट पर यह टूर की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमको इसकी मालूम नहीं।

उप-मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : मुझे आपके इस कथन पर बड़ा अफसोस है।

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि ८०० रु. तनख्वाह के मिलते हैं और १५ हजार रु. साल के टी.ए. और डी. ए. केड़ों करते हैं।

श्री अध्यक्ष : Next।

सलूम्बर तहसील में लगान की दरें.

श्री देवीलाल (सराडा़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सलूम्बर तहसील में स्थित सराड़ी एवं ओडवाड़िया गावों में किसानों के खाते में दर्ज काश्त की लगान की दरें वक्त सैटलमेंट निर्धारित की गई थीं ?

(२) ये निर्धारित दरें सारे वर्ष के लिए हैं या प्रति फसल की ?

(३) क्या उक्त रकवे का प्रति फसल का अलग अलग लगान किया जा रहा है ?

(४) यदि हां, तो क्या ऐसा किया जाना न्यायोचित है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) जी हां।

(२) दरें सारे वर्ष के लिए हैं।

(३) स्थाई भूमि का लगान खरीफ में १० आने तथा रबी में ६ आने लिया जाता है।

अस्थाई भूमि का लगान काश्त शुदा रकबे पर निश्चित दरों से वसूल होता है। डूब में रहने पर केवल २५ प्रतिशत लगान नहीं लिया जाता है।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : Next

लूणकरणसर जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल का भवन

६७३ **श्री भीमसेन** (लूणकरण सर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् १९६०-६१ में जूनियर हायर सेकेन्डरी हेतु लूणकरणसर (बीकानेर) के नागरिकों ने करीब ४० हजार की लागत का भवन निर्माण करके शिक्षा विभाग के सुपुर्द किया था ? अगर हां, तो इसको साधारण सूची पर लेने हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : लूणकरणसर के नागरिकों ने स्कूल के लिये भवन बना कर शिक्षा विभाग को दिनांक १. ६. ६२. को दिया । इस भवन को सरकारी भवनों की साधारण सूची में लेने के लिये कार्यवाही जारी है और आशा है कि शीघ्र ही इसे साधारण सूची में ले लिया जावेगा ।

श्री भीमसेन : जब भवन १. ६. ६२. को सुपुर्द कर दिया तो इतना लम्बा समय क्यों लगता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डी० ई० के पास भेजा है । वहां से स्वीकृति आने पर । देर तो लगी है यह बात अवश्य सही है ।

श्री भीमसेन : इतनी देर नहीं लगनी चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जहां जहां स्कूल भवन बने हैं उनको सबको इसमें ले लें । क्या इसके लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

नागौर जिले की धार्मिक जागीरें

६७४ **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) नागौर जिला में ५००) रु० से अधिक आय की धार्मिक जागीरें कितनी हैं ?

(२) इन धार्मिक जागीरों की एन्युटी की रकम क्या दिलाई जा चुकी है ?

(३) ऐसी कितनी व कौन कौन सी धार्मिक जागीरें हैं, जिनको एन्युटी की रकम देने की सेंक्शन आने पर भी कलेक्टर नागौर ने धनराशि की सेक्शन सरकार या रेवेन्यू बोर्ड से न आने के कारण उन धार्मिक जागीरों की चढ़ी किश्तों का भुगतान नहीं किया है ?

(४) सरकार उन जागीरों को एन्युटी की रकम जल्दी से जल्दी देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कुल १८ जागीरें ।

(२) सन् १९६५-६६ में वार्षिक वृत्ति की रकम रु० १०,६२०.२५ का चुकारा किया गया ।

(३) दो धार्मिक जागीरें एक मन्दिर श्री गंगाजी ग्राम दासावास व दूसरी दरगाह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मगरबी साहब ग्राम सरनावड़ा इनका भुगतान नहीं हो सका ।

(४) इस वर्ष रकम चुकाने की व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्री गंगासिंह : इनका क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक जागीर विभाग का सम्बन्ध है, वहां से फाइनेलाइज करके फार्म १२ है उसको भर कर फार्म पेमेन्ट के लिए देवस्थान डिपार्टमेन्ट को भेज देते हैं और उनका सम्बन्ध उसी से है । वहां से नहीं हुआ होगा । जागीर विभाग को जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी थी वह तो कर दी और देवस्थान विभाग से नहीं हुआ है तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इसको जल्दी कर दिया जावे ।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर महोदय के पास तीन वर्षों से आ चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह देवस्थान डिपार्टमेंट के अ. होती है । हमारे यहां से फार्म चले जाते हैं । मैं नहीं कह सकता कि यह क्यों पेन्डिग पड़े हैं । देवस्थान कमिश्नर के पास हैं या कलेक्टर के पास हैं । वह जल्दी करने के लिए लिखेंगे ।

श्री गंगासिंह : प्रश्न यह है कि वह तीन साल से आया हुआ है । जब कि हम उनके पास दो तीन बार जा चुके हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के मुताबिक अभी गया है । कुछ डिफेक्ट होगा ।

श्री गंगासिंह : उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है । कलेक्टर से कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फन्ड नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फन्ड का प्रश्न नहीं रहता । बजट अभी पास हुआ है और फर्स्ट अप्रेल से दूसरा साल लग जाता है । बजट में कोई टेम्पलवाइज या प्रोपर्टिवाइज पेमेन्ट के लिए नहीं होता । पहले कई दिक्कतें होंगी वे अब नहीं होंगी ।

श्री अध्यक्ष Next ।

मेयो कॉलेज को अनुदान

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार मेयो कॉलेज, अजमेर को एडहाक अनुदान दे रही है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(२) मेयो कॉलेज अजमेर को सरकार से पिछले वर्षों से एडहाक अनुदान मिल रहा है ? कृपया पृथक से प्रत्येक वर्ष में दिये गये ऐसे अनुदान को राशि बतायी जाय ।

(३) अनुदान के रूप में मेयो कॉलेज, अजमेर को अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

(४) वर्ष १९६६ में मेयो कॉलेज, अजमेर को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी जाने वाली है ?

(५) वह कौन से नियम व अधिनियम हैं जिनके तहत यह संस्था चलाई जा रही

Page No. 21

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है ? ऐसे नियमों व अधिनियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीन होने के बाद मेयो कॉलेज, अजमेर को नये भवन निर्माण हेतु ५० प्रतिशत के आधार पर १९६३-४ तक एडहाक अनुदान दिया है।

सन्	रु०
१९५७-५८ में	८८,४१०)
१९५८-५९ ,,	४०,०००)
१९५९-६० ,,	४०,०००)
१९६०-६१ ,,	२,००,०००)
१९६१-६२ ,,	४०,०००)
१९६२-६३ ,,	४६,४८५)
१९६३-६४ ,,	८८,४३३)
कुल	५, ५६, ३२८)

(३) अब तक कुल धनराशि ५, ५६, ३२८) दी गई है।

(४) नहीं।

(५) नियमों के प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ५, ५६, ३२८) रु० की धनराशि जो मेयो कालेज अजमेर को अनुदान के रूप में दी गई है वह केवल भवन निर्माण के लिए ही दी गई थी ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : इसका विश्लेषण है ५७-५८, ५८-५९, ५९-६०, ६०-६१, ६१-६२ यह तो ओवर ड्राफ्ट को लिक्विडेट करने के लिए दी और उसके बाद किचन और डाइनिंग हाल के लिए दी गई।

एक माननीय सदस्य : उसकी मंजूरी आ गई है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब आपने ओवर ड्राफ्ट दिया उस समय आपने यह देखा या नहीं कि ओवर ड्राफ्ट जिनाइन है या यों ही एडहॉक ग्रान्ट लेने के लिए है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि इसकी से फाइनेन्स सेंक्शन होती है इसलिए उसकी जांच निश्चित तौर से हुई होगी। यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एज्यूकेशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए सिफारिश नहीं की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सिफारिश की तभी तो हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने एडहॉक ग्रान्ट के लिए सिफारिश की तो आपने यह नहीं देखा कि यह डिमांड जीनाइन है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि यह सेंक्शन हुई है फाइनेन्स से इसलिए यह तो प्रिजम्प्शन है कि जांच के बिना तो यह हो नहीं सकता। जांच किस तरह से हुई, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसका विश्लेषण मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिह : आपने यह सिफारिश करते समय देखा या नहीं कि वास्तव में ओवर ड्राफ्ट को डिमाण्ड उनकी जिन्याइन है या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गवर्नमेंट को डिस्क्रीमिनेटिंग पॉवर्स हैं कि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो तो उसको खराब नहीं होने देने के लिए गवर्नमेंट को पॉवर्स है कि वह एडहॉक ग्रान्ट दे सकती है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि ओवर ड्राफ्ट को लिक्विडेट करने के लिए एडहॉक ग्रान्ट किसी पिछले वर्ष के लिए नहीं, अगले सालों के लिए दी जाती है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह नियमों के अन्तर्गत है, मुझे जानकारी नहीं है पर सारा विश्लेषण किया जाकर औचित्य के आधार पर एडहॉक ग्रान्ट दी गई है ?

श्री भैरोंसिह : लगातार ५ वर्षों के ओवर ड्राफ्ट को लिक्विडेट करने के लिए एडहाक ग्रान्ट दी गई है, तो क्या हर साल ऐसा ही रहा है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस स्कूल की आर्थिक स्थिति इतनी विषम हो गई थी कि ओवर ड्राफ्ट को लिक्विडेट करने के लिए एडहॉक ग्रान्ट नहीं दी जाती तो इस स्कूल का चलना मुश्किल हो जाता।

श्री भैरोंसिह : क्या इस स्कूल के लिए यह कन्डीशन नहीं थी कि इसकी फाइनेन्शियल पोजीशन को सुधारने के लिए सरकार इसके फाइनेन्सेज को कन्ट्रोल में लेकर यह कोशिश करती कि किस प्रकार सख्ती को जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, स्वतन्त्र है, इसके अन्दर दस्तदांजी करके फाइनेन्शियल पोजीशन की जांच हम विधान के अनुसार नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राजस्थान एज्युकेशन कोड के अनुसार जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं एडहॉक या रेगुलर ग्रान्ट उसको दी जाती हो तो उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार आदेश दे सकती है और अगर वह सरकार के आदेशों का पालन नहीं करती है तो इस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एज्यूकेशन कोड का सम्बन्ध है, मुझे अभी यह ज्ञान नहीं है। माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं, उन्हें ज्ञान है तो सम्भवतः उनका कहना ठीक हो, पर मैं अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राजस्थान एज्यूकेशन कोड मेयो कालेज पर लागू होता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह प्राव-धान, अध्यक्ष महोदय, मैंने आज नहीं देखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ६ बार कह चुके हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनुदान नहीं मांगती है, आर्थिक विषम स्थिति के कारण एडहॉक ग्रान्ट दी गई है। आप ही प्रावधान बतादें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं है। यह सारा मामला तो पहले ही आपको देखना चाहिये। सारा मामला एग्जामिन होता है और फिर ग्रान्ट दी जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या फर्मा गये आप ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रान्ट-इन-एड देते वक्त ये सारी चीजें पहले देखी जाती हैं।....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : पूरी तरह संतुष्ट होकर राज्य सरकार ने इस स्कूल की विषम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह एड्हाक ग्रान्ट दी है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदी कुई) क्या यह सही है कि मेयो कॉलेज के इतने बंगले किराये पर चलते हैं, उनको बेच कर यह संस्था अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकती ? और बहुत सी जमीन उसके पास है उसको बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकती मिसेज कौल को मेयो कालेज ने जमीन बेची है, एल. आई. सी. को जमीन बेची है, उस समय यह विषमता कहां गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो घूम फिर कर उसी तथ्य पर आगये। वह जमीन खेल के ग्राउन्ड्स हैं। कालेज के भविष्य को देखा जाता है वह बेच दे तो भविष्य में एक्सटेन्शन और दूसरे सारे काम अवरुद्ध हो जाते हैं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : उन्होंने जमीन एल. आइ. सी. को दी। कई बंगले बना बना कर सौ सौ रुपयों में किराये पर चला रखे हैं। हजारों एकड़ जमीन अब भी पड़ी हुई है, उसको बेच कर आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिये जमीन पड़ी है। बंगले किराये पर हैं या नहीं इसका मुझे ज्ञान नहीं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : प्लॉट्स बना कर अब भी बेचने के लिए नोटिस निकाल रखा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या यह सही है कि मेयो कालेज ने हमारे देश की सेवा की है, वह हमारे देश की बड़ी रिनाउन्ड संस्था है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऑर्डिनरी लोगों की सेवा नहीं की, है बड़े बड़े लोगों.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा ६५५ नं. का क्वेश्चन है, वह आयगा तब पता चलेगा कि किस प्रकार की देश की सेवा इस संस्था ने की है। प्रधान मंत्री के मरने पर जो राष्ट्रीय छुट्टी हुई, यह संस्था इस राष्ट्रीय छुट्टी को भी नहीं करती, ऐसी संस्था देशद्रोही संस्था है।

श्री अध्यक्ष : आपने उत्तर में लिखी है ५० प्रतिशत मकान बनाने के आधार पर एडहॉक ग्रान्ट दी और अब कहते हैं ओवर ड्राफ्ट पर दी। आप उत्तर को पढ़िये।

Page No. 24

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६२–६३ तक ओवर ड्राफ्ट को लिक्विडेट करने को दी है. उसके बाद....

श्री अध्यक्ष . आपका उत्तर पढ़िये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका उत्तर गलत है, आपने भ्रम में डाला है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे खयाल में, अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर गलत है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे बाद में समझाया, ६३–३४ में बिल्डिंग की है....

श्री अध्यक्ष : गलत उत्तर दे दिया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं वापिस सब देख कर सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नेक्स्ट वीक में इसे ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : नहीं इसकी आवश्यकता नहीं । आप संतोष करलें, आपके विभाग ने पुराना हिसाब ओवर ड्राफ्ट के लिए दिया था । ओवर ड्राफ्ट के लिए दिया या और स्थिति थी यह आप अच्छी तरह से देख लें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह सारी स्थिति जांच करने के बाद पेश कर दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या जांच करने से पहले ऑडिट अकाउन्ट को देखा है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि रूल्स के अनुसार मेयो कालेज को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि ग्रान्ट-इन-एड गवर्नमेंट जिन इन्स्टीट्यूशन्स को देती है तो वे इन्स्टीट्यूशन्स इस प्रकार के पावर्स नहीं रख सकतीं कि बिल्डिंग्स को बेच दें, जमीन को बेच दें, सारी चीजों को बेच देंगी तो सोवरेनिटी क्या रहेगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इन्स्टीट्यूशन्स पर इस प्रकार का कन्ट्रोल मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान एज्यूकेशन कोड इस पर लागू होता है, ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटीज पर सब पर लागू है, एक बार नहीं मन्त्रियों ने कई बार इस सदन में कहा है कि ग्रान्ट-इन-एड जिन सोसाइटीज को देते हैं उनको राजस्थान एज्यूकेशन कोड की मान्यताओं को मानना पड़ेगा । नहीं मानती है तो आपने कहा था कि तनख्वाह डाइरेक्टर दिलायेंगे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह एडहॉक है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : सरकार से इतनी ग्रान्ट-इन-एड लेने के बावजूद मेओ कॉलेज का शिक्षण इतना मंहगा क्यों है, फीस इतनी अधिक है कि गरीब की तो बात तो दूर, अध्यक्ष महोदय, आप और हम भी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

बच्चों को वहां शिक्षा दिलाने की स्थिति में नहीं रहते ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह स्थिति है तो है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरे पब्लिक स्कूलों के मुकाबले में मेयो कालेज की फीस कम है क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फीस का मामला कहां, यह तो अनुदान का मामला है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही कि यह ग्रान्ट-इन-एड इसलिए दी है कि श्रीमती बालकृष्ण कौल को सस्ती कीमत पर इस संस्था ने भवन बनवाने के लिए अनुचित तौर पर गैर कानूनी ढंग से जमीन दे दी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप तो वापिस घूम फिर कर उसी पर आ गये ।

श्री अध्यक्ष : उस पर फिर कभी आयेंगे ।

श्री ललितमोहन ।

स्थगित प्रश्न

(२४-३-६६)

झाड़ोल तालाब

४३७. **श्रीललितमोहन** (गोगुन्दा-मु०) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) उदयपुर जिले में झाड़ोल तालाब कब बांधा गया ? जिस समय बांधा गया उस समय इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचित होने वाली थी ।

(२) इस वक्त इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है ।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो मैंने पिछली दफा दे दिया है, सप्लीमेंट्री पूछना चाहें तो पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : आप फिर भी जवाब दे दीजिये ।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) झाड़ोल योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है....

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिये ।

श्री दिनेशराय डांगी : इससे योजना के पूर्ण विकसित होने पर १३५० एकड़ प्रति वर्ष सिंचाई होने का अनुमान है ।

(२) सन् १९६६ में लगभग १५० एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

मेयो कालेज में छुट्टी

६५५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश, अजमेर ने मेयो कॉलेज, अजमेर के प्रिन्सिपल को एक परिपत्र इस आशय का भेजा था कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री

Page No. 26

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के असामयिक निधन के कारण दिनांक ११ व १२ जनवरी, ६६ को सब संस्थाएं (शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए) व कार्यालय बन्द रहेंगे ?

(२) क्या यह सही है कि इस सूचना के दिये जाने के बावजूद मेयो कॉलेज अजमेर में दिनांक १२ फरवरी, ६६ को प्रातः ८:५० बजे से १:२५ बजे मध्यान्होत्तर तक दैनिक शिक्षण कार्यक्रम चलाया गया और मध्यान्होत्तर २:१० बजे लंच के इन्टरवल के पश्चात् भी पढ़ाई के दो घन्टे मध्यान्होत्तर ३:२० बजे तक चलाये गये जिस वक्त कि स्वर्गीय श्री शास्त्री का राष्ट्र की राजधानी में अन्त्येष्टि संस्कार किया जा रहा था ?

(३) क्या यह भी सही है कि दिनांक १२ जनवरी, ६६ को कॉलेज की पढ़ाई की घन्टियां भी नहीं बजाई गई ताकि लोग इस भ्रम में रहें कि संस्था बन्द है ?

(४) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र का मेयो कालेज, अजमेर द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने का क्या कारण है ।

(५) कौन से नियम व अधिनियमों के अधीन मेयो कॉलेज अजमेर शासित व नियन्त्रित होता है ? कृपया ऐसे नियमों व अधिनियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां ,

(२) जी नहीं ।

(३) जी हाँ, यह सही है क्योंकि कालेज बन्द था ।

(४) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र का मेयो कालेज, अजमेर द्वारा पालन किया गया था इसलिए अनुपालन नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) मेयो कालेज के नियम व अधिनियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

[सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि १२ जनवरी, १९६६ को मेयो कालेज की छुट्टी रही है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेयो कालेज के प्रिन्सिपल के कथन के आधार पर ।

श्रीसतीश चन्द्र अग्रवाल : आपने इस संबंध में स्वयं विभाग के किसी अधिकारी से जांच करवाई है इस प्रश्न के जाने के बाद कि मेयो कॉलेज की १२ जनवरी को छुट्टी रही या नहीं !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि मेयो कॉलेज के प्रिन्सपल स्वयं व्यक्तित्व वाले हैं और उनका शिक्षण क्षेत्र में बड़ा नाम है, उनके शब्द का हम सम्मान करते हैं इसलिए ऐसी जांच बारीकी से जैसी आप समझते हैं वैसी नहीं करवाई गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसका आप सम्मान करते हैं उनके संबन्ध में अगर मैं सदन में साबित कर दूं कि १२ जनवरी

Page No. 27

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

१९६६ को स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निधन के कारण वहां छुट्टी नहीं रखी गई तो क्या परिणाम होंगे ? मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि १२ जनवरी, १९६६ को इस मेयो कॉलेज में विद्यार्थियों की हाजरी हुई चाहें तो हाजरी रजिस्टर की फोटोस्टेट कॉपी पेश करूं जिससे साबित हो जाएगा कि १२ जनवरी को मेयो कॉलेज रन किया गया है; लड़कों की हॉजरी हुई है, डिस्पैच रजिस्टर में एन्ट्रीज हैं, लैटर्स डिस्पैच हुए हैं, अकाऊंट्स की एन्ट्रीज हुई हैं, मेसिंग का जो खर्चा हुआ है उसकी एन्ट्रीज हैं १२ जनवरी को टाइम टेबल फोलो हुआ हैं। अगर छुट्टी होती तो यह खबर मयूर पत्रिका उनकी निकलती है उसमें जो छुट्टियों की सूची है उसमें १२ जनवरी की छुट्टी नहीं बताई गई है। छुट्टियों के वहां नोटिस निकलते हैं लेकिन वहां १२ जनवरी को नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस नहीं लगाया गया। उसके अलावा १२ जनवरी को विद्यार्थियों को चिट्स इश्यू हुई हैं, किताबें खरीदी गई हैं, वितरित हुई हैं, ये सारे काम १२ जनवरी १९६६ को हुये हैं और सबसे बड़ा सुबूत है,. हाजरी का रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर। इतना ही नहीं सबसे बड़ा सुबूत है १२ जनवरी १९-६६ को कलेक्टर का भतीजा वहां एडमिट हुआ है। अगर छुट्टी होती तो वह कैसे एडमिट होता ! इससे ज्यादा क्या सुबूत आपको चाहिए कि १२ जनवरी को छुट्टी नहीं की गई !

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस स्थिति का थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं मयूर फोर्टनाइटली पेपर है। असल में बात यह है कि १२ जनवरी को सभा की गई, प्रिन्सिपल ने श्री शास्त्री के निधन पर संवेदना प्रकट की और भाषण हुए और उसके बाद क्योंकि लड़के इधर-उधर फिरते थे इसलिए उनको लाइब्रेरी में इकट्ठा करके किताबें दी गईं ताकि वे काम में लगे रहें जिनको लेकर वे होस्टल में चले गए।

काम करने का जहां तक प्रश्न है, किताबें दी गईं ताकि इधर उधर न चले जायं, घंटी नहीं बजाई गई क्योंकि छुट्टी थी ऐसी हालत में छुट्टी तो थी; लेकिन लड़के काम में व्यस्त थे, ऐसा आभास इसमें मिलता है।

आपने रजिस्टर वगैरह की बात की है कि उसमें छुट्टी होना दर्ज नहीं है। कलेक्टर के भतीजे को एडमिशन की बात बताई यह प्रश्न मुमकिन है, हो सकता है....

श्री रघुनाथविश्नोई : जांच करा लो न।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शर्दी की छुट्टी के बाद १० जनवरी को अपने अपने घरों से विद्यार्थी वापस आ गए तो उसकी सूचना उनके पेरेंट्स को दी जाती है कि लड़के आ गए, थोड़ा बहुत काम एमर्जेंसी की पोइंट पर चला हो और विद्यार्थियों को बिठाया गया हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या एन्ट्रीज थीं, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि रजिस्टर्स को मैंने नहीं देखा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):- मेयो कॉलेज में और भी तो छुट्टियां होती हैं लेकिन इस तरह से लाईब्रेरी में लड़कों को नहीं बिठाया जाता है, इसको जांच की जानी चाहिये। ऐसे अराष्ट्रीय तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब १२ जनवरी को जुलूस निकल रहा था, स्वर्गीय प्रधान मंत्री की दिल्ली में शव यात्रा निकल रही थी, चाहे रेस्टोरेन्ट हो, चाहे बाजार हो, लोग आंखों देखा हाल शव यात्रा का सुन रहे थे, लोग ट्रांजिस्टर्स लेकर सुन रहे थे, वहां इन लड़कों को जुलूस देखने से, आंखों देखा हाल सुनने से क्यों महरूम रखा गया। क्यों उनको लाईब्रेरी में रोक दिया गया ? इतना सब होते हुए भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि आप इस संबंध में जांच करेंगे। मैंने खास तौर से दो तथ्य बताए, एक तो १२ जनवरी को कलेक्टर के भतीजे का एडमिशन हुआ दूसरा तथ्य यह है कि अटेंडेंस रजिस्टर में हाजरी हुई है, मैं फोटोस्टेट कॉपी पेश कर सकता हूं जिसमें बाकायदा हाजरी हुई है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। एक आदमी ब्रिटिश नेशनल है, इन्डियन नेशनल नहीं है, जिसको पद्मश्री की पद्वी मिलती है और ओ० बी० ई० की पदवी मिलती है जो ब्रिटिश इन्ट्रेस्ट को वाच करता है, उसने कौल साहब को जमीन दे दी है, जिस पर उनका बंगला बना हुआ है और उसमें ब्रिटिश कौंसिल का दफ्तर है और सारी एक्टिविटीज वहां से गाइड होती हैं, वह एक एन्टी-नेशनल सेंटर है। हिन्दुस्तान में उसको पद्मश्री की पदवी मिली है यह तो सरकार के सोचने की बात है। हिन्दुस्तान में ऐसा आदमी नहीं जो ब्रिटिश के इन्ट्रेस्ट को वाच करेगा। ताशकंद समझौते के सिलसिले में और इंडो-पाकिस्तान कांफ्लिक्ट में जितने ब्रिटिश पेपर्स थे उनकी कटिंग को नोटिस बोर्ड पर लगाया और लड़कों को पढ़ाया कि इन्डो-पाकिस्तान कान्फ्लिक्ट में यू० के० का क्या व्यूपोइन्ट है और लड़कों को समझाया।

आज अनेक नेता मरते हैं तो वहां छुट्टियां नहीं होती हैं, ऐसा राष्ट्र विरोधि सेन्टर बना हुआ है। कौल साहब वहां की गवर्निंग कौंसिल के मेम्बर हैं, शास्त्रीजी के मरने की छुट्टि न करें, इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए और कोई नहीं।

महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेयो कॉलेज एक प्रतिष्ठित संस्था है। फोटोस्टेट कॉपी की क्या आवश्यता है ?

It is an open book, the Government can enquire into it. Where is the ncessity of producing photostate copies of the registar and condemning the Collectors nephew ? An enquiry can be instituted into the records and, therefore, I think, to clear the name of Mr. Gibson, necessary steps may be taken. But Mr. Gibson is a respectable man and his respect should not be infringed like this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री अध्यक्ष : आप सब का स्पष्टीकरण बाद में कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने गवर्निंग कौंसिल की सूची दी और रूल्स दिए। माननीय सदस्य जैसलमेर से आते हैं महाराज साहब की वैसे भी हैसियत है. आप गवर्निंग कौंसिल के मेम्बर हैं....

महाराज श्री हुमकसिंह : मैं मेम्बर नहीं हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे। आप ईमानदारी से बताएं इस सदन की जानकारी के लिए और राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिए ताकि ऐसे अराष्ट्रीय तत्व न पनपें, आप जिब्सन के लिए कितनी इज्जत रखते हों, १२ जनवरी १९६६, जिस दिन शास्त्रीजी की शव यात्रा का जुलूस निकला था, उस दिन मेयो कॉलेज बंद था और छुट्टी थी ? आप ईमानदारी से बताएं।

महाराज श्री हुकमसिंह : मैं इस विषय पर मौन रहना चाहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब दाल में कुछ काला है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जांच होनी चाहिए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मंत्री महोदय ने जैसे अभी बताया, मैं उनसे जानकारी चाहूंगी कि क्या रविवार को भी वहां बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा कर पुस्तकें देकर बिठाया जाता है ?

महाराज श्री हुकमसिंह : जानकारी करवा ली जाय और जिब्सन साहब अपनी सफाई दे दें और आप सन्तुष्ट हो जायं खामख्वाह जिब्सन साहब को बदनाम क्यों करें ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : इसमें बदनामी का क्या सवाल है ? यदि अजमेर में १२ जनवरी को बंद नहीं रहा, इससे ज्यादा बदनामी भारतवर्ष की क्या हो सकती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य की दुविधा को समझिए, उनका बच्चा वहां पढ़ता है, कहीं उसको फेल न कर दें।

महाराज श्री हुकमसिंह : मेरा लड़का फेल हो चुका है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु हो और मेयो कॉलेज बन्द न हो उनके दाह संस्कार के दिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न साधारण नहीं है और अध्यक्ष महोदय आप व्यवस्था करें कि मंत्री महोदय सही जानकारी दें।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मि० जिब्सन की भावनाओं का सम्बन्ध है, अराष्ट्रीय तत्व जिनका होना कहा गया इससे मैं सहमति प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि जब स्वर्गीय शास्त्री जी का अस्थि कलश अजमेर में आया तो ये पुष्कर में टीचर्स और स्टूडेन्टस के साथ उस प्रोसेशन में मौजूद थे। १२ तारीख को ज्योंही शास्त्री जी के निधन की सूचना मिली तो वहां पर कन्डोलेन्स मीटिंग की गई और मिसेज शास्त्री के नाम संवेदना का एक प्रस्ताव भेजा गया। ऐसी स्थिति में मि. जिब्सन ओ. बी. ई. व पद्म श्री इसे विरोधाभास की संज्ञा देते हुए बतलाया गया कि उनमें राष्ट्रीयता नहीं है यह ठीक नहीं है। लेकिन वहां के कॉलेज की एक्टीविटीज और उत्पादन जिस तरह वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसमें किसी प्रकार अभारतीयता का प्रभाव हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहां से जो स्टूडेन्ट्स निकले हुए हैं उनमें से कई स्टूडेन्ट्स ने इस पाकिस्तान हिन्दुस्तान युद्ध में बहुत ही साहस और शौर्य से काम लिया और एक स्टूडेन्ट को वीर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चक्र मिला। इसलिए इन आधारों को देखते हुए मैं मि. जिब्सन पर कोई शक शुबाह रखने की बात नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी आपने कहा कि हाजरी ली गयी। वहां कायदा है कि वहां जो स्टूडेन्ट्स रहते हैं उनकी प्रतिदिन हाजरी ली जाती है। डिसिप्लिन का मसला है। हाजरी ली गई और हाजरी नहीं ली जानी चाहिए यह उनके वहां का डिसिप्लिन का मसला है और इससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हाजरी क्लास की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके अतिरिक्त इस कॉलेज का प्रतिवर्ष का कार्यक्रम होता है। जब शास्त्रीजी होम मिनिस्टर थे तो इसी कॉलेज में आकर उन्होंने प्रवचन दिया और जितने यहां के विशिष्ट व्यक्ति हैं, वी आई पीज हैं, वे समय समय पर अपने विचार वहां रखते रहते हैं। न केवल पं० नेहरू इस कॉलेज में आये अभी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भी यहां आयीं। इस कॉलेज का इतिहास यह बताता है कि यहां राष्ट्रीयता की भावना रही है। हमें खुशी है कि मि. जिब्सन की शिक्षा क्षेत्र में उच्चतम देन है और उनकी कला की छाप शिक्षा जगत पर है। ऐसी शिक्षा विशारद के संबंध में भावावेश में कुछ कह दिया जाय मैं इसको उचित नहीं समझता। एक ब्रिटिशर होते हुए भी हिन्दुस्तान की उन्होंने जो सेवायें की हैं उनकी सर्वत्र प्रशंसा है। और भारतीय स्टूडेन्ट वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके प्रति गुरुपद के रूप में जो श्रद्धा होनी चाहिये वैसी श्रद्धा रखते हैं। फिर भी माननीय सदस्य आग्रह करते हैं और डाक्युमेंन्टस प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, माननीम अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि ऐसे शिक्षा विशारद के सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नों को उलझाना उनकी शिक्षा जगत में की गई सेवाओं के प्रति उलझाना है। उनकी विगत की सारी स्थिति बतलाती है कि ये छोटे मोटे प्रश्न इस कॉलेज के सम्बन्ध में पूछ कर एक व्यक्ति विशेष को जो अपनी अपूर्व सेवायें प्रस्तुत कर रहा है उसको निरुत्साहितमात्र करना होगा और कॉलेज के बारे में जैसा माननीय सदस्य जानते हैं इसकी परम्परायें हैं और लम्बे अर्से से सेवायें हैं। भारतीय स्तर पर अब तक इसकी सेवायें चलती रही हैं। इसलिए ऐसे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स पेश कर जांच कराना चाहते हैं तो आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिये ताकि आगे वाद-विवाद का प्रश्न न हो।

श्री **अध्यक्ष** : यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष पर कतई नहीं है और न उससे संबंध है कि अच्छा किया या बुरा किया। यहां पर केवल यही प्रश्न है कि वहां पर अमुक छुट्टी रही या नहीं। सरकारी उत्तर आया है कि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में जांच करा लें। किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री यह बतादें कि ये भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश नागरिक ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ब्रिटिश नागरिक।

श्री भैरोंसिंह : ब्रिटिश नागरिक हैं तो पास-पोर्ट से हैं या भारत सरकार से अनुमति ले रखी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न उठता नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : अभी इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उप-मंत्री महोदय ने जितने कॉम्पलीमेन्ट्स मि० जिब्सन को दिये उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-मु.) : मंत्री महोदय को जांच कराने में क्या एतराज है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह छोटा मोटा प्रश्न नहीं है । जवाहरलालजी नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित वहां गये इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसकी गवर्निंग कौंसिल में चीफ मिनिस्टर राजस्थान हैं, उसकी गवर्निंग कौंसिल में नाथूरामजी मिर्धा, कृषि मंत्री हैं, उसकी गवर्निंग कौंसिल में श्री विष्णुदत्त शर्मा, शिक्षा सचिव हैं, ऐसी संस्था में राज्य के मुख्य मंत्री हों, ऐसी संस्था में जहां राज्य के कृषि मंत्री हों, ऐसी संस्था में जहां राज्य के शिक्षा सचिव हों, वहां हिन्दुस्तान की और राजस्थान की जनता को जब यह मालूम पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री शास्त्रीजी का निधन हो जाने और उनको शव यात्रा के दिन इस कॉलेज में छुट्टी नहीं रखी........

श्री निरंजननाथ आचार्य : To cut short मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है।

श्री जोर्धासिंह ।

श्री अब्दुल जब्बार : ६५६ । मुझे ऑथोरिटी दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी ऑथोरिटी तो सर्वमान्य है।

श्री अब्दुल जब्बार : वह आदिवासियों का मसला है।

श्री भीखाभाई : आप क्या करेंगे, मैं करूंगा।

उदयपुर के आदिवासियों को लकड़ी काटने की इजाजत

६५६. **श्री जोर्धासिंह चौहान** [श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ऐसा कौनसा नियम है जिसके अन्तर्गत सरकार ने उदयपुर के आदिवासियों को यह आदेश दिया है कि जब तक वे सहकारी समितियां नहीं बनायेंगे तब तक उन्हें वहां के जंगलों से लकड़ी काटने नहीं दिया जायेगा ?

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर के पास गिरवा क्षेत्र से ऊंट पर लकड़ियां लाने वाले आदिवासी किसी सहकारी समिति के वैधानिक रूप से सदस्य नहीं हैं ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह सही है कि जो व्यक्ति सहकारी समिति के सदस्य हो गये या होने जा रहे हैं वे खुले जंगल से लकड़ी ला रहे हैं और उनको कोई जंगल एलॉट नही हुआ है तथा जो सहकारी समिति के सदस्य नहीं बनना चाहते वे लकड़ी लाने से वंचित हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) ऐसा न तो कोई नियम ही है और न कोई ऐसी आज्ञा प्रदान की गई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

सहकारी समितियों के सदस्यों को अलॉटशुदा जंगल से ही लकड़ी लाना पड़ता है। जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं उन्हें जंगल एलॉट करने का प्रश्न ही नहीं उठता और वे लकड़ी लाने से वंचित हैं। यह सहकारी समितियां आदिवासी ऊंट वालों की हैं, सिर बोझ से विज्ञप्ति के अनुसार लकड़ी लाने पर कोई रोक नहीं है चाहें वे किसी सहकारी समिति के सदस्य हों अथवा नहीं अतः जांच कराने की न तो आवश्यकता है और न प्रश्न ही उठता है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह उदयपुर में गिरफ्तारियां हुई थीं, लकड़ी लाने वालों और ऊंट वालों को पकड़ा गया था, उसका क्या कारण था ?

श्री भीखाभाई : यह तो आपको मालूम है। जो कुछ मैंने बात कही उसके अन्तर्गत है। जो हरी लकड़ी बिना परमिट के या बिना कहे हुए लाकर बेचता था उसके लिये थी।

श्री अब्दुल जब्बार : वह लकड़ी हरी है या जो आपके प्रेस्क्राइब्ड डाइमीटर से ज्यादा थी या कम थी ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को इस सवाल का बैकग्राउन्ड मालूम नहीं है ! वह क्या जानना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : आपने एक तरफ बताया कि सहकारी समितियों को खुले जंगल से लकड़ी लाने की इजाजत है। आदिवासी ला सकते हैं तो क्यों बावेला मचा ?

श्री भीखाभाई : जो ऊंट वाले हैं और सहकारी समितियां बनाते हैं और कूप अलॉट किये जाते हैं उनमें से उनको लाकर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। लेकिन जो इन्डविजुयल ऊंट वाले हैं वे कहीं से हरी लकड़ी लाना चाहें तो नहीं ला सकते।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु.) : वह ऊंट उनके खुद के हैं या दूसरों के ?

श्री भीखाभाई : ऊंट लाते हैं वे ज्यादातर दूसरों के ऊंट हैं और उन पर लकड़ी लाते हैं। इसलिये रोका गया। आदिवासी जिनके खुद के ऊंट नहीं हैं उनको रोका गया। जिनके ऊंट हैं, सर्टिफाई हो जाय और सहकारी समिति बना लें तो उदयपुर के जंगल जो कटते हुए जा रहे हैं उनको रोकने के लिये एक प्रकार का यह स्टेप लिया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सहकारी समितियों के पास खुद के ऊंट कभी

(श्री विजयसिंह झाला)

नहीं रहे वे तो दूसरों के ऊंट किराये पर जाकर ही लकड़ी लाते हैं।

श्री **भीखाभाई** : जिनके पास प्रमाण होंगे कि खुद के ऊंट है उन्हीं को दिया जाएगा।

श्री **विजयसिंह झाला** : सारी सहकारी समितियों के पास अपने ऊंट नहीं हैं। उदयपुर में जो गिरफ्तारियां की गई वह आपने केवल इस विभाग में जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है उसको रोकने के लिए नहीं बल्कि उस पर पर्दा डालने के लिए की गई। इसी प्रकार वे लोग दूसरों के ऊंट लाकर सहकारी समितियां बना रहे हैं। आदिवासियों को किसी प्रकार का भी फायदा नहीं हुआ।

श्री भीखाभाई : किराये पर लाते हैं इसलिए शोषण होता है उसी को रोकने के लिए यह किया गया है। शोषण रोकने के लिए ही तो यह व्यवस्था की है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह आपकी व्यवस्था और शोषण को बढ़ा रही है।

श्री **भीखाभाई** : खुद के ऊंट नहीं होते हैं उस शोषण को रोकने के लिए सहकारी समितियां बनाते हैं। प्रश्नकर्त्ता मौजूद नहीं हैं उनके खुद के कुछ ऊंट थे। इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ होती है वह आप यदि मेरे नोटिस में लायेंगे तो ऐसी बात के लिए जांच की जायगी।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, अब भी होता क्या है आदिवासी तो बेचारे मजदूरी ही करते हैं। ऊंट तो दूसरों के होते हैं वे तो केवल लकड़ी लाने वाले होते है। ये समितियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। आज जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। फोरेस्ट के अधिकारी मिलकर हजारों मन लकड़ियां इधर उधर ले जा रहे हैं, मोटरों का किराया देकर मोटरें भर भर लकड़ी ले जायी जा रही है। गरीबों का राजनैतिक शोषण किया जा रहा है। समिति का तो केवल बहाना मात्र है। समिति के नाम से धोखा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय का कहना है खुद के ऊंट हों तो लकड़ी ला सकते हैं दूसरों के ऊंटों पर नहीं ला सकते।

श्री भीखाभाई : वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं पहले वक्त से ही सूखी लकड़ी काटते आये हैं....

श्री अध्यक्ष : लाते किस पर थे ?

श्रीभीखाभाई : ऊंट पर लाते थे। क्या हुआ कि उदयपुर के आसपास दस दस मील के एरिया में जो जंगल था वह समाप्त सा हो गया। आदिवासियों के नाम पर हर कोई ऊंट पर लकड़ी लाने लगा। ऊंट किराये पर लेकर लकड़ी लाने लग गये और उनको बेचारों को एक दो रुपया मेहनत का दे दिया जाता। उनको कहा जाता कि तुम लकड़ी काटकर लाओ तुम्हें मजदूरी दे दी जायगी। इसी चीज पर रोक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आदिवासी ही लकड़ी ला सकें, वह भी खुद का ऊंट हो तभी ला सकेगा। इसलिए सहकारी समिति

(श्री भीखाभाई)

बनती है वह व्यवस्थित रूप से जहां से उनको कोटा एलॉट किया जायगा वहीं से लकड़ी ला सकेगी। उस लकड़ी का वे शहर में डिपो कायम कर सकते हैं या सुविधा दी गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय की भावना को हम सब कद्र करते हैं लेकिन आप यह भी दिखा लें, कि आप इस तरह से कानूनी बन्दिश भी लगा सकते हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : इसमें कानून की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : अमुक सोसाइटी तो ला सकती है अमुक नहीं इसमें कानूनी भिन्नता नहीं आयगी क्या ?

श्री भीखाभाई : हमें तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना स्वागत योग्य है लेकिन आप इस भावना को कानूनी रूप दे सकते हैं क्या जिससे इसका ठीक तरह से पालन हो सके ?

श्री भीखाभाई : कानूनी रूप देने के लिए प्रयत्न हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : कानूनी तौर पर आप बन्दिश लगा सकते हैं क्या कि समिति ला सकती है अन्य लोग नहीं ला सकते ?

श्री भीखाभाई : कानूनी तौर पर ला सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह डिस्क्रीमीनेशन है एक व्यक्ति ला सकता है एक नहीं, इस तरह से सोसाइटी को लेकर-एक तो खुद का ऊंट हो तो ला सकता है दूसरा यदि उसका ऊंट नहीं है तो नहीं ला सकता। यह डिस्क्रीडिमिनेशन विधान के अनुसार नहीं कर सकते। ऊंट यह अमुक व्यक्ति का ही है ऊंट पर कोई नाम तो खुदा हुआ नहीं है।

श्री भीखाभाई : आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए ही यह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो यह है कि कानूनी तरीके से आपकी जो शुद्ध भावना है उसका कार्यान्वयन हो सकता है या नहीं। आप इस प्रकार की बन्दिश लगा सकते हैं या नहीं ? आपने इस बारे में विधि विभाग से पूछा है ? आप इस बारे में और तसल्ली कर लिजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय की भावना बुरी नहीं है ऊपर से आप जिस प्रकार के हैं अन्दर से उतने ही उल्टे हैं लेकिन इसको कानूनी जामा तो पहनाइये।

श्री भीखाभाई : वहां जो सहकारी समितियां बनी हैं उसमें अस्सी प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड् ट्राइब्ज के मेम्बर हैं तभी जाकर कूप एलॉट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी योजना है वह कानून के अनुसार ठीक है या नहीं इस बारे में विधि विभाग से जांच करवा लें।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : काफो रह गये हैं माफ करें।

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सरदार-समन्द बांध के कमांड क्षेत्र में चकबंदी कार्य

६५७. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले के सरदार समन्द बांध के कमाण्ड एरिए में आई हुई सिंचित भूमि की चकबन्दी हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो इस चकबन्दी के क्षेत्र में कुल कितने चक बने हैं तथा एक चक में कितने बीघा जमीन निर्धारित की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे प्रत्येक चक के स्वामी किसान को अपने चक से आने जाने के रास्तों की पूर्ण सुविधा नहीं है और किसानों को अपने खेत में पहुंचने खाद डालने तथा कृषि उपज लाने व ले जाने में तकलीफ होती है और आपस में झगड़े होते हैं ?

(४) यदि हां, तो ऐसे झगड़ों का अन्त करने तथा किसानों को आने जाने की सुविधा देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(५) क्या इस प्रकार रास्तों की सुविधा देने में जो भूमि किसान के कब्जे से प्राप्त की जाएगी उसका मुआवजा नियमानुसार राज्य सरकार देना उचित समझती है। यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सरकार समन्द बांध के माण्ड एरिया के आठ ग्रामों में किसी में ३ व किसी में ४ व किसी में ५ चक कायम किये गये हैं चकों का रकबा कोई निर्धारित नहीं रखा जाता है। काश्तकारों की जितनी किस्मों की जमीनें होती हैं, उतने हो चक बना दिये जाते हैं।

(३) जी नहीं। इन ग्रामों में पहले से मुरब्बाबन्दी होई हुई थी, व १६-१६ चकों के लिए उनकी मेढ़ पर होकर रास्ते दिये हुए थे जो भूमि एकीकरण विभाग ने कायम रखे।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आने जाने को सुविधा के लिए रास्ते मौजूद हैं।

(५) जी नहीं। क्योंकि ये रास्ते संबंधित काश्तकारों की सुविधा के लिए पहले के बने हुए हैं।

तहसील पीपल्दा में भूमि एलाॅटमेंट

६६१. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा)-क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील पीपल्दा में सन् १९६५ में कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा कितनी भूमि एलाॅट को गई ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि एलॉट की गई ?

उत्तर

(१) तहसील पीपल्दा में उपनिवेशन विभाग द्वारा सन् १६६५ में कोई जमीन एलॉट नहीं हुई। सिर्फ नीलामी द्वारा बिक्री की गई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम जैसूसर में चोरी

६६६. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) -क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तारीख १-११-६३ को ग्राम जेसूसर, थाना नवलगढ़ जिला झुंझुनू में श्योबक्स चौधरी के यहां कोई चोरी हुई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या चोर का पता लगा कर चोरी का माल बरामद कर लिया गया ? यदि नहीं, तो डेढ़ साल का समय बीत जाने पर भी अब तक चोरी का माल बरामद नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या थाना नवलगढ़ की पुलिस इस चोरी का माल गंवाने और चोर को छिपाने का प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं, तो इस चोरी को निकालने के लिए वहां की पुलिस ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस मुकदमें में हरदेवा पुत्र खांगा जाट निवासी जैसूसर को गिरफ्तार किया जाकर उससे माल बरामद करने का भरसक प्रयत्य किया परन्तु माल अब तक बरामद नहीं हो सका।

(३) जी नहीं। संदिग्द व्यक्तियों से मौजूदा एस० एच० ओ० पूछताछ कर रहा है और तफतीश जारी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पति पत्नि दोनो सरकारी नौकरों को एक ही स्थान पर रखना

१३५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)— क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ऐसा कोई नियम या आदेश है कि जिसके अन्तर्गत पति पत्नि दोनों सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं तो उनकी सुविधानुसार एक ही स्थान पर रखा जावेगा ? यदि हां, तो उसका पालन किया जाता है ?

उत्तर

शिक्षा विभाग में यदि पति व पत्नि दोनों ही कार्य कर रहे हों तो जहां तक सम्भव हो सके उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिये ऐसे आदेश दिये गये हैं। इस आदेश का यथा सम्भव पालन किया जाता है।

कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की मांग

१३६. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु.) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रवणलाल)

(१) वर्ष १९६० से ६४ तक सवाई माधोपुर जिले की किस किस तहसील में कितनी कितनी दरख्वास्तें कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराने की प्राप्त हुई और उसमें कितनी कितनी भूमि परिवर्तित की गई ?

(२) इस समय कितनी कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(१) सन् १९६० से ६४ तक सवाई माधोपुर जिले की तहसीलों में व्यक्तिगत, संस्थाओं और पंचायतों की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए व जितनी भूमि आबादी में परिवर्तित हुई वह इस प्रकार है :

नाम तहसील	प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए	भूमि परिवर्तन की गई ।
		बीघा-बिस्वा
हिण्डौन	२४	२२) ३
टोडाभीम	१०	७।) १
नादौती	१	३
चोली	१७	८७) २
सवाईजाधोपुर	२१	३२१।।) ४
सपोटरा	—	—
खण्डार	६	१६।।।) २
गंगापुर	२	१) ४
बामनबास	४	३७) ३
करौली	—	—
महुआ	—	—
कुल	८८	४९१।) ४

(२) इस समय उपरोक्त दरख्वास्तें में से कोई भी विचाराधीन नहीं है ।

रायपुर माध्यमिक शाला में कमरों की कमी

१३७. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या रायपुर (जिला झालावाड़) माध्यमिक शाला में इस समय चार कमरे नये बनाने की आवश्यकता रायपुर माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए है ?

(२) रायपुर माध्यमिक शाला कब स्थापित हुई ? राज्य सरकार द्वारा तब से अब तक नये कमरों के निर्माण पर व भवन मरम्मत पर कितना खर्चा किया गया ?

(३) रायपुर में जितने भी कमरों की आवश्यकता है उसे पूरा करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ? कमरे कब तक बनवा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) माध्यमिक शाला रायपुर में १३ कक्षाऐं हैं जबकि ११ कमरे ही उपलब्ध हैं। सरपंच महोदय ने एक मकान शाला को दिया है जिसमें ३ कमरे व एक बरामदा है जिससे शाला की कठिनाई लगभग हल हो गई है ।

(२) रायपुर में शाला की स्थापना सन् १९०६ में हुई । यह शाला १९४८ में माध्यमिक शाला में प्रोन्नत हुई । यह शाला १९५६ में मध्य भारत सरकार से राजस्थान सरकार के अधिकार में आई इसमें कोई

Page No. 38

(श्री गोविन्दसिंह)

नवीन कमरों का निर्माण नहीं हुआ। मरम्मत के लिये इस वर्ष २०३) रु. तथा पिछले वर्षों में २७६ रु. एवं २७७) रु. की स्वीकृति हुई।

(३) कमरे वहां की जनता द्वारा ही बनवाये जाने चाहिये जो इस मामले में उदासीन हैं। यदि जनता सहयोग दे तो सरकार भी जनता द्वारा इकट्ठे किये हुये धन के समान्तर देने के प्रश्न पर यदि बजट में प्रावधान हो तो विचार कर सकेगी।

हायर सैकण्ड्री पाठशाला, पिड़ावा में फर्नीचर आदि की कमी

१३८. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा):- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि हायर सैकेन्ड्री पाठशाला, पिड़ावा जिला झालावाड़) में जितने फर्निचर व टाट पट्टियां होनी चाहिये, नहीं हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि मुख्य अध्यापक के बार बार लिखने पर भी शिक्षा विभाग द्वारा उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाई नहीं की गई ?

(३) अब उपरोक्त कमियों को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, फर्नीचर की कमी है।

(२) कार्यवाही जारी है।

(३) प्रयत्न जारी है।

(१२. २६ म. प.)

जिला सवाई माधोपुर में शिक्षा विभाग द्वारा हुई नियुक्तियों में अ० जाति एवं अ० जन जातियों के व्यक्तियों को न लेने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रवणलाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, सवाई माधोपुर द्वारा ६५-६६ में जो अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का साढ़े बारह प्रतिशत रिजर्वेशन है वह पूरा नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है और माननीय मंत्री महोदय के पास भेज दिया गया है कि वे इस बारे में विचार करें और ऐसी स्थिति है तो सुधारने की कोशिश करें।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में जो तथ्य हों सदन में रख दीजिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये साढ़े बारह प्रतिशत स्थान रिजर्व रखे हैं इस प्रकार का एक निर्णय किया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, गत साल भी मैंने इस बारे में प्रश्न रखा था जिसके अन्दर डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स

(श्री श्रवणलाल)

ने जितनी नियुक्तियां कीं, करीब २०० व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स का लिया गया है। मैंने उस समय भी यह बताया था कि साढ़े बारह प्रतिशत का जो ढोंग आपने रच रखा है उसके अनुसार कोई नहीं लेता। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, हर साल वहां पर नियुक्तियां होती है। वहां का रेकार्ड उठाकर देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि साढ़े बारह प्रतिशत की घोषणा तो कर रखी है लेकिन एक भी आदमी नियुक्त नहीं किया गया है। इस बारे में कई बार मैं इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से मिला हूँ और इस बारे में मंत्री महोदय से भी मैंने निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यह जो कोटा निर्धारित किया गया है उसको पूर्ण नहीं किया जाता। वहां पर जो इन्टरव्यू लिये जाते है उसके बाद में जिनको लिया गया है उनके नामों का प्रकाशन भी नहीं होता। उसको छिपाकर इसलिये रखा जाता है जो व्यक्ति २०० रुपया तीन सौ रुपया देता है उसका नाम छाप कर निकाल दिया जाता है। इस तरह से एक, दो और तीन तीन महिने तक नियुक्तियां करते रहते हैं। दो सो तीन सो रुपये के बिना नियुक्तियां नहीं होती हैं। आज वहां पर एस. टी. सी. पास शुदा अध्यापिकायें मारी मारी फिरती हैं और अनट्रेण्ड हैं उनको लड़की है उसको उनके विभाग करौली में नियुक्त कर दिया है। ट्रेण्ड अध्यापिकायें मारी मारी फिर रही हैं।

यही हालत अध्यापकों की भी है जो ट्रेण्ड अध्यापक हैं जिन्होंने एस० टी० सी० १९६१ में पास कर ली थी वे तो इधर उधर भटक रहे हैं उनकी जगह अनट्रेण्ड को लिया जा रहा है। इन्सपेक्टर साहब हर अध्यापक को कहते हैं कि × × × ×

मैं बिना किसी से लिए अध्यापक की जगह नियुक्ति नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आप × × × बात न कहें। यह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री श्रवणलाल : मेरा निवेदन यह है कि १२॥ प्रतिशत स्थान शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रिजर्व रख रखा है वह पूरा नहीं किया जाता। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां पर जो कमी है और शुरू से जिस प्रकार की कमी चली आ रही है वह पूरी करें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इस पर कुछ कहेंगे या आगे विचार करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया है। आधार ही नहीं है इन बातों का। मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ।

(१२.३१ म. प.)

उद्योग विभाग के कुछ कर्मचारियों के सरप्लस घोषित करने विषयक स्थग-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री अब्दुल जब्बार ने दी है, जो इस प्रकार है।

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान राज्य के उद्योग विभाग से लगभग ३०० कर्मचारियों को सरप्लस कर उन्हें राजधानी में बुला लिया और उन्हें अभी तक तनख्वाह माह मार्च को नहीं चुकाई गई और साथ ही उन्हें कहीं फिक्स करने का कोई भी आधार तं नहीं किया।

इन कर्मचारियों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ऐसे समय में अचानक विभाग का यह कदम लगभग १५०० इन्सानों में असन्तोष फैलाने में काफी समझा गया है। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। मंत्री महोदय चाहें तो आज या आगे कभी किन परिस्थितियों में सरकार ने ऐसा किया है इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करा दें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं इस बारे में कि इन्डस्ट्री विभाग के कई कर्मचारियों को सरकार ने सरप्लस किया है। वे सेक्रेटेरियट में चक्कर लगा रहे हैं इतना ही नहीं, उनके बच्चे स्कूलों में इस समय पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में उनको सरप्लस कर के जयपुर बुला लेना यह ऐसा खिलवाड़ है कि जिसके लिए सरकार की जितनी भर्त्सना की जाय थोड़ी है। इन्सानियत का नजरिया भी यह सरकार रखती है या नहीं, यही नहीं पता लगता। इन सर्विस वालों की भी कोई स्टेबिलिटी है या नहीं? जिनको दस-दस और आठ-आठ वर्ष काम करते हो गये इस विभाग में आज उनको एकाएक सरप्लस करार दे दीया गया। आज कोई चितौड़ से चला आ रहा है तो कोई किधर से आ रहा है कोई किधर से। टैकनीकल हैण्ड होने के नाते और जिनकी सर्विस १५-१६ और दस-आठ साल की है उनके साथ सरकार का यह रवैया कुछ समझ में नहीं आता और फिर अध्यक्ष, महोदय, आज उनसे कह दिया गया है कि कोई आप लोगों में से यू. डी. सी. बन जाओ, कोई एल. डी. सी. बन जाओ। तो ये लोग ऐसी जगहों पर कैसे काम करें?

एक दम सरप्लस करके बुला लेना, यह कौनसा तरीका है? करना ही था तो बच्चों के स्कूल की पढ़ाई की छुट्टी हो जाती तब कर देते। आज बीबी-बच्चे कहीं हैं तो वे एकाएक यहां आ गये हैं, फिर उनके वेतन का पता नहीं। मार्च की तनख्वाह मिली नहीं आज अप्रेल के कुछ दिन निकल गये। अब कैसे वे अपना खर्चा चलावें। सरकार आगे होकर इस तरह से उनको बेईमानी सिखाती है, या तो वे बेईमानी कर के अपना गुजारा चलावें या ईमानदार बने रह कर भूखों मरें या भगवान भरोसे छोड़कर चले जावें। आखिर यह मसला जो है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कम से कम ऐसे मसले को मजाक समझकर न टाले। ऐसी समस्या न खड़ी करे कि दो सौ, तीन सौ आदमियों पर निर्भर रहने वाले १५०० आदमियों को परेशानी हो। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, उधार लेकर खावेंगे या अपने कपड़े लत्ते जेवर वगैरह रहन रक्खेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस विभाग के आदमी, जो टेकनिकल हैंड भी हैं, के साथ ऐसी खिलवाड़ सरकार न करे और जल्दी से उनके मामले को डिस्पोज आफ किया जावे।

(श्री अ दुल जब्बार)

मेरे पास और भी उदाहरण हैं, पर सदन का लम्बा समय लेना नहीं चाहता । आपकी आज्ञा का पालन करते हुए केवल इतना निवेदन करूंगा कि इसमें अनियमितताएं हो रही हैं । जूनियर आदमी प्रोमोट कर के बांसवाड़ा भेज दिये गये हैं तो कोई कहीं भेज दिये गये हैं जब कि सीनियर आदमी को सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया है केवल इस आधार पर कि वे जूनियर होते हुए भी किसी के रिश्तेदार हैं । भाई भतीजे हैं । ऐसे शासक आज इस प्रशासन तन्त्र को भ्रष्ट कर रहे हैं तो इन चीजों को भी आप एग्जामिन कर लें ।

आयुर्वेदिक सेवाश्रम, उदयपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री विजयसिंह झाला ने दी है; उदयपुर में हड़ताल चल रही है इसके संबंध में । संबंधित मंत्री महोदय, को इसकी सूचना भेज दी गई है । लेकिन वे अभी तक तथ्यों से अवगत नहीं हुए हैं इसलिए सदन में जवाब नहीं दे सके । मैं आशा करता हूं कि वे किसी उचित समय पर सदन में अपना स्पष्टीकरण देंगे ।

विधान सभा के नौ निलम्बित सदस्यों की अवधि समाप्त करने सम्बन्धी मूल-प्रस्ताव

एक प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह और श्री हरिराम चौहान ने दी है । जो इस प्रकार है :

तारीख २ मार्च, ६६ को इस सदन द्वारा ६ विधायकों को सत्र की समाप्ति तक मोअत्तिल करने का जो प्रस्ताव पास किया गया है उसकी अवधि आज ही समाप्त की जाती है !

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है आज का दिन गैरसरकारी संकल्पों पर विचार करने के लिए निश्चित किया गया था । लेकिन चूंकि यह प्रस्ताव एक विशेष महत्व का है इसलिए मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले यह जानना चाहूंगा कि इस पर बहस कुछ थोड़े समय के लिए आज या भविष्य में कभी की जावे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हम इस प्रस्ताव को बहस के लिए नहीं लाना चाहते न बहस करने का हमारा विचार है ।

प्रश्न केवल इतना सा है कि सदन के जिन माननीय सदस्यों को सदन से निकाल दिया गया उनको वापिस किस प्रकार लाया जावे या सरकारी पक्ष के साथ बैठकर मसले पर विचार किया जा सकता हो तो बहस की आवश्यकता नहीं रहेगी । अब बहस की जावे या बैठकर बातचीत कर के रास्ता निकाला जावे यह सब कुछ मैं आपके डिस्क्रेशन पर छोड़ता हूँ । आप अगर यह चाहें कि बहस के द्वारा यह लाये जावें या सरकारी पक्ष के साथ बैठ कर बात कर के लाये जावें तो हम बहस करने को तैयार हैं अगर आप कहें । आप सदन के कस्टोडियन हैं । इसमें विरोधी दल या सरकारी पक्ष का सवाल नहीं उठता । सवाल इस सदन के सदस्यों को वापिस बुलाने का है । इसके लिए आप जैसा उचित समझें आदेश दें, हम उसी प्रकार करने को तैयार हैं ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय भैरोंसिंह जी ने बताया है, मैं भी करीब करीब उसी मत का हूँ। हम यह उम्मीद करते थे कि सरकारी पक्ष ही इस बारे में विचार करे। इतनी बड़ी तादाद में ८ माननीय सदन के सदस्यों के मामले में जब सरकार अपनी जिद्द पर बिल्कुल अड़ी रही तो दूसरे भी कुछ माननीय सदस्यों को इस सदन का बहिष्कार करना पड़ा। इस तरह की जब स्थिति है और सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर आज ऐसी स्थिति है, इसका राजस्थान के लिए बुरा असर पड़ रहा है। राजस्थान में जगह जगह सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और वह एक चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरा एक महिना से भी ज्यादा अर्सा इस बात को हो जावे तो सरकार से खुद वह उम्मीद की जानी चाहिये थी और हम समझते थे कि थोड़े दिनों के बाद ही जब सरकार का गुस्सा ठंडा हो जावे तो खुद ही उनकी तरफ से इस तरह कारिजोल्यूशन आवे। पर वह नहीं आया तो सवाल बहस का नहीं है कि हम इस पर बहस करना चाहते हों। एक घंटे की करनी चाहते हो या दो घंटे की करनी चाहते हैं या पूरे दिन की बहस मांगना चाहते हों।

हम इस सवाल पर तमाम जितने आँपोजीशन के लोग हैं एक भावना रखते हैं। अपोजीशन के लोग नहीं, वे तो पूरी तरह से सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो भी प्रजातान्त्रिक तरीका होता है, उन तरीकों से व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी यद्यपि कांग्रेस के लोगों पर पाबन्दी है, वे भी इस बात को महसूस करते हैं कि यह जो भी कुछ हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। और इस पर दुबारा विचार करना चाहिये।

जैसा कि विरोधीदल के नेता ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में सरकार के सामने यह चीज रक्खी थी हम समझते हैं कि वे एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और तमाम विरोधी लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। उस वक्त भी सरकार के सामने मौका आया था जब महारावल साहब ने सवाल उठाया था कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे और पूरी तरह से उस पर अमल करे। तो इस तरह से ......

(कुछ माननीय सदस्यों के परस्पर बातचीत करने पर) बातें हो रही है...'

श्री अध्यक्ष : बातें मत कीजिये।

श्री **हरीराम चौहान** : तो यह बड़े महत्व का सवाल है। चाहे इस पर आप आज ही बहस करें या कल करें। यह तो होना नहीं चाहिये कि एक रोज चला गया इस तरह से और दिन चले जावें। १४ तारीख का टाइम इस तरह से निकल जाय। कल मुख्य मंत्रीजी दिल्ली चले जावें तो सूनी सराय यहां हो जावे उधर के लोग जवाब न दे सकें या गम्भीरता से विचार न करें। उसमें टाइम नहीं जाना चाहिये बल्कि पूरी तरह से गम्भीरता से इसके ऊपर विचार करके उनको लाने का वातावरण बनाना चाहिये। जितनी जो कुछ सजा दी गई है वह हद से ज्यादा हो चुकी है और उससे तो आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे निवेदन यह करना है कि जो प्रस्ताव

Page No. 43

(श्री मानसिंह महार)

जनसंघ के नेता की ओर से आया है मुझे बहुत खुशी है क्योंकि स्वतंत्र पार्टी के नेता और स्वतंत्र पार्टी के सदस्य तो इस चीज के लिए शुरू से ही तैयार हैं। यहां तक को तो हमने तो सदन से वाक आउट भी इस मसले पर किया है। लेकिन आज कोई नई बात ऐसी क्या पैदा हुई कि अविलम्ब आज ही उनको बुला लिया जाये। इस प्रकार की बात जनसंघ के नेता ने रखी इसको सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह क्या पैंतरेबाजी है मेरे समझ में तो नहीं आई....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :- राजनैतिक गठबन्धन है।

श्री मानसिंह महार : गठबन्धन नहीं है। लेकिन कुछ मजबूरियों में हो सकता है कि जनसंघ के माननीय नेता ने यह प्रस्ताव रखा हो। लेकिन सदन के अन्दर इस प्रकार का मोशन वह एकाएक लाये इसके लिए तो बता दिया है लेकिन उनसे पूछना चाहूंगा कि एकदम जब हममें से बातचीत करने को वह उत्सुक रहा करते थे, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन जिस तरीके से यह चीज सदन के सामने आई तो एक तो यह तरीका हो सकता है कि कुछ खास सोशियलिस्ट के या साम्यवादियों के बीच कुछ समझौता हो गया हो गत रात्रि में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गत रात को १२ बजे तक हम आपके घर में थे।

श्री मानसिंह महार : मुमकिन है वहां पर कुछ गठबन्धन कर लिया हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गठबन्धन कैसे कर लिया हो, हम तो आप लोगों के ही झगड़ों को निपटा रहे थे। इनके साले साहब अध्यक्ष महोदय घर से रूठ गये थे और उनको मना कर लाया गया। इनसे माफी मांगी, पैरों पड़े और फिर मना कर और उनको समझा कर ले आये।

श्री भैरोंसिंह : साले और बहनोई का गठबन्धन है।

श्री मानसिंह महार : यह ऐसी बात नहीं है। भैरोंसिंह जी हमेशा कहते आये हैं कि स्पीकर साहब से चेम्बर में ही बैठ कर यह मसला तय करना चाहिए लेकिन आज यह नया नजारा हमारे सामने आया। लेकिन इसके लिए हमारा विरोध कहीं नहीं रहा। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि भैरोंसिंह जी कितने सिन्सियर हैं। उनको मालूम है कि मुख्य मंत्री जी नहीं हैं और फिर दो दिन की छुट्टी आ गई तो ३ दिन के ऊपर तो बात गई। अब समय बीता और समय में फैसला होगा नहीं। सोमवार बीता मंगलवार बीता और सीन को फैसला होगा नहीं क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब उस दिन तो आयेंगे ही और फिर उनको बताया जाएगा और मंगल भी बीत जायेगा तो या तो यह कमेटियों में वोट इधर उधर करने की बात है या क्या है ? जनसंघ के नेता सदन को बतायें तो हो सकता है। ऐसा मोशन आया है तो गवर्नमेंट को भी साउन्ड किया जाये और कम से कम विरोधी दल वालों को तो साउन्ड कर लेते। मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत फहमी पैदा न हो, इस चीज से बहुत असन्तुष्ट हैं कि उनको सदन से बाहर रखा जाये। लेकिन भैरोंसिंह

Page No. 44

(श्री मानसिंह महार)

जी के विचारों के माफिक इस बात का भी गुनाहगार हूं कि इस चीज को ग्राज दिन तक इस सदन में नहीं लाये । यह मैं ग्रपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ग्राज मेरी पोजिशन फाल्स होती है। मेरे समाजवादी मित्र यह कहते हैं कि देखो ग्राप कितने दिनों से यह कह रहे थे । लेकिन यह जो तौर तरीका है जनसंघ के नेता का ग्रभी सुबह भी कागज मेरे पास भेजे । मैंने कहा कि विरोधी दल के नेता से दस्तखत करा लें ग्रौर उनके दस्खतों के बिना हम नहीं देंगे । ग्रौर ग्राज सी. एम. साहब नहीं हैं ग्रौर इसको स्थगित कर दिया जाये ग्रौर बातचीत के जरिये यह चीज तय हो जाये तो ग्रच्छी बात है वरना मेरे समाजवादी ग्रौर साम्यवादी लोग दो दिन के लिए क्या करेंगे । यह तो झूठी खुशामद है, ग्रध्यक्ष महोदय । लेकिन इस प्रकार की ग्रण्डर हैंड बात जनसंघ के नेता यहां रखते हैं-मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ । यह तो गुडविल गेन करने की बात रखी है ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मानसिंहजी ने जो कुछ शिकायत की मुझे उसके संबंध में कुछ नहीं कहना । उसके लिए निवेदन केवल इतना करना है कि उस प्रस्ताव के ऊपर इतने भी दस्तखत करा लिए जायें ताकि इनका नाम भी ग्रा जाये ग्रौर ये भी गुडविल के भागीदार हो जायें । लेकिन यह प्रस्ताव ग्राज रखने की नौबत क्यों ग्राई इसके लिए उन्होंने कुछ कहा है । इसके लिए मैं कुछ कहूंगा कि २-मार्च, १९६६ को जब सदन के ६ माननीय सदस्यों को इस सदन के द्वारा पारित प्रस्ता के द्वारा इस सदन से निष्कासित किया तो उस प्रस्ताव में लिखा था कि इस सदन के सत्र के ग्रन्त तक उनको निकाला जाये ग्रौर उस समय तक ७ ग्रप्रेल तक ही सत्र चलने वाला था ग्रौर ७ ग्रप्रेल का दिन कल समाप्त हो गया तो सदन की ऐसी मंशा थी कि इनको पनिशमेंट सत्र के ग्रन्त तक याने ७-ग्रप्रेल तक का दिया जाये ग्रौर ग्राज ८ ग्रप्रेल हो गई ऐसा काज ग्रॉफ एक्शन ग्राज ग्राराइज हो गया कि ७ ग्रप्रेल तक पनिशमेंट देने का सदन ने उस प्रस्ताव के द्वारा एनवीसेज किया था । लेकिन ग्रब सदन का समय ७ ग्रप्रेल से भी ज्यादा बढ़ गया ग्रौर कल को मई तक सदन का समय बढ़ जाये तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मई के ग्रन्त तक उनको सदन से बाहर रखा जाये । इसलिये यह काज ग्रॉफ एक्शन ग्राज ८ तारीख को पहली बार पैदा किया है । इसलिए यह प्रस्ताव जनसंघ के नेता की ग्रोर से ग्रापके सामने ग्रध्यक्ष महोदय, पेश किया गया है । ग्रापने काल ग्रटेन्शन का नोटिस दिया ग्रौर मैं समझता हूं कि ग्रापकी भी भावना है यह केवल दस्तखतों का ही मामला है तो ग्राप भी ग्रब इस पर दस्तखत कर दिजिये । मैं कहता हूँ कि ग्रध्यक्ष महोदय, यदि इसके कोई रूल भी हों तो उसको रिलेक्स कर दिया जाये । ग्रब दिक्कत यह हो गई कि लीडर ग्रॉफ ग्रपोजीशन ग्राये नहीं ग्रौर ग्राप बिना उनके दस्तखतों के दस्तखत करते नहीं हैं ।

ग्राज ग्राप गुडविल की बात तो करते हैं उस दिन ग्रापके भी नेता महोदय ने भी कुछ बातें कही हैं । धर्मसंकट हम जनसंघ वालों के साथ है हम स्वतंत्र पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ रहना चाहते हैं, हम उनके

Page No. 45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सचेतक के साथ रहना चाहते हैं और जनरल सेक्रेटरी भी जो इनके साले हैं, दावत खाने ये हमें बुलाते हैं और झगड़े निपटाने हमारे गले पड़ जाते हैं। इसमें न तो कोई चुनाव का सवाल है और न पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी या एस्टीमेट्स कमेटी के वोट लेने का सवाल है। वोट देने के लिए तो दावतें दी जाती हैं क्योंकि प्रस्तावों से वोट नहीं मिलते। यह पांच पांच सौ रुपये का खर्च कौन करता, यह दावत आपने कल दी है उसके पीछे हो सकता है कोई ऐसी बात हो। लेकिन हमारे लिए प्रस्ताव करने का पहला मौका है और इसको प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं बना कर, मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को इसके ऊपर विचार करना चाहिये। आज उनको जो पनिशमेंट दिया गया है जिसकी मांग हम करते आये हैं वह जरूरत से ज्यादा है और पनिशमेंट का पीरियड कल समाप्त हो गया और अब उनको वापिस बुला लिया जावे। यह न तो सरकारी और न गैर सरकारी कार्य का प्रश्न है और मैं सचेतक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो कुछ उनको कहना था कह दिया, स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया इसलिए वह भी चाहें तो इस पर दस्तखत कर दें और मुझे विश्वास है कि इस सारे प्रश्न के ऊपर उनका भी समर्थन इस सदन में मिलेगा। इसलिए बिना किसी विवाद के यह मामला तय हो जाये वह ज्यादा अच्छा हो। घन्टे दो घन्टे बैठकर चैम्बर में बात कर सकते हैं और आज का दिन जो गैर सरकारी कार्य के लिए रखा है जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो राज्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर करने का प्रश्न है और जिसका प्रस्ताव जनसंघ के नेता ने रखा है उस पर यह सदन विचार करेगा। इसलिए इस समय इस सारे विवाद में नहीं जाया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर, अध्यक्ष महोदय, जैसी आपकी आज्ञा होगी वह मान्य होगी।

श्री मानसिंह महार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ जनसंघ के अध्यक्ष ने कहा उसको ताईद में करता हूँ लेकिन वह इतना ही कहना है कि इससे अधिक महत्वपूर्ण उस पक्ष की ओर बैठने वाले लोगों की तरफ से एक गवर्नर के खिलाफ रिजोल्यूशन भी आया हुआ है तो उसको अगर सदन में लेकर प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर किया जावे, ये ज्यादा जरूरी है पहले इसके कि उन सदस्यों को यहां बुलाया जावे। उसको मैं अधिक महत्व पूर्ण मानता हूं।......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका समर्थन करता हूं और जरूर लाया जावे।

श्री मानसिंह महार : और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव को दिये भी आज महीना भर हो गया है और जो वह विशेषाधिकार का प्रश्न है उसको मैं अधिक अहमियत देता हूं और मैं समझता हूँ कि अविलम्ब उनको सदन में बुलाया जाये, उसके पहले अविलम्ब जो हमारा प्रस्ताव है उसको सदन में रखकर प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाये क्योंकि एक अद्वितीय घटना है और यह ऑल इन्डिया प्रश्न है। अगर हमारे यहां प्रिविलेज बोडी कोई फैसला करेगी वह भी ऑल इण्डिया लेवल का फैसला होगा और उसमें आपकी भी काफी राय वगैरह लेनी पड़ेगी। इसलिए उस मसले को पहले लिया जाय। मेरा मस्तिष्क अभी

(श्री मानसिंह महार)

तक क्लिअर नहीं है इस मामले में इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रिविलेज मोशन पेंडिंग है उसको पहले लिया जाय और उसके बाद में भैरोंसिंहजी ने जैसा कहा है उसको भी लिया जाय, यानि मैं समाजवादी या साम्यवादियों के इस सदन में वापिस आने के विरुद्ध नहीं हूं । जिन लोगों ने इसका प्रस्ताव दिया है उससे भी अधिक मैं उनका हामी हो सकता हूं, लेकिन जहां तक दो साम्यवादियों का सवाल आता है, जो देश के अन्दर तोड़-फोड़ करते हैं, देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करते हैं उनको बचाने का जहां प्रश्न आता है मैं उसका कट्टर विरोधी हूं । मैं यह बताना चाहता हूं कि यह....

श्री भैरोंसिंह : इलेक्शन एडजस्टमेंट के सिद्धान्त को तो स्वीकार कर लिया है उसके साथ में ।

श्री मानसिंह महार : इलेक्शन एडजस्टमेंट की बात को तो छोड़िए । इलेक्शन एडजस्टमेंट तो कई लोगों में होते हैं । इलेक्शन के स्टण्ट को मैं इस सदन में नहीं लाता हूं । इलेक्शन के अन्दर तो औरत और मर्द के अन्दर भी टक्कर हो जाती है और हजारों तरह के एडजस्टमेंट भी हो जाते हैं । तो इस बात का उदाहरण देकर अगर आपने कोई गलत काम किया है, गलत तरीके से कोई बात कर दी है तो उसको छिपाने की कोशिश मत कीजिए । मैं अर्ज करता हूं कि हम कोई स्टण्ट उठाना नहीं चाहते हैं, हम उनका जरूर समर्थन करेंगे, सरकार इसको उचित समझे तो । और जो यह सात-आठ तारीख को सत्र के अन्त होने की बात निकाली गई है, यह तो वकीलों वाली चाल है । चूंकि सात को सत्र खत्म होने वाला था इसलिए आठ तारीख को रख दिया, क्या अच्छा तरीका है । जब यह सोच लिया गया कि इस सत्र में नहीं आने देंगे, इतनी हम सजा देंगे तो फिर चाहे सत्र महीना चले और दो महीना चले, यह कोई तरीका नहीं है । या तो उसी दिन कर देते कि एक महीने के लिए सजा देंगे या इतने दिनों के लिए हम सजा देते हैं । लेकिन यह कुछ नहीं हुआ है । इन सब बातों के बाद में जो यह कहा गया कि आज तो सरकारी कर्मचारियों का सवाल आ रहा है तो इन बातों में कोई तथ्य नहीं है । यह तो आते हैं रोज और जाते हैं । रोज ही जो मसले सदन में आते हैं मैं उन सब मसलों को अहम मानता हूं, अध्यक्ष महोदय । आज ही कोई विशेषता की बात नहीं है । सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न पहले भी आया था और उसका हमने भी समर्थन किया है । यह कह देना कि चूंकि जनसंघ के नेता ने प्रस्ताव यहां रखा है इसलिए उसकी अहमियत बढ़ गई है, यह कोई तरीका नहीं है । इससे तो जो महिलाओं के समान अधिकार का प्रश्न है, इसका जो प्रस्ताव है वह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले को यहीं रखा जाय और इसे आपसी बातचीत में तय कर लिया जाय । इसमें अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वह गवर्नर के खिलाफ जो विशेषाधिकार का प्रश्न है; जिसे काफी दिन हो गए हैं, वह आपके पेड में रखा हुआ है उस पर अगर आप फैसला करके कोई विशेषाधिकार कमेटी बनायेंगे तो जो विशेषाधिकार की कमेटी होगी उसको भी कुछ काम होगा और वह एक बहुत अहम

(श्री मानसिंह महार)

मसला है। और अब कमेटियों के नोमीनेशन्स होंगे उनमें नई कोटी अच्छी आए और इस मसले को बहुत अच्छी तरह से देखें और अध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते हैं कि आप भी इस मसले में हमको गाइड करें। यह बहुत अहम बात है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भैरोंसिहजी का प्रस्ताव है उसको लेने से पहले जो विशेषाधिकार का प्रश्न है उसको इस सदन में पहले निपटाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सैकंड, साहब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेंडिंग है उसको पहले लिया जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है, मानसिंहजी महार साहब। अगर इसको पहले लिया गया और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रश्न खड़ा कर दे कि जिस माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव की सूचना दी थी वह माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस हाउस में पूछे नहीं जा सकते, जिन प्रश्नों की सूचना उन्होंने दी थी उनको इस हाउस में रखा नहीं जाता, उनके नाम के जो मोशन थे वे सब लेप्स हो गए हैं, वे हाउस में कुछ भी नहीं रख सकते। उसी तरह से अगर कोई मेम्बर हाउस के अन्दर मूव कर दे कि उनके नाम के जितने भी मोशन थे वे सब लेप्स हो चुके हैं, उनको यहां नहीं रखा जा सकता तो उनके नाम के साथ ही वह मोशन भी प्रेक्टिकली खत्म हो गया मान लिया जाएगा। यह कानून की स्थिति है श्रीमान्! इसलिए यह प्रस्ताव पहले रखा गया है भैरोंसिहजी के द्वारा कि उनको पहले हाउस में बुला लिया जाय और फिर इस प्रस्ताव पर निर्णय हो। यह टेक्निकल, कानूनी, रूल का लीगल मामला है, इसकी सलाह मुझ से ले लिया करें।

श्री मानसिंह महार : ये तो मेरे लीगल एडवाइजर हैं ही।

श्री भैरोंसिंह : इन बातों को माननीय सदस्य ने सोचा ही नहीं होगा ?

श्री मानसिंह महार : आपने तो रखते समय सोचा होगा।

(श्री भैरोंसिह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस तो है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य को एक क्लेरीफिकेशन कर दूं। उनको इस बात की आपत्ति है कि इस प्रस्ताव को मैंने रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लेता हूं और माननीय सदस्य अपने दस्तखतों से प्रस्ताव प्रेषित कर दें। शायद माननीय सदस्य को यह मिसअण्डरस्टेंडिंग है कि इसमें कोई प्रतिष्ठा मिलने वाली है जो मुझे मिल जाएगी और ये उससे वंचित रह जायेंगे। कल आपके मकान पर ही मुझे इस प्रकार की जानकारी दी गई थी कि कुछ माननीय सदस्यों ने विरोधी दल के नेता से इस सम्बन्ध में बातचीत कर ली है और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक सब्स्टेंटिव मोशन सदन में प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने सदन में सब्स्टेंटिव मोशन मूव करने की स्वीकृति दे दी है। मैंने आज जो इस मोशन को मूव किया तो उस समय मेरे दिमाग में भी यह बात थी कि आज चीफ मिनिस्टर

(श्री भैरोंसिंह)

साहब भी यहां पर मौजूद नहीं है और बाकी मन्त्रिमण्डल में कोई ऐसा नहीं है जो इस पर निर्णय ले सके, ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैंने निवेदन किया कि पहले इस मामले पर चाहें स्पीकर साहब के चेम्बर में विचार हो, चाहे और किसी तरह से इस पर विचार कर लिया जाय। और इसी निष्कर्ष के आधार पर मैंने यह सब्स्टेंटिव मोशन मूव किया है। आप कहते हैं कि आप भी उनको वापिस लाने का समर्थन करते हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे तो यह स्वतन्त्र पार्टी का कितना समर्थन उनको प्राप्त है यह तो आपकी बातों से ही प्रकट हो गया है....

श्री मानसिंह महार : हम तो आपसे भी आगे जायेंगे, अगर हमारे सब्स्टेंटिव मोशन को सरकार नहीं मानेगी तो हम हाउस का बहिष्कार कर देंगे। हम उनकी तरह लिप-सिम्पैथी नहीं बताना चाहते।

श्री भैरोंसिंह : वह तो अभी आपने जो कुछ कहा उससे भी प्रगट हो गया है कि आपकी कितनी सिम्पैथी है। इसलिए मैं दिवेदन करता हूं कि इसमें जो कुछ करना हो वह कर लिया जाय और फिर आगे का बिजनेस लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है ...

(श्री माथुर साहब का गला खराब होने से आवाज साफ नहीं आ रही थी)

श्री मानसिंह महार : किसी और को बोलने दिया जाय, हम समझ नहीं सकते।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अस्पताल में भर्ती हो जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अस्पताल में जो जा रहे हैं उनकी हालत तो हम जानते है, लेकिन जो जेलो में रहे हैं वे मोटे हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : लाल हो रहे हैं लाल।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव कुछ माननीय सदस्यों की ओर से रखा गया कि जो पहले प्रस्ताव नौ माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही से अलग रखने के लिए पारित किया गया है उसको आज समाप्त किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर पहले एक बार ध्यान आकर्षित किया गया था और उसके बाद में हमने इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा हाई कोर्ट में जो रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी उसके नतीजे का इन्तजार किया था। उसका जजमेंट मिला और जजमेंट को हमने पढ़ा और उसके पढ़ने से कई बातें स्पष्ट हो गई। एक बात यह स्पष्ट हुई कि जो उन्होंने उस रोज प्रदर्शन किया था वह इम्प्रोपर था, इन्डिसेंट था और मर्यादाओं से परे था।

अब सवाल हमारे सामने यह आता है कि ऐसी हाई कोर्ट की रूलिंग होने के बाद जिसमें उनको दोषी पाया है, अब उनको वापिस सदन की कार्यवाही में आज ही ले लिया जाय, यह प्रश्न विचारणीय है।

(श्री रामप्रसाद लडढा)

(१ म० प०)

मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो पहले भी कई बार निवेदन किया जा चुका है । उस समय शायद वे समझते थे कि जो कुछ उन्होंने स्टेण्ड लिया है वह सही है । लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद जो कुछ स्टैण्ड उन्होंने यहां लिया था या हाई कोर्ट में लिया गया था वह गलत पाया गया । ऐसी सूरत में उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए । यही पहले हमने कहा था कि यदि वह सदन के अन्दर क्षमा-याचना कर लें तो उसी वक्त कार्यवाही में शरीक हों । हमें कोई एतराज नहीं बल्कि खुशी होगी ।

अब जिन माननीय सदस्यों को वापिस लाने के लिए यह प्रस्ताव रखा जा रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद उन माननीय सदस्यों ने जो कुछ किया उस पर उन्हें पश्चाताप है या नहीं, उस पर रिग्रेट शो करने के लिए वे तैयार हैं या नहीं । अगर वे रिग्रेट शो करें तो आज नहीं अभी इस सदन की कार्यवाही में शरीक हो सकते हैं, और हमने इस सम्बन्ध में एतराज नहीं किया । लेकिन जो कुछ हुआ उसके बारे में रिग्रेट शो नहीं किया जाय, पश्चाताप नहीं किया जाय उस समय तक इस चीज का समर्थन करने के लिए मेरे सामने और सरकार के सामने कोई खास वजुहात नजर नहीं आते हैं । इसलिए हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पनिशमेंट दे दें ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह और श्री हरिराम चौहान ने रखा है । उन्होंने और माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनमें यह कहा गया है कि इस प्रश्न पर केवल एक औप-चारिक प्रस्ताव के द्वारा ही तय न करें । इसका हल आपस के विचार-विमर्श के द्वारा निकाला जाय । मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोशिश पहले भी की गई है । विरोधी पक्ष के माननीय नेता सदन में इसका उल्लेख कर चुके हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में इस तरह की भावना व्यक्त की थी कि उनकी कोई ऐसी मन्शा नहीं है कि इन सदस्यों को इतने बड़े काल के लिए सदन से निष्कासित किया जाय, और फिर भी एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है । तो जितना जल्दी उसका हल निकल सके—इस प्रकार का हल जो कि सर्वमान्य हो, तो समझता हूं कि बहुत ही उचित बात होगी । जैसा कि अभी माननीय सदस्यों को पता है माननीय मुख्य मंत्रीजी भी आज यहां नहीं है और विरोधी पक्ष के माननीय नेता भी आज यहां नहीं है, और उनमें आपस में विचार-विमर्श करने में कुछ समय लगेगा । इसलिए मैं यही आशा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके विभिन्न पार्टियों और दलों के जो मुख्य सदस्य व नेतागण हैं वे जल्दी से जल्दी इस विषय पर अपने विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दें और इसी भावना के साथ बातचीत करके कोई सुगम हल इस समस्या का मिल सके । इस प्रस्ताव को तब तक सुरक्षित रखा जायेगा जब तक कि अन्य विषय पर कुछ निर्णय न हो जाये ।

एक माननीय सदस्य ने एक बात और उठाई है कि विशेषाधिकार का प्रश्न है उस पर जल्दी निर्णय होना चाहिये । उस पर

(श्री अध्यक्ष)

जो भी निर्णय होगा आगामी सोमवार को उसकी घोषणा कर दी जायेगी।

(करतल ध्वनि)

विधायी कार्य ।

(१.०४ म० प०)

राजस्थान कृषि उपज विपरिण (वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६

श्री भीमसिंह (उप मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपरिण (वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई सम्बन्धी व्यवस्था–प्रश्न

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : On a point of order, sir, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कॉमरेड मोहन पूनमिया और उनके दो साथियों को अभी तक भारत रक्षण कानून के अन्दर करीब १६ महीनों से बन्द कर रखा है। राजस्थान सरकार ने उनके दूसरे साथियों को छोड़ा है इसलिये सरकार को यह चाहिये, पाइन्ट ऑफ आर्डर इसलिए है कि सरकार की यह भेद–भाव की नीति है। एक ही रात को गिरफ्तार किया गया, एक ही तारीख को गिरफ्तार किया गया, एक ही इल्जाम के ऊपर, वह बताते हैं, गिरफ्तार किया गया तो उनको जो पहले छोड़ा और उनको जो नहीं छोड़ा उसके बारे में सरकार को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण करना चाहिए कि अब इनको इसलिए बन्द किया हुआ है। अभी तक, अध्यक्ष महोदय, जिस कानून के अन्दर वे बन्द हैं, वह कानून एक बड़ा ही बदनाम कानून है। वह कानून आम लोगों के प्रजातान्त्रिक अधिकारों को हनन करता है। उस कानून के अन्दर किसी भी अदालत के अन्दर आदमी नहीं जा सकता। कहीं भी हाई कोर्ट या सुप्रीमकोर्ट के अन्दर उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत ही एक अहम सवाल पैदा होता है, असेम्बली के अन्दर हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार ने उनके ऊपर क्या आरोप लगाये हैं? अभी तक उनको क्यों नहीं रिहा किया गया? १५-१६ महीने के बाद भी सरकार कोई भी जवाब नहीं दे। बाहर पत्रकारों से कोई बात कहे कि हम बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं और इन तीन लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण इस सदन के समक्ष आना चाहिए और यह एक बहुत ही ऐसी एतराज-तबल बात है।

नन्दाजी ने मनगढ़न्त आरोप लगाये और उन्होंने अपनी तरफ से आरोप लगाकर सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर हजारों आदमियों को बगैर मुकदमा चलाये नजरबन्द कर दिया। उसके बाद जब राजस्थान सरकार से यह पूछा गया कि आप अलग अलग उन आरोपों की लिस्ट दें, अलग–अलग उनकी क्या गतिविधियां हैं उनके आधार पर आप कोई स्पष्टीकरण करें, तो कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया इस सरकार की तरफ से। आज भी उसी तरह की स्थिति चल रही है और यह स्थिति कोई बरदाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए आपसे यह दरख्वास्त है कि आप सरकार

Page No. 51

(श्री हरिराम चौहान)

से यह कहें कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण करें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह से किस मसले पर बात उठी है यह तो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन सरकार की अक्ल के दिवाले का नमूना है कि आज ऐसे आदमियों को जेल से छोड़ दिया जो कि फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं, जिसके लिए हम कहते आ रहे हैं कि इन लोगों को घाटगेट पैलेस में आराम करने दो, ये वहां पर मोटे हो रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं । लेकिन फिर भी इस सरकार की अक्ल का नमूना है कि क्यों एक को ही छोड़ दिया और बाकी को पकड़ रखा है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमंत्री,गृह) : (श्री हरिराम चौहान से) हमें क्यों दिलाते हो गालियां ?

श्री मानसिंह महार : मेरा सरकार पर आरोप है, जब उनको गिरफ्तार किया गया है उस दिन से आज क्या परिस्थितियों में फर्क आ गया है ? कोई खास फर्क आ गया हो तो सारे डिटेन्यूज के लिए आया होगा । किसी पर्टिक्यूलर आदमी को क्यों छोड दिया ? मैं आपसे कहता हूं कि आप इस प्रकार से गलत काम करते हैं उससे यह जो तोड़ फोड़ की टेन्डेन्सी है उनको प्रोत्साहन देते हैं । आप छोड़ें तो सब को छोड़ें ...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : On a point of Order,sir यह बहुत किस मुद्दे पर हो रही है ? अभी गैर सरकारी संकल्प बाकी हैं तीन, तो फिर हमारा समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री मानसिंह महार : उन्होंने पोइंट रखा है, तो मैं भी बोलूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये फेलो ट्रेवलर्स को छुड़ाने की बात कर रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : उनको अगर नहीं छोड़ा जाए तो इनको भी वापस पदार्पण यहां करा दें । मैं तो यह कहना चाहता हूं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि भारत–सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अभी तक कई लोगों को पकड़ रखा है, उसके बारे में सरकार की क्या नीति है उसके बारे में वे जानना चाहते हैं । सदन में भी पहले इस विषय में विचार व्यक्त किये गये हैं और वह निश्चित रूप से है कि यह एक गैरमामूली कानून है भारत–सुरक्षा के सम्बन्ध में । कुछ व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है, कुछ किये जा रहे हैं । अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी उपयुक्त समझते हों तो जब तक सदन चले इस सत्र के दौरान इस स्थिति पर जो सरकार की नीति या आंकड़े हैं इस सम्बंध में अगर वह ठीक समझें तो सदन के सामने रखें ।

(विराम)

(श्री भीमसिंह से) आप अपना प्रस्ताव वापिस रखें ।

राजस्थान कृषि उपज वेधकरण उपबन्ध विधेयक, १९६६ ।

(पुरःस्थापन ।)

श्री भीमसिंह (उप मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (वेधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९-६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भीमसिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : गैर सरकारी संकल्प ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यों का विवरण इत्यादि (सदन की मेज पर रखना)

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, विद्युत): अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८ की धारा ७५ (१–६) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन विद्युत अधिनियम, १९४८, की धारा ६९(५) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष, १९६२–६३ एवं १९६३–६४ के सम्बंध में लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेखा प्रतिवेदन ६४–६५ का नहीं है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : सन् ६४–६५ की ऑडिट रिपोर्ट ए० जी० के यहां से प्राप्त नहीं हुई है ।

अशासकीय संकल्प

(१) अकाल सहायता कार्यों में कार्यरत पुरुष एवं स्त्री मजदूरों को मजदूरी देने बाबत

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आज की कार्यसूची में तीन गैर सरकारी संकल्पों को विचार करने के लिए यहां पर लाया गया है । नं० २ और ३ प्रस्ताव करीब करीब एक ही प्रकार के हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे यह सुझाव दिया है कि इन दोनों पर साथ बहस की जाय । मैं समझता हूं यह उपयुक्त होगा कि इन पर साथ बहस की जाय । यदि आवश्यकता हुई तो मतदान जुदा जुदा किया जा सकता है । इस प्रकार समय का वितरण रहे कि पहले प्रस्ताव पर कितना समय लें ताकि दूसरे पर भी समय मिल सके इसको ध्यान में रखकर समय निर्धारित किया जाय...........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहला प्रस्ताव किस वक्त डिस्पोज ऑफ हो जायगा, ५ बजे तक तीनों प्रस्तावों के लिए समय बराबर विभाजित कर दिया जाय ।

श्री मानसिंह महार : दो प्रस्तावों में टाइम डिवाइड कर दिया जाय, यही परम्परा रही है। बहुत कम टाइम दिया जायगा तो तीनों प्रस्तावों के साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे; इसलिए पहले और दूसरे पर बहस हो जाय, मतदान हो जाय। यदि टॉकआउट करना है तो तीनों के लिए घंटा घंटा भर का समय कर दिया जाय। मैं समझता हूं, पहला प्रस्ताव अहमियत रखता है इसलिए पहले और दूसरे पर बहस हो जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : समय का डिस्ट्रिब्यूशन बराबर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव पर सम्पूर्ण कार्यवाही ३ वजे तक समाप्त कर दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : ३ वजे तक तो बहुत हो जायगा, अभी सवा बजे हैं, दो घण्टे बहुत हो जावेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय सदस्यों की भावना भी देखनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्यों की भावना यह है कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में डिस्कशन नहीं हो?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो इम्पोंटेंट मसला है उस पर पहले विचार हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : रात को १२ बजे तक बैठेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : क्या अकाल पीड़ित मजदूरों की बात नहीं की जाय?

श्री भैरोंसिंह : मजदूरों की बात करने वाले इसको मन्जूर नहीं करेंगे लेकिन सदन का समय इसी गरज से लेना चाहते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दोनों प्रस्ताव बहुत इम्पोंटेन्स के हैं इसलिये दोनों को बराबर समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ पहला संकल्प ३ बजे तक समाप्त हो जाय उसके बाद दूसरे को लिया जाय। कुछ समय माननीय सदस्यों के आग्रह पर यों ही बढ़ा दिया जाता है, उस समय जैसी परिस्थिति होगी उसको देखते हुए समय बढ़ाया जा सकता है; लेकिन पहले प्रस्ताव पर सारी कार्यवाही, मतदान, वगैरह सब ३ बजे तक खत्म हो जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री भैरोंसिंह : ये प्रस्ताव को विद्ड्रॉ भी करेंगी और सदन का समय भी लेंगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करती हूं-: "सदन यह सिफारिश करता है कि अकाल सहायता कार्यों में कार्यरत पुरुष और महिला मजदूरों को सरकार द्वारा एक समान मजदूरी दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से हमारा देश आजादी में प्रविष्ट हुआ और संविधान का सूर्य उदय हुआ उसकी पहली किरण के साथ हमारे देश की हुकूमत और राज्य ने यह निर्णय किया कि हमारे राज्य में स्त्री और पुरुष........

(विराम)

यह मैं देख रही थी, अध्यक्ष महोदय, कि जो अकाल के बारे में चर्चा करते हैं उनको कितना इन्ट्रेस्ट था इस निगाह से देख रही थी। बातें करना और चीज है और दिलचस्पी लेना और चीज होती है। तो मैं कह रही थी, जिस दिन मुल्क में आजादी आई, संविधान का सूर्य उदय हुआ, संविधान की पहली किरण के साथ हमने यह निर्णय किया, यह घोषणा की कि आजाद हिन्दुस्तान के सभी सेक्शन्स को बराबर समानता दी जायगी। न जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव रखा जायगा, न धर्म

Page No. 54

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव रखा जायगा और न सेक्स के आधार पर कि हम पुरुष हैं या हम स्त्री हो, किसी प्रकार का भेद भाव रखा जायगा। हमारी सरकार या हमारी हुकूमत ने इस दिशा में प्रयत्न किये, उन्होंने जो हमारी समाज में वीकर सेक्शन है उनको कई प्रकार से संरक्षण दिया, कंसेशन दिये और सहायता दी इस मकसद के साथ कि जो हमारे समाज का पिछड़ा हुआ तबका है वह आगे बढ़ सके। आज यह देखकर हमें खुशी होती है कि जो हमने कायदे कानून बनाये उनके अनुसार जो हमारा मकसद था उसमें हमें कामयाबी हासिल हो रही है। १८ वर्षों से हम देखते आये हैं कि जो संरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया, महिलाओं को दिया उसका पूरी तरह से असर हुआ। १८ वर्षों में हमारे कायदे-कानून बनाने के कारण जो सामाजिक तत्व पीछे पड़े हुएथे वे आगे बढ़कर दूसरों के मुकाबले में आगे आये। आज हम देखते हैं, दूर न जाकर, राजस्थान में ही कि जो राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ गिना जाता था, उस राजस्थान में महिलाएं पुरुषों के बराबर, कन्धे से कन्धा मिला कर आगे बढ़ रही हैं और हमारे समाज में विभिन्न कार्य कर रही हैं। हजारों महिलाएं टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं है, नर्सेज हैं। इसके अलावा राजस्थान की महिलाएं इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रही हैं। हमारी महिलाएं आई. ए. एस. हैं, इंडियन फोरिन सर्विस में काम कर रही हैं। इसी प्रकार महिलाएं कलेक्टर हैं, बी. डी. ओ. हैं और सारी सर्विसेज में कुशलता के साथ काम कर रही हैं और हमारे यहां के चुनावों में स्त्रियों ने पुरुषों के साथ बराबर चुनाव लड़े और हिम्मत के साथ चुन कर आई। हमारी स्त्रियां सरपंच हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, पार्लियामेन्ट की मेम्बर हैं और विधान सभा की सदस्याएं हैं। हमें यह कहते हुए खुशी होती है कि जिस राजस्थान को पिछड़ा हुआ राज्य मानते हैं उस राजस्थान में इतनी संख्या में महिलाएं विधान सभा की सदस्य हैं जितनी सबसे प्रगतिशील देश अमेरिका की पार्लियामेन्ट में नहीं हैं। (हीयर, हीयर) कानून कायदों के जरिये जो संरक्षण सरकार ने दिये उनके कारण हमारे यहां प्रगति हुई है।

हम राज्य की बात छोड़ कर देश पर आवें तो दूसरे प्रगतिशील माने जाने वाले देश पिछड़ा हुआ माना जाने वाले हिन्दुस्तान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, आज संसार के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश की महिला प्रधान मंत्री हैं जो अभी अभी बड़ी कुशलता के साथ संसार के बड़े बड़े देशों का दिग्विजय करके लौटी हैं। इसके अलावा यू. एन. ओ. जो सारे संसार की एक बोर्ड है उसकी प्रथम स्त्री चेयरमेन बनने का चान्स एक भारतीय महिला को मिला है, प्रथम ही नहीं एक मात्र स्त्री चेयरमेन भारतीय महिला हुई हैं। संसार की अरबों महिलाओं में से कोई उस स्थान तक नहीं पहुँच सकी हैं। यह वाकई प्रसन्नता, गौरव और संतोष का सवाल है।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सारे कानून-कायदों को देखते हैं, तरक्की को देखते हैं, वहां ऐसी बातें भी नजर आती है, कुछ नियमों में, कानून में ऐसी कमियां नजर आती हैं जिनको देखकर हमें दर्द होता है, शर्म भी आती है। एक इस तरह की खामी है इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस खामी को मैं सरकार के सामने रखना चाहती हूं। सबसे जरूरी खामी जो बुरी लगती है, अन्याय पूर्ण बात हो रही है, वह यह है कि फेमिन के काम में आदमी और औरतें काम करती हैं वहां पर औरतों को पुरुषों के मुकाबले में कम मजदूरी दी जाती है, यह हमारे लिये शर्म की बात है, चाहे सरकार यह उत्तर दे कि फेमिन कोड में ऐसा ही रखा हुआ है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

शायद हमारे अकाल मंत्री और सरकारी अधिकारी यह समझते होंगे कि हम क्या करें, फेमिन कोड में ऐसा ही लिखा हुआ है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि यह फेमिन कोड किस वक्त का बना हुआ है–यह फेमिन कोड तब बना था जब हमारे देश में विदेशी सत्ता हुकूमत करती थी, यह फेमिन कोड तब बना था जब हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क नहीं था। यह कोड बनाया गया था विदेशी हुकूमत के द्वारा और विदेशी हुकूमत अपने शासित-वर्ग के लिए किस तरह का कानून बना सकती थी–इसका यह एक नमूना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब यह फेमिन कोड लागू था पुरानी रियासतों के अन्दर अंग्रेजों के वक्त में, उस वक्त हमारे यहां की जनता को इस फेमिन कोड से कितनी राहत मिलती थी और उनकी किस प्रकार दुर्दशा होती थी। जिस समय हमारे देश के अन्दर छप्पन का अकाल पड़ा उस समय यह फेमिन कोड लागू था। छप्पन के अकाल के जो किस्से हैं वह राजस्थान की तवारीख से नहीं मिट सकते हैं और हम उस अकाल को किसी भी तरह से नहीं भुला सकते हैं। उसके बाद भी अनेक ऐसे अकाल पड़े और उनके अन्दर भी लोगों की ऐसी दुर्दशा हुई–उस समय भी फेमिन कोड लागू था। जब यह फेमिन कोड लागू था उस समय यहां के लोग हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे थे जो अनाज के एक-एक दाने के लिए और बाजरे के एक-एक दाने के लिए तरसते हुए मर गये थे। हमें तवारीख की यह बात भी याद है कि हमारे राजस्थान के अन्दर छप्पन के अकाल के समय लोगों की भूख के कारण इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वह बोल नहीं पाते थे और डंडे के सहारे खडे होकर दरवाजे को डंडे से पीट कर इशारे से कहते थे कि हमें रोटी चाहिए। आज हम जिस फेमिन कोड की बात कहते हैं यह फेमिन कोड उस वक्त भी लागू था: लेकिन तब हमारे मुल्क पर विदेशी हुकूमत थी, जब हमारे देश को लोगों को, हमारे इस देश की जनता को इस फेमिन कोड के रहते हुए भी अनाज के दानों के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा था। वह स्थिति सब जानते हैं, जब छप्पन के अकाल की स्थिति में लोगों ने अपने बच्चों को बेचा था....

श्री मानसिंह महार : शेम, शेम !

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो आपके वक्त के लिए कह रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं आपको याद दिलाती हूं कि यह इस राज्य में नहीं हुआ है, लेकिन इस राज्य के आने से पहले जो फेमिन पडे, अंग्रेजों के समय में, जब आप और हम हुकूमत करते थे उस समय का किस्सा है, मैं स्पष्ट कहती हूं....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): अपने को कन्डैम कर रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत : सब जानते हैं कि उस समय इस देश की जनता की कैसी दुर्दशा हुई थी। उस समय ऐसी दुर्दशा हुई थी कि मर्दों को अपनी औरतों को बेचना पड़ा था बाजरे के दानों के लिए जिसके लिए राजस्थानी में एक दोहा प्रसिद्ध है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

आधो रैंग्यो ऊंखलीं, आधो पैंग्यो छज्ज।
सांगर मट्टे धण गई,(अब) मुधरो मुधरो गज्ज!

श्री मानसिंह महार : हियर,हियर!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, यह फेमिन कोड है इसके लागू होने पर भी फेमिन के कारण हमारे देश के लोगों को इतनी दुर्दशा देखनी पड़ी, आज उतनी दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती है, फिर भी आज इस जमाने में इस फेमिन कोड में चेंज नहीं कर सके। इसके नियमों को आज बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि आज हमारा अपना राज्य है, आज पराधीन हिन्दुस्तान नहीं है, आज अपना राज्य है, हमारे यहां पर वेलफेयर स्टेट है यह हमारे लिए सब कुछ काम कर रहा है इसलिए आज के अकाल की तुलना पहले से नहीं की जा सकती है। पहले की तरह हमारे लोगों को, हजारों लोगों को अपने मवेशियों को लेकर मऊ और मालवे को नहीं जाना पड़ता है। आज गांव के बाहर ही सरकार ने धन्धे खुलवा रखे हैं, गांव में घास का प्रबन्ध करती है, पानी का प्रबन्ध करती है और सब तरह के प्रबन्ध किये जाते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो इस फेमिन कोड में इतनी बड़ी त्रुटि है कि हमारे यहां पर स्त्री और पुरुष को बराबर की वेजेज़ नहीं दी जाती हैं। आज इतना सब कुछ भी हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए यह कलंक की चीज नजर आती है और वह मिली है ब्रिटिश राज्य की विरासत से। अध्यक्ष महोदय, आज स्त्री और पुरुष की वेजेज में ही फर्क नहीं है बल्कि अकाल-सहायता कार्यों में पुरुष और औरतों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि उससे वह उदर पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आज पुरुष को १ रुपया दो आना देते हैं, औरत को चौदह आना दिया जाता है और बच्चों को दिया जाता है दस आना या आठ आना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगी कि फेमिन कोड में यह स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता रखी गई हैं, जो मिनिमम वेजेज़ एक्ट के खिलाफ मजदूरी दी जाती है इसे हटा दिया जाय। और मैं तो यह भी कहूंगी कि यह फेमिन कोड है, इसे फाड़फर फेंक दिया जाय क्योंकि यह इतना अप्रगतिवादी है। मैं तो यह चाहूंगी कि भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए यह फेमिन कोड न रहे। सरकार इरिगेशन का प्रवन्ध करे, इस देश के अन्दर सारे प्रवन्ध करे, देश को सरसब्ज करे और देश से अकाल के भूत को निकाल दें। लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक ऐसा नहीं कर पाती है, जब तक इरिगेशन का पूरा प्रबन्ध नहीं कर पाती है, जब तक हमारे यहां नहर नहीं होंगी, जब तक तालाब नहीं होंगे, सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक और बातें नहीं होंगी तब तक दुर्भाग्य से फेमिन कोड रहेगा, हमें तब तक रुकना पड़ेगा और इस कानून को जब तक रखना पड़ेगा। लेकिन मैं पुन: निवेदन करूंगी कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता रखी गई है इस असमानता को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज तक जो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव रखती आई है सरकार यह गैर-कानूनी है। आज तक इसके द्वारा अन्याय किया है और कानून के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

खिलाफ काम किया है। आज यह गैर कानूनी एक तरह ही नहीं है बल्कि हजार ढंग से गैर कानूनी है, यह गैर-कानूनी है नैतिकता की दृष्टि से। चाहे आप इन्साफ की दृष्टि से विचार करें या इन्तानियत की दृष्टि से विचार करें, और चाहे नैतिकता की दृष्टि से विचार करें, तीनों दृष्टि से कोई भी आदमी इसे अच्छी चीज नहीं बता सकता है, हर एक व्यक्ति इसकी बुराई करेगा, इसको कन्डैम करेगा और इसको गलत साबित करेगा। अब यह गैर-कानूनी क्यों है? इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। यह गैर-कानूनी इसलिए है कि हमारी सरकार का संविधान है, उसमें अनुच्छेद पन्द्रह और सोलह में साफ लिखा गया है कि सरकार सैक्स के बिना पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यह फेमिन कोड में स्त्री और पुरुष को अलग अलग वेजेज़ दी जाती हैं क्या यह सैक्स के आधार पर नहीं है? यह है। इसका मतलब है कि सरकार गैरकानूनी कार्यवाही कर रही है और यह संविधान की अवहेलना कर रही है, उसकी उपेक्षा कर रही है और सरकार अपना बनाया हुआ कानून अपने हाथ से तोड़ रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस फेमिन कोड के अंश को तुरन्त निकाल दिये जाने की आवश्यकता है। जो गैर-कानूनी मैंने कहा, वह एक कारण से नहीं बल्कि हजार कारणों से है। मैं और भी मिसाल सदन के सामने रखूंगी। सरकार के जितने विभाग हैं जहां पर मजदूर लोग काम करते हैं, उनको वहां जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह स्त्री और पुरुष को बराबर दिया जाता, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का विभाग हो, चाहे इरिगेशन का विभाग हो, चाहे दूसरा-तीसरा विभाग हो। मैं यह पूछना चाहूंगी कि जब सरकार के एक विभाग में उस काम को करने पर स्त्री और पुरुष को बराबर वेजेज़ दी जाती हैं तो यह फेमिन विभाग का जो काम है उसमें स्त्री और पुरुष को बराबर वेजेज़ क्यों नहीं दी जातीं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आधार क्या है? मैं चाहूँगी कि इस बात को हमारे सामने स्पष्ट करें कि राज्य सरकार का एक विभाग तो उस कानून का पालन करता है और सरकार का दूसरा विभाग उस कानून ने तोड़ना है। सरकारी विभाग के अलावा सरकार ने एक्ट बनाया है उसके अनुसार कोई भी फर्म, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना हो, जहां स्त्री और पुरुष काम करते हों, उन लोगों को बराबर वेजेज़ देनी पड़ती हैं। यह सरकार का कानून है। और अगर नहीं दिया जाता है तो सरकार उन्हें इस बात के लिए दबाती है और कारखाने वालों से बराबर वेजेज़ दिलवाती है। जब सरकार प्राइवेट फर्म में स्त्री और पुरुष को बराबर वेजेज़ देने को मजबूर करती है और उसके लिए कानून बनाती है और उनसे दिलवाती है तो राज्य सरकार खुद अपने विभाग में, क्या कारण है, कि भेदभाव रखे? तो, अध्यक्ष महोदय, यह और भी गैर कानूनी चीज है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कानून बनाया है, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, उसका कायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो अपनी मजदूरी पर जायगा तो उसे कम से कम दो रुपया प्रति दिन वेजेज़ का दिया जायगा, दो रुपया प्रति दिन वेजेज से कम नहीं दे सकते और फेक्ट्री में दो प्रकार से काम दिया जाता है, एक तो उनको काम दिया जाता है, टाइम रेटेड एम्लॉयमेंट और

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

दूसरा पीस रेटेड एम्प्लॉयमेंट । टाइम रेटेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि टाइम हो उसके अनुसार काम करें और दो रुपया उस वर्क का देना पड़ता है, लेकिन पीस रेटेड एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए भी सरकार ने नियम बना रखा है कि इतना काम करने पर इतनी राशि दी जायगी और उससे ज्यादा करने पर उसको ज्यादा महनताना दिया जायगा यह चाहे लक्ष्मी मिल में वीविंग का काम हो, चाहे या वाईंडिंग का दूसरा काम हो, जैसे बीड़ी बनानी हैं तो एक हजार बीड़ी बनाने पर १.५६ देना पड़ेगा, कम से कम इतना देना पड़ेगा और कोई ज्यादा बनाए तो ज्यादा दिया जाता है। लेकिन सरकार की गारन्टी यह है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष पीस वर्क से कम करता है तो भी इससे कम नहीं दे सकते हैं और इतना पैसा देना पड़ेगा, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि फेमिन विभाग में काम करते हैं तो वहां पर गैर-कानूनी कार्यवाही करते हैं। तो पहली गैर-कानूनी कार्यवाही तो यह है कि जो मिनिमम वेज है वह नहीं दी जाती है और एक रुपया दो आना दिया जाता है, भूख से पीड़ित लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद भी औरतों को केवल १४ आने। इस प्रकार औरतों और आदमियों में भेद भाव रखा जाता है, यह सभी तरह के कायदों के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जीनेवा में बना हुआ है। वह संसार भर के जितने भी लेबर कानून हैं उनको कन्ट्रोल करता है और उन लोगों की भलाई के लिये कानून आदि बनाता है। अभी सन् १९४६ में इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वेन्शन हुए। उसमें कन्वेन्शन नम्बर १०० में यह लिखा है कि–

"equal remuneration for equal work for men and women"

और हमारा जो विभाग है वह इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और हमने उस पर हस्ताक्षर किये हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जहां संसार के सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशन्स कानून पर चलते हैं और हमारे देश ने भी उस ऑर्गेनाइजेशन पर हस्ताक्षर किये हैं और देश के विभिन्न भागों में उसको काम में लिया जाता है लेकिन राजस्थान में फेमिन वर्क्स में हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगी कि हम संसार के लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर हस्ताक्षर करके आये हैं लेकिन हमारे यहां पर उसको औरतों के साथ लागू करने में मुकर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यह अन्याय किसके साथ किया जा रहा है ? यह अन्याय किया जा रहा है वह भी औरतों के साथ। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी इस दर को हटा कर पुरुषों और स्त्रियों को बराबर वेतन दरें करें और इस कानून को आगे बढ़ावें।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में लोगों की ओर से यह दलीलें दी जा सकती हैं और मेरा ख्याल है कि सरकार भी यही दलील देगी कि जब काम करते हैं तो औरतों के काम का आउट-पुट कम होता है और पुरुषों के काम आउट-पुट ज्यादा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

होता है। इसलिये औरतों को कम वेतन दिया जाता है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि यह कहां का न्याय है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के मंत्री हैं वे यहां पर नहीं हैं। माननीय सदस्या इतनी महनत से बड़ा अच्छा भाषण दे रही हैं, वे उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, चित) : वे औरतों के लिये कह रही हैं, हम उसको सुन रहे हैं। आपके मुकाबले में ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब कभी गैर-सरकारी संकल्प आता है तो यही परिस्थिति होती है ; इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये व्यवस्था कर दी जावे कि मंत्री लोग भागते न फिरें। मंत्री लोग यहां सदन में बैठते नहीं, सेक्रेटेरियेट में काम करते नहीं और यहां आकर बाहर बैठ कर गप्पे लगाते हैं। सदन में आ कर क्यों नहीं बैठते ? उनको क्या शर्म आती है। हम महनत करके भाषण तैयार करते हैं यहां आ कर बैठे रहते हैं। मगर सारे के सारे मंत्री गप्पे लगाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वे इस प्रकार सदन को छोड़ कर चले जवेंगे तो हम भी सदन को छोड़ कर चले जावेंगे और बायकाट करेंगे। तीन तीन मंत्री बाहर चले जावें। चीफ मिनिस्टर को मालूम था कि आज गैर-सरकारी संकल्प है वे दिल्ली चले गये। राजस्व मंत्री यहां नहीं, आखिर यह सदन है या क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों से बराबर मैं यह देखती आ रही हूं कि जब कभी गैर-सरकारी कार्यक्रम होता है बराबर मंत्री सदन से गायब रहते हैं। इस समय फेमिन के बारे में चर्चा हो रही है इस समय भी मंत्री महोदय मौजूद नहीं हैं। उनको भी साथ होना चाहिये। जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न जवाब का नहीं है। माननीय सदस्यों का कहना है कि संबन्धित मंत्री महोदय को यहां पर रहना चाहिये। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि बिना किसी कारण के वे यहां से नहीं जाएं। चीफ मिनिस्टर ने मुझे यह सूचना दी कि वे बाहर जा रहे हैं और यह एक तरह की व्यवस्था है कि मुझे सूचित कर दिया जाए ताकि मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकूं कि वे खास कारण से बाहर गये हैं। लेकिन सदन में जो काम हो रहा है उससे ज्यादा काम बाहर हो रहा हो, यह नहीं माना जा सकता।

(हियर-हियर)

श्री परसराम मदेरणा : हम भी हियर हियर कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : हियर हियर आपने जरूर किया, मगर वह सदन के लिये और स्पीकर महोदय के लिये कन्टेम्प्ट है। आप हाउस का कन्टेम्प्ट कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने हियर हियर किया तो कन्टेम्प्ट नहीं हुआ और हमने जब अध्यक्ष का रूलिंग था और हियर हियर किया तो कन्टेम्प्ट हो गया....

(शोरगुल व्यवधान—अश्रव्य)

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारा तो कन्टेम्प्ट था और आप रूलिंग का पालन कर रहे हैं।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत बोलने के लिये खड़ी हुईं)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको एक मंत्री महोदय सूचना देकर गये हैं। बाकी के मंत्री कहां गये ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे हम सदन का अपमान समझते हैं और जब तक सरकार की तरफ से इसके लिये आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक के लिये हम प्रोटेस्ट के तौर पर माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि वे बोलेंगे नहीं और इसके लिये प्रोटेस्ट करेंगे। मैं प्रोटेस्ट के तौर पर खड़ा होता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है उसके लिए जैसा मैंने कहा मैं निवेदन करूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय यहां हैं नहीं संभवतः वे आवेंगे तो बता सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आपने और मैंने जो बातें कही हैं उस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पुरुषों और औरतों के वेतन में कितना भेद-भाव है उसके बारे में कहा। मैं एक बात पर और जोर देना चाहती हूं और वह यह कि और जगह औरतों को मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है मगर हमारे यहां पर किसी प्रकार का मेटर्निटी बेनिफिट नहीं दिया जाता। अकाल के समय उनको १० दिन की छुट्टी नहीं दी जाती, रोजाना काम करो और अपने पैसे लो। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्टरनेशनल लेबर ओर्गेनाइजेशन का नियम है, कानून है उसके अनुसार हर जगह हर प्रकार से उनको मेटर्निटी बेनिफिट मिलना चाहिये। मगर यहां पर उनको नहीं दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसे अन्याय कहूं या अत्याचार कहूं ? यह स्त्रियों के साथ क्यों किया जा रहा है ? इसमें राज्य सरकार को अफसोस जाहिर करने से काम नहीं चलेगा। जब कभी इस प्रकार के प्रश्न सरकार के सामने आते हैं तो सहानुभूति दिखाई जाती है और जब वास्तव में काम करने का समय आता है तो काम नहीं करती, इस प्रकार लिप सिम्पथी से काम नहीं चलेगा। हमको जो यह कमी है उसको पूरा करना होगा। एक्सप्लोइटेशन जो चला रहा है कि वीकर सेक्शन है उसको सुन कर नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, फेमिन के काम को लेकर बार बार यही कहा जाता है कि औरतों के काम का आउट पुट कम है और पुरुषों का आउट पुट ज्यादा है। मैं यह निवेदन करूंगी कि यह बात गलत है। मैं यह बात कहूंगी कि कई काम ऐसे होते हैं जो कोई पुरुष स्त्रियों के मुकाबले में काम नहीं कर सकते। मैं इसकी नजीर दे सकती हूं। जैसे अभी हमारे यहां उप अकाल मंत्री हैं उसके मुकाबले में बहुत से डिप्टी मिनिस्टर काम नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब और ज्यादा मिसालें मत देना।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि आपको मंत्रिमण्डल में लिया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप मुझे मंत्रि-मण्डल से कम समझते हैं क्या ?

श्री भैंरोंसिंह : इतना प्रिविलेज महिला को ही मिल सकता है कि मंत्रि-मण्डल पर एप्रोच करे ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह अन्यायपूर्ण इसलिये है कि सरकार ने नियम बनाये है, पी. ड० यू. डी. में पुरुषों और महिलाओं को समान वेजेज़ दिये जाते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. में अनस्किल्ड काम किया जाता हैं, भयंकर से भयंकर पहाड़ों में जहां कि साधारण आदमी के लिये चलना तक मुश्किल होता है, उन भयंकर पहाड़ों में औरतें और मर्द बराबर काम करते हैं, इस पर भी आप कहते है कि औरतों के काम का आउटपुट कम होता है तो फिर पी. डब्ल्यू. डी. में स्त्री और पुरुष को बराबर वेजेज़ क्यों दिये जाते हैं ? वहां आपने महिलाओं के वेजेज़ को पुरुषों के वेजेज़ से कम क्यों नहीं किया ? यही प्रश्न इरिगेशन विभाग के लिये आता है कि वहां पर भी स्त्री और पुरुषों के वेजेज़ में समानता क्यों रखी ? स्त्रियों की वेजेज़ के लिए यदि आप कहते हैं कि उनके काम का आउटपुट कम होता है तो पुरुषों से वहां भी औरतों के वेजेज़ कम क्यों नहीं किये ? यह सब देखा जाय तो आपकी दलील निरर्थक और भ्रामक है । चाहें जैसी सर्विसेज़ हों उन सर्विसेज़ में महिलाओं और पुरुषों के वेतन में कोई अन्तर नहीं रखा जाता, महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाता है । जब टीचर्स को और नर्सेज को भेजने की जरूरत होती है तो औरतों के लिये स्पेशल प्रिविलेजेज़ देते हैं कन्सेशन देते हैं । महिला टीचर्स को गांवों में भेजते हैं तो उनके लिये स्पेशल प्रिविलेजेज़ दिये जाते हैं कि उनके लिये मकान का प्रबन्ध किया जाय और विशेष प्रकार का प्रबन्ध किया जाय । फिर फमिन रिलीफ वर्क में काम करने वाली औरतों के लिये पुरुषों से कम वेजेज़ क्यों रखे हैं, यह हर हालत में गैर कानूनी है, इन्साफ से परे है । नैतिकता और इन्साफ की नजर से सोचें तो आपका यह नियम इन्सानियत से परे है और गैर इन्सानियत से भरा हुआ है ।

आम तौर पर एक औरत ज्यादातर घर में रहती हैं, अपने घर का काम–काज करती हैं, वह बाहर नहीं जाती, पर जब अकाल पड़ता है तो मजबूर होकर अपना पेट पालने के लिये, अपने बच्चों का पेट भरने के लिये, घर से बाहर निकलकर मजदूरी करने पर बाध्य होती है, उसे बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ती है । ख्याल कीजिये, पहले वह अपने घर का सारा काम करेगी, अपने बच्चों के लिये, घर वालों के लिये रोटी करेगी बच्चों को और घर वालों को खिलायेगी–पिलायेगी, गाय भैंस को सम्हालेगी और फिर काम पर जायेगी । दिन भर पुरुषों के बराबर काम करेगी, फिर भी हम उसको पुरुषों से कम पैसा देते हैं तो यह इन्सानियत की नजर से भी औरतों के साथ अन्याय है । आप इस प्रकार के अपने व्यवहार से औरत को यह बताना चाहते हैं कि तू कमजोर है, काम नहीं कर सकती, आप डाइरेक्ट तौर पर औरत को दुनिया की नजरों में ओछी साबित करने की कोशिश करते हैं । इसका मतलब यह है कि आप उसमें हीन भावना पैदा करना चाहते हैं ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात-चीत हो रही थी तो राजस्व मंत्रीजी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि पुरुषों को इसलिये ज्यादा पैसे देते हैं कि पुरुषों को अपने परिवार का पोषण करना पड़ता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जितनी जिम्मेदारी अपने परिवार के पोषण की पुरुषों की होती है उतनी ही स्त्रियों की भी जिम्मेदारी होती है उनके परिवार के भरण-पोषण की, बल्कि मैं तो यह कहूंगी स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। भयंकर संकट आने पर, भयंकर आर्थिक संकट, भयंकर अकाल का संकट या और किसी प्रकार का और भयंकर संकट आने पर आदमी तो अपने परिवार को छोड़ कर, औरत और अपने बच्चों को छोड़ कर चला जाता है, पर औरत अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, वह हर तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी, वह स्वयं भूखी रहेगी पर अपने बच्चों को रोटी देगी। यह है इन्सानियत की चीज। आप जरा कल्पना कीजिये एक विधवा औरत है, कोई उसे सहारा नहीं, तीन-चार बच्चे हैं, तो वह औरत खुद कमायेगी, सब कुछ करेगी और हर तरह से अपने बच्चों का भरण-पोषण करेगी। इस पर भी आप कहते हैं कि औरत के काम का आउट पुट कम है, यह आपका औरतों के साथ भयंकर अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, आप जरा औरत की उस स्थिति का ख्याल कीजिये, मैं औरत को उस स्थिति का दिग्दर्शन कराना चाहती हूं। एक औरत का पति शराबी है, अक्सर मजदूरों में यह होता है, आदमी अपनी मजदूरी के पैसे ला कर शराब पी जाता है, उस दशा में औरत मजदूरी करके अपने पति को रोटी खिलायेगी, अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उस कल्पना से देखें, सरकार कहती है अकाल राहत के काम परवरिश के लिये कराती है जिससे कि लोगों को रोटी मिले। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या आदमी की बनिस्पत औरत का पेट छोटा होता है? क्या औरत रोटी कम खाती है? मैं तो यह मानती हूं कि औरत को ज्यादा पौष्टिक तत्वों की जरूरत है। भाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कहो उसे अपने बच्चों को अपने दूध से पालना है, उसे अच्छी पौष्टिक खुराक मिलेगी तो वह अपने बच्चों को अपना दूध पिला कर मोटा करेगी। पेट में बच्चा होगा तो वह अपने खून से उस बच्चे का पालन करती है, गोदी के बच्चे को पालती है और पेट के बच्चे को पालती है। तीन-तीन जीवों को एक साथ पालना होता है। इस पर भी आप इन्सानियत की बात करते हैं। हम धर्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। क्या यही हमारी आध्यात्मिकता है? क्या यही हमारा दर्शन शास्त्र है? क्या इसी आधार पर कहते हैं कि हिन्दुस्तान ने सारी दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा दी? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार औरत के साथ मखौल करना अपनी संस्कृति के साथ मखौल करना है, अपने देश और धर्म के साथ आप मखौल करते हैं, अपना खुद का मखौल कर रहे हैं, अपनी जड़ें हम खोद रहे हैं। इतने दिनों जो होना था सो हो चुका, पर आज के युग में नारी जागृत हो चुकी है, वह अब सहन नहीं करेगी। स्त्री अपने बच्चों के लिये, अपनी इज्जत के लिये जान दे देगी। आप इस प्रकार का एक्स्प्लॉइटेशन करना चाहते, हैं इस प्रकार

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

का एक्स्प्लॉइटेशन हमें मंजूर नहीं। मैं फिर निवेदन करूंगी कि इस पर सरकार गौर करे, यह कलंक का धब्बा कानून पर लगा हुआ है इसे मिटाना है।

इसके साथ ही साथ हम एक जुल्म कर रहे हैं, कानून को तोड़ कर गैरकानूनी कार्यवाही के हम अपराधी हैं। उसमें केवल सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा। मेरा वश चले तो पुरुषों के मुकाबले में औरतों को ज्यादा वेजेज दिलाऊं, पर मैं यह नहीं कह कर दोनों के वेजेज में समानता मात्र चाहती हूं। महिला जाति की इस प्रकार उपेक्षा न करें, एक्स्प्लॉइटेशन न करें, बेइज्जती न करें, औरत की जाति को जलील न करें।

अध्यक्ष महोदय दूसरा रिजोल्यूशन आ रहा है वह महत्वपूर्ण है। उसकी सहानुभूति में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी। कर्मचारियों के लिये, राज्य कर्मचारियों के लिये रिजोल्यूशन आ रहा है, उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है, उसके लिये मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(विराम)

५–१० मिनिट से ज्यादा न लें।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मुझे खुद को देखने का मौका मिला है कि किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र हों, किसी भी प्रकार के कल-कारखानें हों–वहां औरतों के साथ तनख्वाह जैसी चीज में बड़ा भेदभाव बरता जाता है। यह बड़े ही खेद का विषय है कि अकाल राहत के कार्यों में जहां मेवाड़ और मारवाड़ से दूर दूर से औरतें पहुंचती हैं, दिन भर काम करती हैं उनको आदमियों से पैसे कम दिये जाते हैं। जब बेचारी दिन भर काम करती हैं...

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : बेचारी ?

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : उनको आप बेचारी कहते हैं ?

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** : बेचारी ही हैं, इतनी दूर से जाती हैं अपना पेट पालने के लिये, अपने बच्चों का पेट पालने के लिये, दिन भर काम करती हैं और उनकी पीठ के पीछे एक बच्चा बन्धा रहता है, पेट में छः छः महीने, आठ-आठ महीने का गर्भ रहता है, सिर पर भारी तिगारी लदी रहती है, फिर भी उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। बेचारी नहीं तो और क्या हैं। क्या आपने कभी इसे देखने की कोशिश की है कि १२ आना देकर औरतों से आप मजदूरी करवाना चाहते हैं ? सैंकड़ों कोस दूर जा कर १२ आने में अकाल के नाम पर अपना पेट भरें, यह पक्षपात नहीं, भेदभाव की नीति नहीं तो और क्या है ? औरतें आदमियों से ज्यादा काम करती हैं, यह मैं कहता हूं। जो माताएं हमें पेट में रखती हैं जिनके कारण आप और हम यहां बैठे हैं, भगवान् राम को जिन्होंने पैदा किया है, जिनसे यह सारा देश

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

चलता है—हमारे यहां उस नारी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार और अन्याय होता है। इससे बढ़ कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है।

स्त्री गर्भवती होती है तो भी वह काम पर जाती है। आपने कानून बना रखा है कि ९ महीने का गर्भ होने से पहले डेढ़ महीने को की छुट्टी हो जानी चाहिये और बच्चा हो जाय उसके बाद डेढ़ महीने तक की छुट्टी मिलनी चाहिये। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार की छुट्टियां देनी चाहिये वहां इस प्रकार की अवहेलना इनके साथ सरकार क्यों करती है? उद्योगपतियों के सामने जब हम बोलते हैं तो हमारा शर्म के मारे सिर झुक जाता है। वे कहते हैं कि राज्य को चलाने के लिये आप बैठे हैं, क्या आप सरकार से पूछते हैं कि सरकार द्वारा औरतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? सरकारी विभागों में मिनिमम वेजेज़ के कानून बनाये हुए हैं, क्या उनका पालन इस सरकार के द्वारा होता है? ठेकेदार पूरा शोषण करते हैं, आपके बनाये कानून-कायदों को वे बलाए ताक में रख कर मजदूरों का शोषण करते हैं।

इसलिए जो माननीया सदस्या ने प्रस्ताव रखा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर महिला मजदूरों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है तो इससे बढ़कर दुःख की बात नहीं। जो मिनिमम वेजेज़ एक्ट बना हुआ है, उसका पालन नहीं होता है। जब राहत-कार्य सरकार कराती है तो उस बारे में स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग रेट्स क्यों हैं? क्या आप बता सकते हैं कि पुरुष ज्यादा खाते हैं और स्त्रियां कम खाती है? बल्कि सारा बोझ स्त्रियों पर होता है। वह चार बजे उठती है, घर का काम करती है, परिवार की देख-रेख करती है, बाल बच्चों की देख-रेख करती है। वहां तो समय का प्रश्न ही नहीं है ८ घंटे के बजाय ठेकेदार के यहां १२ घंटे काम करना पड़ता है। सप्ताह में एक छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन वह भी नहीं। क्योंकि उनको पैसा चाहिए, कर्जा चुकाना है तो कन्टीन्यु-असली काम किया जाता है, कोई देखने वाला नहीं है कि उनके स्वास्थ्य का क्या होता है। उसके भी पेट में बच्चा है, उससे जो बालक का जन्म होगा वह भी हमारी तरह एक दिन एम० एल० ए० बनेगा, मंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है—तो फिर आप गरीब महिला का पेट क्यों काटते हैं? आप महिलाओं को १२ आने की रेट के हिसाब से देते हैं और पुरुषों को सवा रुपया। क्या महिलाओं का खर्चा नहीं होता है? आखिर वे भी माताएं हैं, क्या उनको बाल-बच्चों से मोह नहीं होता होगा? वे बच्चों को धूप में रखकर तगाड़ी उठाती हैं, आपकी ओर से वेलफेयर का काम नहीं, बाल बच्चों के लिए छाया का कोई प्रबन्ध नहीं। आप जो औद्योगिक केन्द्रों में शिशु कल्याण के लिए केन्द्र खोलते हैं आपने उनके लिए दवा-दारू का कितना प्रबंध किया हुआ है? जब महिला गर्भवती होती है तो नियम है कि प्रसूति से डेढ़ महीना पहले ही छुट्टी होनी चाहिए तो वह क्यों नहीं मिलती और बच्चा पैदा होने के बाद भी डेढ़ महीना छुट्टी विद पे मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से महिलाओं के साथ में भेदभाव और पक्षपात होता है। इसलिए महिला सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

किन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने यह प्रस्ताव इस भावना से रखा है और वह भावना तक ही सीमित हो तब तो कुछ नहीं कहना चाहता और यदि आप सही तरीके से आप महिलाओं की सेवा करना चाहती हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लें। हमारी सहानभूति आपके साथ है, आप डिवीज़न कराएं। इस बात का पता चल जायगा कि महिलाओं से पैदा होने वाले आप लोग माताओं के साथ कितनी हमदर्दी रखते है। आपका फर्ज हैं कि कांग्रेस बैंचेज की तरफ से जो प्रस्ताव रखा है, आप और हम सब उसकी इज्जत करें। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि महिला और आदमी की तनख्वाह में जो भेदभाव रखा है उसको समाप्त कर दिया जाय, उनको पूरी तनख्वाह दी जाय, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाय, उनके बाल-बच्चों के लिए दवा-दारू का प्रबंध किया जाय और जो महिलाएं गर्भवती हैं तो प्रसूति से पहले और बाद में उनको विद् पे छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वे आराम कर सकें और राहत कार्यों में मिनिमम वेजेज़ का पालन करें। अगर सरकार स्वयं कानून की अवहेलना करती है तो उसको कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरों को कानून के पालन के लिए मनवाए। इसलिए मिनिमम वेजेज़ का पालन कराएं, वेलफेयर का काम कराएं, शिशु कल्याण केन्द्र खोलें और महिला मजदूरों को भी समान वेतन दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रस्ताव रखा गया है कि स्त्रियों को मजदूरी दी जाती है फेमिन में, वह पुरुषों के समान होनी चाहिए। जहां तक स्त्रियों के अधिकारों का प्रश्न है उसके बारे में जिस प्रकार से विवेचन किया गया है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब से यह देश स्वतंत्र हुआ है और हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है तब से स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार मिले हैं। जैसा एक वोट देने का अधिकार पुरुष को है वैसे ही एक वोट देने का अधिकार स्त्री को भी है। संविधान के द्वारा किसी भी जगह स्त्रियों को वंचित नहीं रखा गया है। आज हमारे देश में सर्वोच्च पद, जो प्रधान मंत्री का है, उस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी बिराजमान हैं। तो यहां पर स्त्रियों को इतना आदर दिया जाता है ...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह समस्या महिला मजदूरों की है, प्रधान मंत्री की नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो इस चीज को लेकर छिड़ गए। मैंने शुरुआत इस बात से की है कि हमारे देश में स्त्रियों का कितना आदर और इज्जत की जाती है। आप तो बीच में ही बोलने लग गए, जैसे मजदूरों की हिमायत करने के लिए सिर्फ आप ही हैं। जो ज्यादा बड़बड़ाते हैं उनमें कोई दम नहीं होता है। आपने आज तक मज़दूरों का कुछ काम नहीं किया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह सरकार तो निक्कमी है (अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें कोई तथ्य नहीं है.... ..

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन मु०) : आपने फेमिन रिलीफ में लाखों रुपए के माल का क्या किया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे देश में स्त्रियों की कितनी इज्जत की जाती है और किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, इसका अगर विवेचन करें और देखें कि किन किन पदों पर स्त्रियां हैं, कॉम्पटीटिव एक्सामिनेशन्स में बैठती हैं और दूसरे जितने भी डॉक्टर्स इन्जीनियर्स और नर्सेज हैं, आई० ए० एस०, कलेक्टर्स, एस० डी० ओज़० बी० डी० ओज़० और तरह तरह के पदों पर स्त्रियां बिराजमान हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक स्त्रियों का प्रश्न है और अधिकारों का प्रश्न है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक उनकी तनख्वाहों का प्रश्न आज जो पुरुष कलेक्टर्स हैं तो उनके मुकाबले जो हैं उनको भी वही की वही तनख्वाह मिलती है। आज बी० डी० ओ० पुरुष है या स्त्री।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको ज्ञान नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको अक्ल नहीं, फालतू बक रहे हैं, आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। सबको बराबर मिलता है, एक ही कैडर है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अलग है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आई० ए० एस० में जो आते हैं चाहें पुरुष हो चाहें स्त्री, सबको एक प्रकार की तनख्वाह मिलती है। यही आर० ए० एस० में है। आप कहते है, पता नहीं कौन सा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं मजदूरों की कह रहा हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं आई० ए० एस० की बात कर रहा हूं आपमें इतनी अक्ल नहीं कि आप इस चीज को समझें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : यदि इस प्रकार के शब्द आप मुंह से निकालेंगे कि बकवास कर रहे है, तो ऐसे शब्द यहां से भी निकलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं डरता नहीं। आप बीच बीच में उठकर बोलने लगे कि आपको ज्ञान नहीं। आपने जिस प्रकार की बात कही मैंने उसी प्रकार का जवाब दिया।

श्री भैरोंसिंह : भाषा हम भी जानते हैं, डिक्शनरी हमने भी देखी है। जिस प्रकार की भाषा बोलेंगे उस तरह की भाषा आपको सुननी पड़ेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं कोई डरने वाला नहीं हूं। आपने कोई कसर रखी है क्या ? आप अपनी भाषा में कोई कसर नहीं रखते। लेकिन उन्होंने गलत बात कही जिसके लिए मैंने अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान नहीं आपको मजदूरों का तो मैंने कहा आपको क्या ज्ञान है, आप कोरी बकवास कर रहे हैं। तो इसमें यह बात नहीं है कि माननीय सदस्य के अपमान करने की नीयत से कहा हो। आप रात-दिन इस प्रकार की भाषा बोलते हैं और खूब बोल सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार की बात कही गई जहां तक स्त्री-पुरुषों की तनख्वाह का सवाल है या वेजज का सवाल है, जहां तक सरकारी अधिकारियों का प्रश्न है या मिलों या फैक्ट्रीज

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में काम करने का सवाल हैं तो उनमें इस प्रकार का प्रावधान है कि मिनिमम वेजेज़ जो तय किए गए हैं वह समान रूप से स्त्री-पुरुषों को मिलेंगे।

(२ म० प०)

जहां पर कि पीस रेट पर काम करने का सवाल है, आदमी ज्यादा काम करता है और उस ज्यादा काम करने से उसको ज्यादा पैसा मिलता है और औरत कम काम करती है तो उसको कम पैसा मिलता है। तो वह सवाल अलग है। जहां तक डेली वैजेज़ का प्रश्न है-जो मिल्स, फैक्ट्रीज़ या सरकारी पदों पर काम करने वालों को पैसा मिलता है वहां पर स्त्री और पुरुष को समान मिलता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

जहां तक फेमिन कोड का प्रश्न है वह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ फेमिन कोड है। हमारी सरकार ने उसको आज तक रिवाइज नहीं किया है। दो तीन साल और पिछले सालों से फेमिन का काम चलता आ रहा है और दो-तीन वर्षों से दुर्भाग्य से राजस्थान में फेमिन चल रहा है। फेमिन कोड़ के अन्तर्गत जो मजदूरी स्त्री-पुरुष और बच्चों को दी जाती है वह इतनी कम है कि उससे उनका पेट नहीं भरता। सरकार ने पहले विचार करके जो आठ आना, दस आना, बारह आना था उसके बजाय, १० आना, १२ आना, चौदह आना और सवा रुपया किया। जहां तक मिनिमम वेजेज का प्रश्न है और यह जो एक गम्भीर प्रश्न है उस पर विचार करें तो जो वेजेज आज दिये जा रहे हैं वह स्त्री के लिये ही कम नहीं हैं मैं तो यह कहूंगा कि आदमी को दिये जाते हैं २.३१ पैसे वह न देकर २.१२ पैसे दिये जा रहे हैं-वह कम हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को कम दिये जा रहे हैं। कॉन्स्टीट्यूशन में भी ऐसी बात है जैसा अभी माननीय सदस्या ने कहा कि धारा १५ और १६ में विवरण दिया है कि सेक्स के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जावेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों के जमाने में और रियासतों के जमाने में रेट्स-प्रेस्क्राइब थीं, जहां जनता का शोषण किया जाता था और थोड़ा काम दिया जाता था अपनी वाह-वाही कराने के लिये कि हम तुम्हारा पेट पाल रहे हैं। उनको इस प्रकार थोड़ा काम दिया जाता था। पुरानी रियासतों में बेगार की प्रथा चलती थी, टका या दो टका देकर काम लिया जाता था उसी प्रकार फेमिन कोड में भी रखा था और आठ आना, बारह आना देकर काम लिया जाता था। उस प्रथा को बदलना है। जो लोग अकाल से पीड़ित होते हैं, जिन्होंने आज तक इस प्रकार काम नहीं किया होगा, कभी मिट्टी नहीं डाली होगी उनको आज मजबूर होकर पेट भरने के लिये ऐसी स्थिति में आना पड़ा है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिये कि कम से कम उनको उतना पैसा तो देना चाहिए जिससे कि वे अपना और अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर सकें, अपना गुजारा कर सकें। स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक फेमिन कोड को रिवाइज करने का प्रश्न है उस ओर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। फेमिन कोड अंग्रेजों के जमाने और रियासतों के जमाने में

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बनाया गया था उसको बदलना है और आज के युग के अनुसार उसको ढालना है।

मेटर्निटी बेनिफिट का प्रोवीज़न किया गया। लेकिन ये काम करने वाले तहसील-दार, एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, इरिगेशन, आदि के द्वारा जिनके मार्फत यह काम होते हैं, हालांकि फेमिन कोड में ऐसा प्रावधान है कि मेटर्निटी पीरियड में चालीस दिन का वेतन देना चाहिए, मुश्किल से कहीं पर इस प्रोवीज़न को काम में लाया जाता है। जिन लोगों के प्रतिनिधि सतर्क हुए और उन लोगों के पास पहुंच गए और उनको दिलवा दिया तो वहां तो मिल गया बाकी बहुत कम ऐसे आंकड़े मिलेंगे कि मेटर्निटी बेनिफिट कहीं दिया गया हो। जहां तक अपंग, असहाय को रिलीफ देने का सवाल है सरकार प्रोवीज़न करती है। आंसू पोंछने जैसा है। हजार दो हजार किसी को दे दें। लेकिन तहसीलवाइज़ जहां हज़ारों मजदूर काम करते हैं, दस-दस हज़ार मज-दूर काम करते हैं, वहां अपंग, बूढ़े लोग मिल जावेंगे जिनको आठ आना रोज मिलने का प्रावधान रखा गया है। इस ओर सर-कार ध्यान दे कि आठ आना रोज में किस का पेट भर सकते हैं ? लेकिन फेमीन कोड में प्रोवीज़न दे रखा है कि रिलीफ के लिए देंगे। इस प्रकार के प्रोविजन्स का अमेन्ड-मेंट करने की आवश्यकता है। आज कल रुपये का सवा किलो आटा मिलता है, वहां आठ आना में क्या होगा ? कहां से नमक मिर्च लावेगा ? क्या करेगा ? यह विचार-नीय प्रश्न है। खास तौर पर इस पर विचार करेंगे। इसमें प्रोवीजन्स दिये हैं और नहीं दिये हैं उन सब पर ठीक तरीके से विचार करें और इन मुद्दों पर गहरे तरीके से, जितने माननीय सदस्य इस कानून में समझने वाले हैं, जो ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उन सब के विचारों को सामने रख कर ऐसा फेमिन कोड बनायें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। हर दूसरे-तीसरे साल अकाल आता है। यहां रेगिस्तान है और वर्षा की कमी रहती है, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, इसके लिए समुचित समाधान की व्यवस्था हो, वह तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक न हो तो उस प्रकार की परिस्थिति को फेस करने के लिए, लोगों को रोजी रोटी देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाय ताकि सब लोगों को सहूलियत से रोजी-रोटी मिल सके।

मिनिमम वेज़ के प्रश्न की ओर मान-नीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस अकाल की स्थिति में जो फेमिन के तहत वर्कर्स काम करते हैं उनसे चौकड़ी सिस्टम पर काम कराया जाता है। एक बच्चा, एक स्त्री को लगाकर उस पर २.७५ पैसा दिया जाता है। उसकी हाजरी लेकर काम कराया जाता है। इस साल रिलीफ कमिश्नर साहब का इस प्रकार का सर्क्यूलर आया है कि उसकी हाजरी भी मांडी जाय और एक चौकड़ी से ज्यादा नहीं दी जाय। यदि कोई मेहनत करके एक चौकड़ी से ज्यादा चौकड़ी, दो चौकड़ी पूरी करना चाहे तो भी नहीं। हाजरी भी मांडे और एक चौकड़ी से अधिक नहीं होगी हालांकि दो चौकड़ी खोद सकता है और ५॥) रु० ले सकता है। वह नहीं दिया जाता है और २.७५ पैसा ही एक चौकड़ी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

का दिया जाता है। टास्क बेसिस पर शामिल कर लिया जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मिनिमम वेजेज लागू किये जायं, पूरा पैसा दिया जाय और स्त्री पुरुष में भेद है उसको मिटाकर समान स्तर पर पैसा मिलना चाहिए।

ऐसी परिस्थिति में जो लोग काम करने आते हैं वैसे हर समय में तो लोग इस प्रकार मिट्टी डालने का काम करना भी पसन्द नहीं करते। यह तो प्रकृति के प्रकोप के कारण उनको यह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वैसे ही काश्तकारों के पास अपनी जमीन काफी रहती है बीस पच्चीस पचास बीघा, लेकिन पानी नहीं बरसने के कारण वे इस प्रकार का काम करते हैं। जब ऐसी अभाव की स्थिति में वे काम करते हैं उस समय में भी उनको पूरा पैसा नहीं दिलाया जाय, तो यह उचित नहीं होगा, यही मेरा इस पर निवेदन है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के अधिकार के सम्बन्ध में रानी साहिबा ने जो प्रस्ताव रखा है, वैधानिक बातों का उल्लेख करते हुए मजदूरी में जो असमानता बरती जा रही है उस अवैधानिक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसका मैं स्वागत करता हुआ उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो प्रस्ताव लाया गया है इसके सम्बन्ध में इसकी भावना के विस्तार में जाता हुआ मैं अपना वक्तव्य सरकार द्वारा जो इस बारे में नीति अपनाई जा रही है उसी तक सीमित रखूंगा। मुझे जहां इस बात की खुशी हुई वहां यह सुनकर आश्चर्य भी हुआ कि माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को इतना सीमित क्यों किया जब कि उनकी भावना, उनकी दलीलें स्त्री और पुरुषों के अन्दर जो असमानता चल रही है उसका दिग्दर्शन कराया। उनका प्रस्ताव केवल अकाल के राहत कार्यों में काम करने वाली महिलाओं तक ही सीमित क्यों रखा? मेरा यह निवेदन है इसका स्कोप सीमित न किया जाकर सरकार की नीति की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से विधान के अन्दर समानता का व्यवहार किये जाने का उल्लेख है कि मजदूरी के अन्दर स्त्री और पुरुष के अन्दर समान वेतन होना चाहिए। इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और इस प्रकार का प्रस्ताव सदन द्वारा पास होना चाहिए। माननीय सदस्या ने जो इस प्रस्ताव को सीमित किया है अकाल के कार्यों में काम करने वाली महिलाओं के लिए यही उन्होंने क्यों पसन्द किया और उन्होंने उसी से सम्बन्धित दलीलें दीं? उनका अभिप्राय केवल यही था कि सरकार की ओर से जो भी अकाल के राहत कार्य खोले जाते हैं उनमें सरकार द्वारा दी जाने वाली मजदूरी के अन्दर महिलाओं और पुरुषों को दी जाने वाली मजदूरी में अन्तर रखा जाता है, केवल उसी तक यह प्रस्ताव सीमित रखा, यह मुझे अजीब सा लगा।

यह सही है, कि जैसा माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल व्यास ने कहा जब कि आज हम सब जगह समानता का व्यवहार करते आ रहे हैं, विधान में इसका उल्लेख है

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

तो मैं यह कहूँगा उन्होंने जो यह दलील दी वह इस विषय से हटकर दी । अब प्रश्न यह है कि मजदूर महिलायें जो फैक्ट्री में काम करती हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर्स के यहां काम करती हैं, सरकार के पब्लिक वर्क्स विभाग में काम करती हैं, कृषि विभाग में काम करती हैं—वहां पर पुरुष मजदूरों और महिला मजदूरों की मजदूरी में अन्तर किया जाता है । आखिर यह क्यों होता है ? उनके लिए जो दलीलें दी जाती हैं उस बारे में नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए और सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाना चाहिये कि स्त्री और पुरुष को जो मजदूरी दी जाती है उसके अन्दर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायगा । यही कहना कि केवल अकाल में भेदभाव किया जाता है सही नहीं है । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहूंगा कि सभी जगह मजदूरी में स्त्रियों और पुरुषों में अन्तर किया जाता है, पुरुषों को अधिक और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है । इस बारे में सरकार की ओर से स्पष्ट नीति की इस सदन में घोषणा होनी चाहिए ।

माननीय सदस्या ने जिस दर्द से, वेदना से अपनी बात रखी है उसके लिए जब तक स्पष्ट नीति न आ जाय तब तक वे अपने प्रस्ताव पर डटी रहेंगी और सरकार को उनके लिए विवश करेंगी । स्पष्ट नीति के के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए हमारा समर्थन उनको है । वे अपने इस प्रस्ताव पर डटी रहेंगी ।

अन्त में मैं यही कहूँगा जहां तक मिनि-मम वेजेज का सवाल है अजीब स्थिति मजदूर वर्ग के लिए सरकार द्वारा हो रही है । जिस तरह आज इस प्रस्ताव के अन्दर असमानता का दिग्दर्शन कराया गया है । उसी प्रकार विधान के अन्दर, सेक्स के आधार पर कहीं भी असमानता नहीं होनी चाहिए यह कहा हुआ है लेकिन इसको प्रेक्टिकल रूप में नहीं किया जाता है । आज हम यह देखते हैं कि असमानता का बर्ताव सेक्स के आधार पर होता है इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है । मिनिमम वेजेज के अन्दर हम देखते हैं दो रुपया ५० पैसा मिनि-मम वेजेज है । लेकिन सरकार की ओर से राहत कार्य चलाये जाते हैं, जिसमें लोगों को ज्यादा सहूलियतें देने की जरूरत होती है वहां मिनीमिम वेजेज का आधा भी नहीं देते हैं । एक रुपया दो आना और बारह आने और चौदह आने देते हैं । यह मिनिमम वेजेज पॉलिसी के बिल्कुल विपरीत पड़ता है । जब अकाल मानकर किसी को सहायता देने के रूप में काम करते हैं तो ज्यादा सहायता दी जानी चाहिये । लेकिन वहां पर निर्धारित वेजेज़ हैं उससे भी कम आप देते हैं । यह जो लोग काम करने अकाल कार्यों में आते हैं वह प्रकृति के प्रकोप के कारण आते हैं । इसमें भी आप सेक्स के अन्दर भेदभाव रखते हैं इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता । आपका कहना है कि काम के आउट पुट पर हम मजदूरी देते हैं । फेमिन कोड के अनुसार काम करते हैं लेकिन आप इन सारी चीजों के अन्दर अमेन्डिमेंट क्यों नहीं करते आप क्या यह महसूस नहीं करते कि हमारे यहां यह असमानता क्यों है ? आप सेक्स के आधार पर मजदूरी में असमानता कर अजीब सी स्थिति पैदा कर रहे हैं । मेरी ऐसी मान्यता है कि इस वाजिब बात को, जिसके तहत में

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

आप स्त्री और पुरुषों की मजदूरी के भेद–भाव को मिटा दें, विधान में भी यह बता रखा है कि पुरुष और स्त्री में असमानता नहीं होनी चाहिये। आपने कहीं भी, सेक्स के आधार पर वेजेज़ में कमी होगी, यह नहीं माना है। जो मजदूरी होगी वह दोनों के लिये समान होगी। अकाल के समय में जो आप यह भेदभाव करते हैं वह विधान के विपरीत है। आप यदि यह दलील दें कि आउट पुट के आधार पर देते हैं तो वह भी दलील नहीं टिक सकती। यह कोई नहीं कह सकता कि महिला मजदूर और पुरुष मजदूर के आउट पुट में कमी हो सकती है। आउट पुट के आधार पर देते हैं तो मापदन्ड दोनों का समान होना चाहिए। स्त्रियों का आउट पुट कम होता है, यह सही नहीं है समयाभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से आशा करता हूँ कि वह मौलिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट घोषणा करे–मजदूर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो–मजदूरी में किसी प्रकार भी भेदभाव नहीं होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्या ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस प्रस्ताव में बताया गया है कि अकाल के राहत कार्यों में महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है, यह नहीं होना चाहिए और आदमी और महिला को समान मजदूरी दी जाय। इस प्रस्ताव में यह भावना जाहिर की है।

माननीय अध्यक्षजी, देश में संविधान लागू होने के बाद भी इस पुराने समय के फेमिन कोड का जारी रहना गलत बात है। आज जब इतनी मंहगाई बढ़ गई है तो कम मजदूरी देना उनको भूखों मारना है। अकाल से क्या राहत देंगे आप इस तरह से इतने कम वेतन में उसका भरण-पोषण ही नहीं होगा। वह तो आधा भूखा मर जावेगा। इधर उधर थोड़ा बहुत इस फेमिन कोड पर ध्यान जरूर दिया है और सुझाव भी मांगे हैं सरकार ने पर इसमें सुझाव जैसी कोई बात नहीं है। मंहगाई साफ मालूम पड़ रही है और सरकार स्वयं जानती है कि क्या मिनिमम वेजेज मिलना चाहिये तो उस पर सरकार को तुरन्त अमल करना चाहिए। सरकार को तुरन्त इस कोड में संशोधन करना चाहिए और मिनिमम वेजेज़ के अनुसार जो वेतन माना गया है उतना तो मिलना ही चाहिए। फेमिन में पूरे फेमली मेम्बर काम करते हैं, राज्य सरकार को यह भी सोचना चाहिये फिर इतना मुश्किल का काम करते है तो मजदूरी भी पूरी मिलनी ही चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो जाय।

फिर एक बात और है, फेमिन में औरतों को मेटर्निटी बैनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता एडवान्स स्टेज में भी वे काम करती है। इस मेटर्निटी बैनिफिट की ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

अब फेमिन कोड में संशोधन की स्टेज है....यह तो मन्त्री महोदय ही बतावेंगे। पर फेमिन के काम अब जल्दी ही चालू होने वाले हैं बहुत सी जगह। तो स्पष्ट तौर से सरकार को कह देना चाहिये कि उनको

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या वेतन मिलेगा । यह संकल्प भी इस दृष्टि से ठीक समय पर आया है । राज्य-सरकार को इस पर अपना निर्णय जाहिर कर देना चाहिए ।

फिर आदमी और औरतों के वेजेज में इतना अन्तर नहीं होना चाहिए । फिर किसी वर्क के अनुसार काम दिया जावे तो हाजरी की दिक्कत आती है । दो हाजरी का काम एक दिन में कर देते हैं तो वैसी वर्क की योजना फेमिन में लागू नहीं कर सकते क्योंकि हाजरी का सवाल उपस्थित हो जाता है । दो दिन का काम एक दिन में कर लें तो दो दिन की मजदूरी एक दिन में दी जावे या नहीं–यह कठिनाई आवेगी । इसको दूर करना चाहिए ।

यह सवाल भी आता है कि औरतें कम काम करती हैं आदमियों की अपेक्षा । यह आधार रखते हैं तो छुट्टियां नहीं रखते हैं और दो छुट्टियां निकाल दें तो डबल मजदूरी दी जानी चाहिये । पर कानून के अनुसार यह नहीं दे सकते । तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

यह भी सुझाव है कि आदमी, औरतों और बच्चों की मजदूरी की भिन्नता दूर कर देनी चाहिए जो मिनिमम वेजेज, वर्क का आउट पुट इसके अनुसार कर देना चाहिए भिन्नता दूर कर देनी चाहिए ।

फिर फेमिन कोड में सुझाव मांगे थे, वे भी आ चुके हैं । यह पुराना फेमिन कोड तो आउट ऑफ डेट हो चुका है । समय की आवश्यकता को देखते हुए, समय की पुकार को सुनते हुए इसके नियमों में संशोधन तुरन्त कर देना चाहिये ।

इन मुद्दों पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प रानी साहब ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो स्त्री–पुरुष मजदूर में भेदभाव है वह हटा देना चाहिये ।

फिर एक बात और निवेदन कर दूं कि आज इस छोटे तबके को सरकार ऊपर नहीं उठाना चाहती । उसे आज भी मजदूरी पर ही गुजर बसर करना पड़ रहा है । इस सारे तबके को कोई राहत न देकर इस तरह से मोहताज रखा जा रहा है कि स्त्री बच्चों तक के मजदूरी करने पर भी पेट नहीं भर सकता । इसलिए औरत–मर्द को बराबर की मजदूरी मिलनी ही चाहिए । मजदूरी में वे बराबर का काम करते हैं और दोनों मजदूरी कर के अपना गुजर–बसर करते हैं । यहां इस मायने में समानता मिलनी ही चाहिए । छोटे तबके की प्रगति का सवाल तो बनने वाला है ही नहीं । इसलिए मैं तो क्या सात पीढ़ी में भी सरकार पिछड़े तबके को आगे नहीं आने देगी ।

सरकार कहती है वह समाजवादी समाज की रचना करेगी । यह किस प्रकार से हो सकता है जब कि आप ऊपर की श्रेणी की जितनी भी औरतें हैं या मर्द हैं उनको ऐसा अधिकार देते हैं कि वे और भी ऊंचे होते जा रहे हैं और नीचे की श्रेणी का गरीब तबका अधिक गरीब होता जा रहा है । वहां अकेला आदमी अपने परिवार के सारे सदस्यों का पेट नहीं भर सकता इस-

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

लिये औरतों को भी मजबूरी से घर से बाहर मजदूरी करने के लिये निकलना पड़ता है। तो इस दृष्टि से सरकार से कहना चाहूँगा कि जो भी उच्च श्रेणी वाले अधिकारी व बड़े लोग हैं क्या उनकी भी औरतों को मजदूरी पर ला सकते हैं ?

फिर छोटे तबके की मजदूरी इतनी कम है कि जिसमें वे अपना गुजर बसर नहीं कर सकते। उनको आज भी एक रुपया दो आना मर्द को, चौदह आने औरत को मजदूरी के मिलें तो इस मंहगाई में गरीब का पेट कैसे भर सकता है ? तो कहना चाहता हूँ कि इस तबके को ऊंचा उठाना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे आने देना चाहते हैं तो उनको कम से कम ऐसी मजदूरी तो मिलनी चाहिये ताकि जिसमें वे अपना पेट भर सकें, कपड़ा पहन सकें और इन्सान की तरह अपना गुजर बसर तो कर सकें।

दूसरी जगह वालों की बात दूसरी है। इसके अलावा जो मजदूर अकाल राहत कार्यों में जाते हैं वे कहां जाते हैं, इसका तो अन्दाज लगाया जावे। जंगलों में जाकर मजदूरी करते हैं। फिर भी सरकार उनका पेट भरने में उदासीनता करे, यह अच्छी बात नहीं है।

अकाल राहत कार्य उसके लिये खोले गये हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जो किसानों की खेती में हाथ बंटा कर पेट पालन करते थे उस तबके को अकाल की वजह से मजदूरी में जाना पड़ा। उसको आप पूरा काम नहीं देंगे तो भी दिक्कत है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि आदमी और औरतें मजदूरी बराबर करते हैं। ऐसी बात नहीं कि मर्द ज्यादा करते हों और औरतें कम। औरतें बोझा ढोती हैं जो मर्द नहीं ढो सकता। तब भी आप उनको समान वेतन न दें तो फिर वे कैसे गुजर बसर कर सकती हैं ? आखिर उनका भी भरण-पोषण का सवाल है। तो इन कारणों से इस संकल्प पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैं रानी साहिबा से भी निवेदन करूंगा कि वे इस संकल्प को पारित करा कर ही छोड़ें वापिस न लें; तभी महिला समाज की आप सही सेवा कर सकेंगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प रखा गया है कि अकाल सहायता कार्यों में पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन दिया जाये। जहां तक मजदूरी का प्रश्न है, दुर्भाग्य है इस देश में अब तक हम किसी को लिविंग वेज नहीं दे पाये हैं। जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए मजदूरों को वह न तो किसी कारखाने में मिलती है और न किसी सरकारी काम में मिलती है। जो भी न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है वह भी बहुत कम है। न्यूनतम वेतन राजस्थान के प्रायः सभी उद्योगों में लागू है। अकाल सहायता के लिए यह कहा जा सकता है कि यह तो एक आकस्मिक काम है लेकिन इससे हम तालाबों की मरम्मत करवाते हैं तो वह सिंचाई के न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत आ जाता है, अगर हम सड़कों की मरम्मत करवाते हैं तो वह पी० डब्ल्यू० डी० के वेतन के अन्तर्गत आ जाता है न्यूनतम वेतन किसी आदमी के लिए पूरा नहीं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कहा जा सकता क्योंकि हमारा देश दे नहीं पा रहा है। न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अब यहां जो यह प्रस्ताव आया कि पुरुष और स्त्रियों को बराबर वेतन मिलना चाहिए तो वास्तव में सभी जगह, जिस विभाग में भी न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है वह दोनों के लिए बराबर है। अकाल सहायता में भी स्त्री और पुरुषों को अब तक अलग नहीं बताया गया है। फेमिन कोड है, उसमें यह बताया गया है कि मिट्टी जो खोदता है उसको १. रु० २ आ० और जो मिट्टी इधर से उधर उठाकर ले जाता है उसको १४ आना दिये जायेंगे। कहने का मतलब यह है कि फेमिन कोड में भी स्त्री और पुरुषों के लिए कोई अलग अलग वेतन नहीं दिया हुआ है।

स्वभावत स्त्रियां मिट्‌ठी उठाकर ले जाती हैं, और पुरुष खोदता है यह दोनों में फर्क है। पैसों की कमी बड़ी चालाकी के साथ सरकारी अधिकारियों ने नियम बनाकर सरकार द्वारा रख दी और यहां ले आये। फेमिन कोड अंग्रेजो के जमाने का है। आजादी के बाद में बिना किसी भेद लिंग के न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है हर इन्डस्ट्री के अन्दर। इसके अन्दर भी न्यूनतम वेतन में स्त्री और पुरुषों का भेद नहीं बताया और सिर्फ खोदने वाले का और उठाकर ले जाने वाले के वेतन में भेद बताया है। पहले १२ आने, १० आने और ६ आने दिये हैं और बाद में उसे १ रु० २ आ० और १४ आना किया है। अध्यक्ष महोदय, १४ आने में किसी का पेट नहीं भरता और जहां तक अनस्किल्ड लेबर का प्रश्न है, जो मिट्टी खोदता है वह भी अनस्किल्ड है और जो मिट्टी को उठाकर ले जाता है वह भी अनस्किल्ड है और अनस्किल्ड को बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो यह भेद स्त्रियों और पुरुषों में न करके दो तरह की बातें की हैं कि खोदने वाले को और उठाकर ले जाने वाले को यह वेतन मिलेगा। उठा कर स्त्रियां हो ले जाती हैं इसलिए उनको कम मिलता है और पुरुष क्योंकि खोदता है इसलिए उनको ज्यादा मिलता है–यह भेद मिट जाना चाहिए और यह होना चाहिए कि इस काम के करने वालों को इतना पैसा दिया जायेगा। अब सिफारिश कहीं नहीं की गई है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाये। वह १ रु० २ आ० स्त्रियों को मिल जाये तो इस संकल्प की मंशा पूरी हो जाये और १ रु० २ आ० स्त्रियों को नहीं देते हैं तो यह सरकार के लिए शर्म की बात है और इस सदन को तो शर्म है। सब को १ रु० २ आ० दीजिए। हर इन्डस्ट्री में न्यूनतम वेतन २ रु० ५ आना है। वहां मिट्टी के खोदने वाले को भी २ रु० ५ आ० मिलता है और एग्रीकल्चरल लेबर को भी २रु. ५आना न्यूनतम वेतन है और इस अकाल सहायता के कार्य में आप १ रु० २ आ० देते हैं, यानी आधे से भी कम और स्त्रियों को तो और भी कम, १४ आने यानी एक तिहाई हिस्सा मिलता है। सरकार ध्यान नहीं देती है बहुत सी चीजों के ऊपर। जिस सरकार ने बोनस का कानून पास किया और सरकार के पैसों से पलने और चलने वाले यहां के विद्युत विभाग जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसने उस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। आपके ऑफिसर्स हैं, आपका पैसा है सब

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

डाइरेक्टर है उसमें लेकिन लोग तकलीफ पायें इसमें न जाने क्या मजा आता है। बोनस के खिलाफ हाईकोर्ट में गये। लोगों ने इसके लिए ही हल्ला शुरू किया और आन्दोलन किया। जिस सरकार को अपनी जुबान का पक्का रहना चाहिए था और जब न्यूनतम वेतन की जरूरत है यह भारत सरकार ने तय किया और राजस्थान सरकार ने भी माना कि हर उद्योग में यह जरूरी है, इसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता और उसके बाद में आप फेमिन का काम चलाते हैं, उसमें न्यूनतम वेतन जरूरी नहीं मानते हैं। आप काम अकाल में नहीं कर उसी तरह से कराते, ठेकेदारों द्वारा कराते, तो भी आपको पूरे पैसे देने पड़ते। आज मुफ्त में काम करवाते हैं। आपको जहां सड़कें बनवानी हैं एक गांव से दूसरे एक तहसील से दूसरी तहसील को, तहसील से जिले को मिलाना है तो उस सड़क पर आप अर्थ वर्क कराते हैं तो वह आपको कराना पड़ेगा और कराते तो उस समय ज्यादा पैसा देना पड़ता। तो अकाल तो जनता के लिए अभिशाप हो गया और आपके लिए वरदान हो गया। अकाल पड़े तो आप सस्ते में काम करावे। मैं बीकानेर इलाके के नोखा गांव में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि इस साल बहुत ज्यादा मजदूरी चलेगी। मैंने पूछा कि वह कैसे तो कह हैं कि अकाल पड़ता है तो मजदूरी सस्ती मिल जाती है और मकान सस्ते में बन जाता है। आप ही बताये कि आपने पी. डब्लू. डी. से मारवाड़ के इलाके में कितनी सड़कें बनवाई यहां हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं वह बतावें जोधपुर और नागौर में कितनी सड़के बनीं जयपुर डिवीजन में जितना खर्च किया। आपने उन इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा। कभी आपने यह नहीं समझा कि इस इलाके से हम आये है जहां पर आज गरीब ज्यादा रहते हैं, जहां हर तीसरे साल अकाल पड़ता है इस बार तो दुर्भाग्य है कि तीन साल से बराबर अकाल पड़ रहा है वहां के लोगों को पूरा पैसा मिले यह सोचने की आपने जरूरत कभी नहीं समझी। आप केबीनेट में बैठे हैं आप दावे के साथ कह सकते हैं। मिनिस्टर को पता नहीं क्यों कि उनके इलाके में अकाल पड़ता नहीं है। लेकिन केबीनेट में में ऐसे शानदार मिनिस्टर होते हुए भी वह परवाह नहीं करते क्योंकि उनके घर में अकाल नहीं है। उनके घर में अकाल की छाया होती तो सोचते कि क्या करना है। अकाल के क्षेत्रों में स्त्रियां काम करें तो उनको १४ आना मिले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): इनकी बीबीयों को अकाल कार्यों में लगादो फिर मालूम पड़ जायेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप अकाल का दर्द नहीं जानते है। जहां अकाल नहीं है जहा प्रभु की कृपा हैं, जहां अनापशनाप अन्न पैदा होता हैं वहां २ रू० ५ आ० दिया जायेगा और जहां लोग भूखों मरते हैं, जहां अकाल पड़ा हुआ है, जिनके पशु घास के बिना मर जाते हैं. जिनको खेत गिरवी रखने पड़ते है महाजनों के यहां उनके लिए आप कहते हैं कि न्यूनतम वेतन नहीं दिया जायेगा न्यूनतम वेतन की वहीं जरूरत हैं जहां कुछ पैदा नहीं होता हैं, इसे आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

इस तरफ आप ध्यान दीजिए और ऐसी स्थिति पैदा कीजिए कि अकाल ज्यादा नहीं पड़े। अकाल का मुकाबिला करने के लिए तो सालों लग जायेंगे तब तक आप मजदूरों को मजदूरी पूरी दिलाइये। अकाल सहायता कार्यों में काम करने वाली स्त्रियों को मेटर्निटी बेनीफिट नहीं मिलते। हर उद्योग में ५०० रूपया पाने वाली स्त्रियों को और १५०) रूपया पाने वालों को भी यह बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस अकाल में काम करने वालों को मेटर्निटी बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर काम लेने वाले सामन्तशाही जमाने के नौकर वही तहसीलदार, इन्सपेक्टर और पता नहीं क्या क्या। गिरधारीलालजी ने कहा और उन्होंने किसी को दिला दिया होगा लेकिन किसी को भी नहीं दिया। वर्ना आप बता दीजिए कि आपने इन ५ वर्षों में किसी को मेटर्निटी बेनिफिट दिया है क्या? उनको सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलती है। यह मिलता उनको है जिन्हें दर्द नहीं है। लेकिन जहां अनाज पैदा नहीं होता है उनको हफ्ते में एक दिन की सवैतनिक छुट्टी भी नहीं मिलती है जब कि उसमें है कि मिलनी चाहिए, पर नहीं देते हैं। आप पूरा पैसा नहीं देते। एक कानून की बात बताकर और सदस्यों को यह कह कर कि चूंकि स्त्रियां मिट्टी की तगारी उठाकर ले जाती हैं इसलिये कम पैसा देंगे, यह शोभनीय बात नहीं है।

जो मंत्री महोदय यहां विराजते हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह आपके इलाके का प्रश्न है, आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए और आप अपनी केबिनेट से तय करवायें, नियमों में इसकी व्यवस्था करावें। यह जो संकल्प हैं कि स्त्री और पुरुष को एक समान पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए अभी आप कह देंगे कि मिट्टी उठाने का चौदह आने और जमीन खोदने का एक रुपया दो आना देते है, तो इससे संतोष नहीं होगा। आपको पैसा बढ़ाना चाहिये और बढ़ाना पड़ेगा। आप न्यूनतम वेतन की घोषणा कीजिए और जैसे और कामों में न्यूनतम वेतन निर्धारित है उसी तरह इसमें भी करिए, तब तो मामला चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी बीमारी का प्रश्न है, कोई इलाज का साधन नहीं है, जहां कहीं होस्पिटल हो वहां जाकर इलाज करा लो, कोई देखने वाला नहीं हैं। पीने को पानी नहीं हैं। अनाज का भी पता नहीं हैं। अनाज बेचने के लिए कोई दूकानों की व्यवस्था नहीं की गई हैं, सस्ते अनाज की बिक्री की दूकाने नहीं खोली गई हैं जहां पर अकाल का काम है। इसके बाद नियमों में यह हैं कि जो काम नहीं कर सकता है, अपाहिज है उनको पैसा दिया जाएगा हो सकता है कि जहां पांच सौ आदमी काम करते हो वहां एक आध की हाजरी भर ली अपाहिज की और उसको कह दिया कि बैठ कर पानी पिलाओ। वह किसी भी तरह से बैठा रहता है दिन भर और उसको आठ आने के पैसे देते हें, वह भी बिना काम करवाए नहीं। जो अकाल ग्रस्त इलाकों में लंगड़ा लूला काम नहीं करने योग्य व्यक्ति हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आप उनको भी बिना काम करवाए पैसा नहीं देते। अगर सरकार यह कहे कि वहां पर हम काम करवाते है तो यह भी बात सही नहीं हें। आपके बड़े २ बांध बन गये हैं, सड़के चल गई हैं, बहुत सस्ते काम करा लिए हैं। पी. डब्लू. डी. से जो काम होता हैं उससे बहुत

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

सस्ते में काम होता हैं। जिस तरह ब्याज खाने वाला व्यापारी कहता है कि अकाल के अन्दर काम सस्ता होता है उसी तरह से अगर सरकार भी यह कहने लगे कि इसका फायदा उठाया जाय तो सरकार के लिए उचित नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : पांच मिनिट अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनिट में ही बोलूंगा। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ भी करना चाहेंगे लेकिन अब तो मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माइक खराब है।

श्री अध्यक्ष : यह माइक नहीं बोल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : माइक खराब है, साहब।

श्री मथुरादास माथुर : मैं दो मिनिट में ही ठीक कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा लगता है मानो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई घिस गई है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्या ने रखा है उस प्रस्ताव के बारे में जो सदन के ऊपर चर्चा हुई मैं शुरू में यह कह देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है, उसकी कद्र करती हैं। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को बराबर वेतन, पगार मिलनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, फेमिन कोड के अन्दर कोई भी यह बात नहीं हैं कि स्त्री, पुरुष को अलग अलग पगार देनी चाहिए। फेमिन कोड के अन्दर स्त्री, पुरुष और बच्चे की जगह उन्होंने वहां पर यह रखा है कि जो जमीन को खोदता है उसको एक वेतन मिलेगा और जो मिट्टी ढोने का काम करता है उसको एक वेतन मिलेगा।

श्री चौसरसिंह बावेल (बैंगू) : यह तो सदस्यों ने बहुत सुन रखा है, यह भी अब कोई बताने की चीज है।

श्री मथुरादास माथुर : और भी बताऊंगा, आप जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमूमन औरतें बोझा ढोने

Page No. 78

(श्री मथुरादास माथुर)

का काम करती हैं और स्वाभाविक है, कहने के लिए और भाषण के लिए की माननीय सदस्य और माननीय सदस्या कुछ भी कह दें कि स्त्री और पुरुष को बराबर ही वेतन मिलना चाहिए। विधान में भी यही है कि बराबर माना जाय। असल में, मैं यह मानता हूं कि औरतें एक कदम पुरुष से ज्यादा हैं, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिखा- पढ़ी में, भाषण देने में भी वे आगे हो सकती हैं, कोई कोई, सब नहीं। मगर बोझा उठाने में और खोदने में खास तौर से स्त्री चाहे जितनी भी हिम्मत वाली हो, कई शारीरिक कठिनाइयों के कारण जो जमीन खोदने का काम है उसे पुरुष ही कर सकते हैं और मेरे ख्याल से स्त्री से हमें वह काम करना भी नहीं चाहिए....

एक माननीय सदस्य : गाडुलिया लुहारों की स्त्रियों को देखा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : फिर तो पुरुष भी तगारी उठाने का काम करें।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे तो स्त्रियां घोड़े की सवारी कर सकती हैं। मगर हमारे यहां के साइन्टिस्ट रमन साहब, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वनस्थली में आए थे, उन्होंने वनस्थली में जब लड़कियों का घोड़े के ऊपर चढ़ कर प्रदर्शन करना देखा तो उन्होंने कहा था कि लड़कियों के द्वारा घोड़े की सवारी करना बन्द कराना चाहिए क्योंकि स्त्री के शारीरिक कारणों की वजह से गलत चीज है और जो यह सवारी करती हैं तो भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ है। अमूमन हमारे यहां यही रिवाज है कि जमीन खोदने का काम स्त्रियों को नहीं करने दिया जाय और अगर कोई बहिन अपनी मजबूरी के कारण, अपनी भूख के कारण वैसा करना भी चाहे तो उसको नहीं करने देना चाहिए। फेमिन तो आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा जमाना भी तो आता है। इसलिए फैमिन कोड में यह व्यवस्था है कि जो जमीन खोदने का काम करे उसे ज्यादा पैसा मिले और जो बोझा ढोने का काम करे उसे थोड़ा कम पैसा दिया जाय। इसके अलावा फेमिन कोड के अन्दर एक व्यवस्था और भी है कि जो फेमिन में काम करते हैं उनकी एक गैंग मान ली जाय, स्त्री पुरुष और बच्चा, ये तीनों मिल कर अगर सौ क्यूबिक फिट की खुदाई कर दें, पुरुष जमीन खोद दे, बच्चा मिट्टी भर दे और स्त्री उठा कर दूसरी जगह डाल दे तो इस तरह तीनों के मिल कर काम करने से....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : आप जो खुदाई और बोझ उठाने की बात करते हैं तो जो फेमिन में वर्क होते हैं उनमें जो खुदाई का काम करते हैं वे मिनिमम वेजेज में आते हैं और दूसरे वे हैं जो दूसरे काम करतेहैं और वे मिनिमम वर्क में आते हैं। मिनिमम वर्क और मिनिमम वेजेज में से आप किस की बात कर रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : फेमिन कोड की स्कीम के अन्दर जो होता है उसी की बात कर रहा हूं, फेमिन कोड के जरिए एक तरह से उनको सब्सटेंस अलाउंस देते हैं। इसके अन्दर मिनिमम वेजेज और दूसरी दुनियां भर की बातें लागू करेंगे। मैं इसके बहुत विरोध में नहीं हूं मगर फिर तो जो बारह तेरह साल के बच्चे पर लेबर लॉ लागू हो जाएगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

इससे बारह साल का बच्चा काम नहीं कर सकेगा लेकिन इसके विपरीत आज स्त्री, पुरुष और बच्चा मिल कर, तीनों मिल कर अगर सौ क्यूबिक फिट की खुदाई कर दें तो उनको कुल मिला कर पौन तीन रुपये मिल जाते हैं और उससे गुजारा कर लेते हैं। चीप ग्रेन शोप की व्यवस्था भी, दवाइयां भी फ्री मिलती हैं। ट्रांसपोर्ट की फोसलिटी है, उनको फ्री लाते हैं ले जाते हैं, मेटर्निटि की फैसलिटि भी देते हैं और इसके बाद में जो गुड दिया जाता है वह भी सस्ता दिया जाता है। तो इस तरह से सब तरह की सुविधायें हैं। मैं इस बात को मानता हूं और खास तौर से माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है कि उनको तनख्वाह बराबर देनी चाहिए.. ..

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि अगर कोई दो चौकड़ी खोद दे तो दूना पैसा देंगे या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को निवेदन करता हूं कि वे ऐसी बात करते हैं, दो चौकडी खोद नहीं सकते। इम्पोसिबल है कि कोई दो चौकड़ी खोद दे। यह तो बहुत सीधी सी बात है, दो चौकड़ी खोदना तो दूर रहा एक चौकड़ी भी पूरी नहीं खोदते। हमें तजुर्बा है, हम जानते हैं कि एक चौकडी भी पूरी नहीं खोदते हैं! इसलिए जो उनको रोजगार देना है और इसीलिए फेमिन की फिलोसोफी भी बिल्कुल डिफरेंट है। माननीय सदस्य भी उसी फेमिन इलाके से आने वाले हैं.....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसलिए कहता हूं कि यह डिफीकल्टी है।

श्री मथुरादास माथुर : वह यह है कि वेजेज का वर्क से सम्बन्ध नहीं है इस फेमीन कोड के अन्दर, और फेमीन के काम में...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : वह नहीं है इसीलिए तो हम पूछते हैं कि मिनिमम वेजेज क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर बहिनजी वह काम कर देंगे तो जो पगार आज उनको मिलता है वह नहीं मिल पायेगा। फेमीन में जितना एक ऑर्डिनरी लेबर काम करता है उतना नहीं करता है। इसमें भी वेजेज वर्क को लिंक कर देंगे तो वे अपना काम नहीं कर सकेंगे पूरा और उनको पगार कम मिलेगी और पगार पूरी नहीं मिलेगी तो रोज के झगड़े होंगे। ऐसी सूरत के अन्दर....

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी के खड़े होने पर)

आप बैठिए, मेरी सुन लें। मैं आपकी बात पर आता हूं।

इसलिए फेमिन कोड में वर्क करने की फिलोसफी और ऑर्डिनरी लेबर और कॉन्ट्रेक्ट में मिनिमम वेजेज पर काम करने की फिलोसफी में मतभेद है। इस बात को सोचना चाहिए। लास्ट ईयर यह सवाल असेम्बली में पैदा हुआ था। वहां पर अगर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होता है तो और लेबर लॉज भी लागू हो जायेंगे तो फिर अभी जो उनके १२-१३ वर्ष के बच्चे काम करते हैं उनको काम नहीं मिलेगा। अभी तो उनको इन बच्चों की तनख्वाह मिल जाती है वह एड कर दें तो वह मिनिमम

Page No. 80

(श्री मथुरादास माथुर)

वेजेज़ के ऊपर चली जाती है। मंहगा गेहूं मिलता है तो भी उनको सस्ता देना पड़ता है।

फिर भी जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा। मैं भी जानता हूँ और, माननीय अध्यक्ष आप भी उसी इलाके से आते हैं। हम दोनों फेमीन इलाके से हैं। हम जानते हैं। इस लिए जरा गौर कीजिए कि फेमिन के अन्दर जब, आप तो पगार की बात करती हैं, बहनजी, वहां के लोग अपने बच्चों को गाड़ी में भर कर कूच करते हैं और कोटा डिवीजन की तरफ, झालावाड़ की तरफ और मध्यप्रदेश की तरफ रवाना होते हैं उस वक्त का नजारा देखने के लायक होता है। उसको बन्द करने के लिए कुछ किया जाय। सबसे पहला प्रस्ताव तो यह आना चाहिए था। उसके लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। फेमीन के इलाके के अन्दर ट्यूबवैल खोदे हैं। २५० ट्यूबवैल्स में से १०० तो करीब करीब खुद चुके हैं। उन ट्यूबवैल्स पर वाटर बैंक और फोडर बैंक बनाये जायेंगे ताकि वहां पर पशुओं को रख सकें। १०-१० मील पर यह ट्यूबवैल्स खोदे जा रहे हैं। यह जो डंडी मार्च करते हैं, मध्यप्रदेश जाते हैं वह बन्द हो जाये। यह काम जरूरी है। राज्य ससकार ने उसको उठाया है और बहुत हद तक कामयाब हुई है। कुदरत ने भी साथ दिया है और पानी सतह पर आया है। ट्यूबवैल बड़े कामयाब हुए हैं। जहां २५हजार गैलन पानी निकलता है वहां इरिगेशन हो जायेगी और जहां १० हजार गैलन पानी निकलता है वहां ड्रिंकिंग वाटर काइस बैंक बनाया जायेगा। इसलिए लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार बहुत तरह से सतर्क है।

पुराना कोड है इसलिए खराब है इसलिए इसको बदला जाना चाहिए, यह मैं नहीं मानता। हां, कई धाराओं को बदलने की जरूरत है और नई चीजों के लाने के दृष्टिकोण से आज आधुनिक युग की बाते हैं उस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने आपके प्रस्ताव के आने से पहले, १-२ महीने पहले एक कमेटी मुकर्रर कर दी है जिसमें हमारे सदन के सदस्य माननीय लड्ढाजी चेयरमेन हैं। फेमीन कोड में जो विशेष बातें यहां कही गई हैं और जो विचार रखे गये हैं उनको ध्यान में रखा जायेगा और जो बातें नहीं हैं उनको लाया जायेगा। उसमें रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन भी है, दो कलेक्टर्स भी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं, फेमीन कमिश्नर भी है। उसके चेयरमेन लड्ढाजी, डिप्टीमिनिस्टर साहब हैं। यह जो कमेटी बनाई गई है वह फेमीन कोड के अन्दर क्या सुझाव दिये जाय इनका रिव्यू कर के लेटेस्ट वह हो जाय यह प्रयत्न किया जायेगा। इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमनेशन नहीं रहे, लोगों को पूरी पगार मिले और जितनी सुविधाएं लोगो को उपलब्ध करा सके मुश्किल में करायेंगे। कमेटी पहले [illegible] चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं, और आपके प्रस्ताव के आने के बाद कमेटी ने काम और तेजी से चालू किया है और तेजी से चलने के बाद इस कमेटी के अन्दर जो सुझाव आयेंगे राज्य सरकार उस पर विचार करेगी, उन सुझावों पर काम करेगी। एश्योरेंस के साथ जब कि राज्य

(श्री मथुरादास माथुर)

सरकार ने कमेटी बना दी है और वह कमेटी अपना काम कर रही है। आपने सुझाव दिये हैं उस पर विचार रखा जावेगा, मैं समझता हूं माननीय सदस्या अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगी। यह सवाल पुरुषों और स्त्रियों के बीच में इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी का नहीं है। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि बराबर ही नहीं एक कदम और दिया जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और आज के हालात के अन्दर हमारे भारत की महिलाओं और खास तौर से राजस्थान की महिलाओं ने बहुत ही बहादुरी के काम किये हैं, इतिहास में किये हैं, और आज भी कर रही हैं। ऐसी सूरत में........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहादुरी का काम कर सकती हैं, खुदाई का काम नहीं कर सकती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बहादुरी का काम और है, गोली मारना और चीज है और खड्डे खोदना और चीज है, तुरवत खोदना और चीज है और मारना और चीज है। अगर वह चाहें तो भी हम को नहीं कराना चाहिए। यह बात मैंने कही थी फिर भी इस पर विचार रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : खड्डे खोदने की गोलीगोली आपकी ही है।

मथुरादास माथुर : इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्या इस प्रस्ताव को वापिस ले लेंगी, क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही एक कमेटी बना चुकी हैं। इसको वापिस ले लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, दलीलें दीं उसमें कोई दम नहीं है।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

जब औरतें और मर्द ८ बजे सुबह से लेकर ५ बजे तक काम करते हैं और टाईम वेजेज पर काम करते हैं तो जितनी पुरुषों को मजदूरी दी जाय, उतनी ही औरतों को दी जाय। आपने न जाने किधर की बात इधर लगाई और उधर लगाई और बातों ही बातों में उसको उड़ा दिया। यह फर्क क्यों रखा जाता है? जब दोनों बराबर घंटे काम करते हैं, चाहे कोई सा ही काम लें, लेकिन स्त्री और पुरुषों को बराबर वेजेज दी जायं। सरकार गैर कानूनी कार्यवाही करती है........

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से भाषण समाप्त हो गया। आप वापिस लेना चाहती हैं?

विपक्षीदल : नहीं नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख और मजबूरी से मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने रखा है, वह उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

विपक्ष के माननीय सदस्य : No, no।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री अध्यक्ष : एक दफा और बोलिये।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने रखा है वह उनको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं वापिस लेती हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपका कदम सही दिशा में होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह संकल्प।

(२.५७ म. प.)

(२) राज्य सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ते के बराबर करने विषयक

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा है, तो समय पर पाबन्दी रखी जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप पर तो वह भी पाबन्दी नहीं होगी।

श्री मानसिंह महार : यह न हो कि सिर्फ एक ही सदस्य घंटा, डेढ़ घंटा ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं श्री भैरोंसिह, उनके सम्बन्ध में समय की पाबन्दी न हो और आप पर पाबन्दी लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री मानसिंह महार : मेरी पार्टी के और भी बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी पार्टी के सारे दिन भर बोलते रहें, रात भर बोलते रहें और अगले सैशन तक बोलते रहें। इसमें आपको जल्दी क्या है? राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों के भाग्य के फैसले का सवाल है. मानसिंहजी महार।

श्री मानसिंह महार : इसीलिए बोलना चाहते हैं कि हमारा हृदय भी आप से ज्यादा दुःखी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए ऐसा मत करिये।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

"इस सदन की यह सम्मति है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बराबर हो।"

यह दूसरी भी टेकन टू–बी मूव्ड समझा जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, प्रायोरिटी जब फिक्स होती है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय सवेरे ही व्यवस्था दे चुके हैं कि दोनो प्रस्तावों पर एक साथ विचार होगा। इसलिए दोनों को एक साथ मूव कर दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : यह फैसला हो चुका था कि पहले का प्रस्ताव पहले लिया जायेगा, दोनों का साथ लेना अन्याय है।.

एक माननीय सदस्य : अन्याय की बात क्या है? दोनों साथ में ले लीजिये।

श्री मानसिंह महार : अलग अलग हैं दोनों बिल्कुल। यह फैसला हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : अलग नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : एक साथ मूव नहीं कर सकते।

श्री मानसिंह महार : यह गलत तरीका है। यह फैसला हो चुका है।

(३ म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय प्रारम्भ में जब यह प्रश्न खड़ा हुआ था तो आपने व्यवस्था दी थी कि दोनों संकल्पों का विषय एक सा है एक प्रस्ताव है–'इस सदन की यह सम्मति है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बराबर हो' और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूसरा प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने रखा वह इस प्रकार है: "इस सदन की यह राय है कि राजकीय राजस्थान कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन के बराबर हों और दूसरे में वेतन केन्द्र के बराबर हो। स्कोप एक ही है, दोनों को साथ साथ ले सकते हैं। सरकार को उत्तर देना हो कि वेतन बराबर नहीं होगा तो अलग उत्तर दे दे, प्रस्ताव दोनों एक से हैं।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : अगर दोनों एक से हैं तो प्रस्ताव अलग अलग नहीं रखने चाहिये थे, एक ही प्रस्ताव रखते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने बात कही की दोनों को साथ लिया जाए, यह व्यवस्था या विचार मैंने उस समय प्रस्तुत किये थे जब कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का सुझाव दिया था। लेकिन अब और माननीय सदस्य आपत्ति कर रहे हैं इसलिये जुदा जुदा लिये जायं। वास्तव में मंहगाई का प्रश्न है वह वेतन से जुदा हैं। कई राज्य सरकारों ने मंहगाई भत्ते पर विचार किया है कि कम से कम मंहगाई भत्ता एकसा कर दिया जाय लेकिन वेतन एकसा करने की राय किसी ने जाहिर नहीं की। इसलिये दोनों भिन्न हैं। एक साथ लेने में माननीय सदस्य सहमत नहीं हैं इसलिये अलग अलग लिये जायं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उस प्रस्ताव का संबंध राजस्थान के लगभग २। लाख परिवारों से है। यदि एक परिवार की संख्या औसतन ५ मानी जाय तो लगभग ११–१२ लाख कर्मचारियों का प्रश्न इस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मैं सदन का ध्यान संविधान की उन निर्देशिक धाराओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिन के द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्तर व मंहगाई भत्ता निर्धारित किया जाना चाहिये। भारत सरकार और राज्य सरकार ने कई बार इस प्रश्न के ऊपर विचार किया है और इस पर विचार करने के साथ साथ कई प्रकार के निर्णय भी लिये हैं। वह जितने भी निर्णय लिये गये उनसे राज्य सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हुआ है ऐसी बात नहीं है बल्कि कि समस्याएं दिन व दिन बढ़ी हैं और आज स्थिति यहां तक पैदा हो गई कि जो राजस्थान की हुकूमत अपने कर्मचारियों के भरोसे राज्य करने की कल्पना करती है वे ही राज्य कर्मचारी आज सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन करने की स्थिति में आ गये हैं, एक बार प्रदर्शन हो चुका है और ऐसा सुना है कि कल भी प्रदर्शन होगा और कुछ ऐसा भी लगता है कि जिस प्रकार का रुख सरकार ने अब तक अपनाया है उस रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो संभवत: सरकारी कर्मचारियों को कुछ और भी संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ना पड़े। तो इस प्रस्ताव की भूमिका में मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वह सरकारी कर्मचारियों के मसले पर जरा गंभीरता से विचार करे और इस बात की व्यवस्था करके चले कि सरकार और सरकार के कर्मचारियों में अविश्वास की भावना नहीं नहीं पैदा हो। यदि अविश्वास की भावना पैदा होती है तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट राजस्थान के आम प्रशासन पर पड़ता है और इस सबका भुगतान राजस्थान की जनता को करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस प्रश्न को गंभीरता से और विशेष रूप में कॉन्टिट्यूशन की जो निर्देशिक धाराएं हैं उनके आधार पर समस्याओं का समाधान करने का विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, कॉन्टिट्यूशन के आर्टिकल ३९ में लिखा है :

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing--

(a) that the citizens, men and women equally, have that right to an aducate mens of livelihood;

(श्री भैरोंसिंह)

(b) that the ownership and control of the matterial resources of the community are so distributed as best to sub.erve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of welth and mens of production to the common detriment ;

(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;

(e) that the health and strergth of workers, men and women, and the the tender age of children are not froced by reconomicnecessity to ente avocations unsuited to their age or strength ."

इसके आगे आर्टिकल ४१ में लिखा है :–

"The state shall, within the limits of its economic capacity and develpment, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other caess of undeserved want ."

Article 42, 'The state shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

Article 43, 'The state shall endevour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage conditions of work ensuring a dececent srandard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural oppertunities and, in particular, the state shail endeavour to promote cottage industries"

अध्यक्ष महोदय, इन सारी निर्देशिक धाराओं का यह लक्ष्य है कि कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार इन डाइरेक्शन के अन्दर अपनी पॉलिसीज को फोरमुलेट करेगी जिन डाइरेक्शन के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी, वरकर्स या मेहनत-मसक्कद एम्पलॉयमेंट से अपना जीवन निर्वाह करते हैं उन सबको काम करने की ईक्वल अपोरचुंनिटी दें, जिस प्रकार का काम है उनको एक समान वेतन दें और बाकी व्यवस्थाएं करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज १५ वर्ष का समय निकलने के बाद भी संविधान की इन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल को लागू नहीं कर पाये। यह एक ही प्रश्न नहीं है, वेतन स्तर के प्रश्न पर हो या मजदूरियों में समानता करने का प्रश्न हो, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को पूरा नहीं कर पाये। मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को न भारत सरकार पूरा कर पाई है और न राज्य सरकारें पूरा कर पाई हैं। आज की स्थिति में कितने समय में जाकर राज्य सरकार और भारत सरकार संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को पूरा कर पायेंगी, यह नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों का जमाना था तब हम उनको बहुत बुरा कहते थे, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में भी भारत सरकार के सामने, उस समय की तात्कालिक ब्रिटिश हुकूमत के सामने काफी प्रश्न पैदा होते थे कि हमें वेतन स्तर को कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाओं का निदान करना पड़ेगा जिसके आधार पर सदा के लिये इस समस्या का समाधान किया जा सके। यह कोई नई चीज नहीं है, सन् १९१२-१५ में एक रॉयल कमीशन लॉर्ड इशलिंगटन की अध्यक्षता में ब्रिटिश हकूमत ने स्थापित किया था और उसके आधार पर ब्रिटिश हकूमत ने जो प्रिन्सिपल्स ले डाउन किये थे उस समय से लेकर सन् १९४७ में, देश आजाद हुआ तब तक, उन्हीं प्रिन्सिपल्स के आधार पर इमोल्यूमेंट्स और

(श्री भैरोंसिंह)

पे का फिक्शेशन किया गया उन्हीं प्रिंसिपल्स को आधार मानकर और मान्यता देकर उन्होंने काम किया।

उसके बाद में १६२३–२४ के अन्दर एक ली कमीशन के नाम से फिर कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने भी जो मूलाधार था उस मूलाधार को नहीं छोड़ा और उस समय की ब्रिटिश हुकूमत को कहा था कि उस समय की ब्रिटिश हुकूमत के अन्दर जो कर्मचारी थे उनका वेतन स्तर तो १६१५ से १६२१ के बीच में रहा, उसको जो कमीशन ने आधार निश्चित किया था, इशलिंगटन कमीशन ने आधार निश्चित किया था, उस आधार पर निश्चित करना चाहिए। फिर १६४० के अन्दर एक वरधाचारी कमीशन नियुक्त किया गया। उसने भी उसी आधार को माना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां पर कई कमीशन नियुक्त कर दिये गये हैं, राजस्थान सरकार ने सबसे पहले रावत कमीशन राजस्थान के कर्मचारियों के पे–स्केल्स के रेगुलेशन के बारे में नियुक्त किया, फिर रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स के लिए नियुक्त हुआ, फिर यूनीफिकेशन ऑफ पे स्केल्स के बारे में नियुक्त किया– यह सब कुछ किया लेकिन उसके बाद भी जो काम करना चाहिए, जिस डाइरेक्शन में सरकार को बढ़ना चाहिए था, वह उस डाइरेक्शन में नहीं बढ़ पाई है।

मैं सदन की जानकारी के लिए केवल एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकार किया था, जिसका आधार माना था वेतन स्केल का निदान करने के लिए, वह एक पैराग्राफ मैं पढ़ कर सुनाना चाहूँगा :

"The only safe criterion is that Government should pay so much and so much only to their employees as is necessary to obtain recruits of the right stamp and to maintain them in such a degree of comfort and dignity as will shield them from temptation and keep them efficient for the term of their service. Whilst, therefore, we have noted a rise in prices which has taken place, we have not based on this any general recommendation. Where we have advised changes of salary, it has been to meet inequaltties of remuneration, prejudicial to efficiency, to fulfil expectations reasonably founded on formal announcements made by Government and to improve recruitment where the existing terms have been shown to be insufficient to obtain a satisfactory personnel."

यह आधार अंग्रेजों का था। इस आधार को जिस समय तक अंग्रेजों की हुकूमत रही, वह मान कर चली और इसी आधार के बेसिस के ऊपर भारत सरकार ने जो १६५८–५६ के अन्दर पे कमीशन बैठाया था उस पे कमीशन ने भी........

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का प्रस्ताव वेतन–स्तर के ऊपर नहीं है। वह अलग प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव........

श्री भैरोंसिंह : मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : डीअरनैस के ऊपर है। इसलिए पे कमीशन, सैलेरी और

(श्री मथुरादास माथुर)

पे ये दूसरे प्रस्ताव से सम्बन्धित हैं। उसके लिए अलग से जवाब हो सकता है। पहले डीअरनैस के ऊपर प्रस्ताव है उस पर बहस कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस प्रकार हर किताब के अन्दर प्रस्तावना और भूमिका होती है उसी तरह से हर भाषण में प्रस्तावना और भूमिका होती है।

श्री मथुरादास माथुर : आप दोनों प्रस्ताव पर बोल लें मुझे एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप दूसरे पर बोल देना।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे जिस तरह प्रस्ताव है, गवर्नमेंट भी उसी तरह से जवाब दे इसलिये पहले डिअरनैस वाले प्रस्ताव को डिस्कस कर लीजिये और दोनों को अगर शामिल ले लिया जाय तो भी मुझे एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अब जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में राज्य सरकार की हालत पर भी विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाये या नहीं बढ़ाये– इस प्रश्न को लेकर राजस्थान की सरकार दो प्रश्नों के अन्दर अपने विचारों को उलझा देती है। पहला प्रश्न इस बात का है कि राज्य सरकार के पास साधन नहीं हैं और दूसरा प्रश्न इस बात का है कि मंहगाई भत्ता बढ़ाने के कारण प्राइस इन्डेक्स बढ़ता है, कीमत बढ़ती हैं और कीमत बढ़ने की क्रिया को आज के इस आर्थिक युद्ध में प्रोत्साहित किया गया तो उसका परिणाम खराब होगा। अब सरकार इन दो बातों को लेकर चल रही है। मुझे इस बात का तो खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार सिर्फ इस हद तक ही नहीं गई बल्कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने तो इस बात को भी कहा, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को इस बात का भी रिप्रजेंटेशन किया और जो कुछ भी उनकी क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर भारत सरकार को इस बात के लिए दबाया कि वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाये। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री या राजस्थान की हुकूमत, जो अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा पा रही है, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो उसके आगे क्यों रोड़ा बनना चाहती है? लेकिन बाद में जब राजस्थान की सरकार ने अपना फाइनेंशियल मेमोरेन्डम फाइनेन्स कमीशन को दिया था और फाइनेन्स कमीशन ने उस मेमोरेन्डम के आधार पर राजस्थान सरकार को धनराशि दी, और राज्य सरकार की तरफ से जो पैरवी की गई उसके ऊपर जो कमेंट, दिये क्योंकि राजस्थान के मुख्य मंत्री ऐसा समझते थे कि यदि केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ गया और राज्य सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा तो राजस्थान सरकार के कर्मचारी और बाकी के लोग हमारे उन सब वीक पोइन्ट्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी अकर्मण्यता के कारण एक छुरी की तरह राजस्थान के कर्मचारियों के गले में पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जब फाइनेन्स कमीशन नियुक्त किया और उस फाइनेन्स कमीशन ने हर क्षेत्र में जाकर हर राज्य में जाकर यह जानने का प्रयत्न किया कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, भारत सरकार उनको कितनी ग्रान्ट इन-एड दे, फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर आर्टिकल २७५ के आधार पर राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी आर्थिक सहायता दें, इस सम्बन्ध में निर्णय होने की स्थिति आई तो वह सब लोग या अन्य राज्यों के होशियार मुख्य मंत्री थे, जो यह समझते थे कि फाइनेन्स कमीशन के सामने जिस बहूदी से, जिस ताकत से, जिस क्षमता से रिप्रेजेंटेशन किया जायगा उस क्षमता के आधार पर वह फाइनेन्स कमीशन उनके पक्ष में निर्णय लेगा। आज आवश्यकता इस बात की थी कि जिस प्रकार दक्षिणी क्षेत्र के राज्य-मद्रास का राज्य है, मैसूर का राज्य है, केरल है और इसी प्रकार से महाराष्ट्र है-जिन्होंने फाइनेन्स कमीशन के सामने इस बात का रिप्रेजेंटेशन किया कि हमें अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाना है। यही नहीं बल्कि उन्होंने कमिटमेंट कर लिया और एक्सपेंडीचर बढ़ा दिया, कमिटेड एक्सपेंडीचर के नाम पर और फाइनेन्स कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन किया। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात राज्य सरकार की रही, राजस्थान की हुकूमत ने कोई कमिटेड एक्सपेंडीचर करके उस पर रिएम्बर्समेंट लेने की कोशिश नहीं की बल्कि उसने कहा कि भारत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन स्तर बढ़ा देती है तो राजस्थान सरकार को भी कर्मचारियों का वेतन स्तर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उनका नहीं बढ़ाया जाय।

मैं समझता हूं कि राजस्थान बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि राजस्थान में इस प्रकार का मुख्य मन्त्री है जो अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता तो बढ़ाए ही नहीं बल्कि यदि केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता भारत सरकार बढ़ाती है तो उनके सामने तलवार लेकर खड़े हो जायं। अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह हुआ कि बाकी के राज्य, जिन्होंने कमिटेड एक्सपेंडीचर के नाम पर रीएम्बर्समेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन किया था, को फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मान्यता देकर सहायता देने की व्यवस्था की है। लेकिन जब राजस्थान की सरकार ने उनके रिप्रेजेंटेशन को देखा और देखने के लिए जब उसकी आंख खुली कि हमें भी कमिटेड एक्सपेंडीचर के नाम पर रीएम्बर्समेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन करना था तो वे भागे और अपना प्रपोजल लेकर फाइनेन्स कमीशन के पास गये; तो फाइनेन्स कमीशन ने कहा कि इस प्रकार के प्रपोजल्स के आने-जाने की ड्रेन शुरू हो गई तो इसकी सीमा नहीं होगी, जिस समय उचित समय था उस वक्त तो सोये रहे और अब उठ कर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस समय तो कोई मंहगाई भत्ता बढ़ाया नहीं, कोई पे कमीशन की नियुक्त नहीं की, यह तय नहीं किया कि कितना मंहगाई भत्ता बढ़ाना है, उसका कोई एस्टीमेट तैयार नहीं किया, राज्य के अन्दर प्राइस इन्डेक्स क्या है, और

Page No. 88

(श्री भैरोंसिंह)

लिविंग स्टेन्डर्ड क्या है और इनका किस प्रकार से समाधान करना है, इन सब बातों पर विचार नहीं किया ।

तो राजस्थान की हुकूमत को इस संबंध में फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली-इसके लिए कोई दोषी नहीं है, सिर्फ राजस्थान के मुख्य मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया दोषी हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के साथ में एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है ।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय कांग्रेस अधिवेशन के समय हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जयपुर में आईं तो राजस्थान कर्मचारी के संघ ने इन्दिरा गांधी के सामने रिप्रेजेंटेशन किया । उस समय इन्दिरा गांधी ने स्वयं कहा कि यह राज्य सरकार को चाहिये था कि राज्य सरकार भारत सरकार के सामने इस मांग को रखती दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने यह तो स्वीकार कर लिया कि इसमें कर्मचारियों का दोष नहीं है, दोष हमारा है और इस दोष के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वह राजस्थान की हुकूमत है । उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि राजस्थान की सरकार अपने कर्मचारियों का डी.ए. बढ़ाती है तो पचास प्रतिशत भारत सरकार खर्च कर सकती है, करने को तैयार है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार पचास प्रतिशत के बेसिस पर भी राजस्थान के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने को तैयार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी सरकार जो इस वर्ष के अन्दर हमें ६ करोड़ ५८ लाख की राशि इस काज के लिए मिली है उसको भी उपयोग में नहीं ला रही है । आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हम इस वर्ष १ करोड़ की धनराशि का टोकन प्रावधान रखा है और वह भण्डारों के नाम पर रखा है । इस पर मैं आगे जिक्र करूंगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने भारत सरकार से पैसा ले लिया कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के नाम पर, मगर राजस्थान की सरकार ने उन कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाया । मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने भारत सरकार से राजस्थान के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के नाम पर पैसा लिया और आपने मंहगाई भत्ता बढ़ाया नहीं तो क्या यह एक प्रकार की क्रीमिनल ब्रीज ऑफ पीस नहीं है ? क्या आपने कर्मचारियों और भारत सरकार को यह नहीं कहा था कि हम उपभोक्ता भण्डार नहीं खोल रहे हैं और उनका मंहगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं ? आज उपभोक्ता भन्डारों की क्या स्थिति है ? गवर्नमेंट इस मामले में फेल हुई है । आप सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के नाम पर पैसा भी ले आये और सरकारी कर्मचारियों को पैसा भी नहीं बढ़ाया । जब कि केरल, मद्रास और मैसूर ने अपने यहां के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया है । आज वहां पर किस प्रकार का राज्य है उसके लिए मैं नहीं कहता लेकिन मैं उसकी दाद दूंगा कि उन्होंने सिद्धांत के रूप में इस बात

(श्री भैरोंसिंह)

को स्वीकार कर लिया कि भारत सरकार जो मंहगाई भत्ता बढ़ाएगी, हम उसी प्रकार मंहगाई भत्ता देश के कर्मचारियों को देंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां के चीफ मिनिस्टर्स को बधाई दूंगा और राजस्थान सरकार और हुकूमत को यह कहना चाहता हूँ कि वे केरल, मद्रास और मैसूर के मुख्य मन्त्रियों से प्रेरणा लें कि उन्होंने यह कह दिया कि भारत सरकार जितना डी० ए० बढ़ायेगी हम भी बढ़ाएंगे।

(हियर-हियर)

लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी सरकार आज उसकी नकल भी तो नहीं कह रही है। हमारी सरकार कहती है उपभोक्ता भण्डार खोलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके इन उपभोक्ता भण्डारों का कहां पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जिसके ऊपर हम यह मान कर चलें कि इससे समस्या का समाधान होगा। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी यह कहा था कि वहां पर उपभोक्ता भण्डार खोलेंगे सारे कर्मचारियों ने सारी हकीकत उनके सामने रखी। मगर उस समय ब्रह्मानन्द रेड्डी भी जिस प्रकार हमारे सुखाड़िया साहब कहते हैं उसी प्रकार जोश में आ गये और कह गये कि उपभोक्ता भण्डार खोलेंगे और मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ावेंगे। मगर जब सारे कर्मचारियों ने सरकार के सामने खड़े होने का निश्चय किया तो ब्रह्मानन्द रेडी भी झुके और बजट में घाटा दिखाकर ८ करोड़ की राशि से डी० ए० की व्यवस्था की और राज्य कर्मचारियों के बीच जो अविश्वास की खाई पैदा हो गई थी उसको भरा। महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी। यू० पी० ने बढ़ा दी। मध्य प्रदेश ने मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया। मगर आज भी हमारी सरकार इकोनोमी की थ्योरी को सामने लेकर चलती है। हम पूछना चाहते हैं, जब भारत सरकार ने मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया, पंजाब ने बढ़ा दिया, दक्षिण ने बढ़ा दिया उससे चीजों के भावों में अन्तर नहीं आने वाला है। मगर हमारी सरकार, हमारे अर्थ शास्त्री श्री सुखाड़ियाजी कहते हैं कि राजस्थान में अगर मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया तो हिन्दुस्तान में चीजों के भाव आसमान को छूने लग जावेंगे। भारत सरकार जब करोड़ों रुपयों का मंहगाई भत्ता देती है, वह इस पर विचार नहीं करती कि इससे कीमतें बढ़ेंगी। अन्य राज्य सरकारें आपके इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करतीं तो हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री सुखाड़िया साहब मनु की भाषा में कहते हैं कि अगर हमने मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया तो कीमतें आसमान छू लेंगी। बाकी की जनता पर इसका असर पड़ेगा और लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन खराब हो जावेगी। मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार इस प्रकार से इकोनोमी पर विचार करने लगी है। और यह जानबूझ कर गलती कर रही है। इस प्रकार की बातें कह कर लोगों की आंखों में धूल डालना चाहती है। मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब वे सरकारी कर्मचारी नहीं है जो मुख्य मन्त्रीजी पधारे तो उनकी मोटर खोल दी और जब वे वापिस बैठे तो मोटर की फाटक बन्द कर दी। आज उनको भी इस बात का ज्ञान हो गया है कि राजस्थान की बहबूदी में उनका कितना हिस्सा है।

आपने फर्स्ट फाइनेन्स कमीशन के सामने क्या रखा था, आपको याद होगा। आपने

(श्री भैरोंसिंह)

फर्स्ट फाइनेन्स कमीशन के सामने राजस्थान की हुकूमत ने एक मेमोरेंडम पेश किया था कि सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जावे, इस बात को लेकर सिद्धान्त को प्रतिपादित किया कि जब स्टेट की इनकम बढ़ती है तो उसी अनुपात से राजस्थान के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता भी बढ़ना चाहिये। यह उस समय का मेमोरेन्डम है, समय अभाव में मैं उन पेराग्राफ को नहीं पढ़ना चाहता। माननीय मंत्री चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उस समय भारत सरकार ने दवाव डाला कि एक करोड़ ग्रान्ट इन एड मांग ली जावे, लेकिन अगर कोई मदद नहीं मांगे तो किसका कुसूर है। राजस्थान सरकार ने ग्रान्ट इन एड नहीं मांगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे भारत की हुकूमत पी० एल० ४८० के बारे में दूसरे देशों से भीख मांग सकती है मगर हमारी राजस्थान सरकार अपने २॥ लाख कर्मचारियों के पेट की रोटी के बारे में भारत सरकार से याचना नहीं करना चाहती। वे छोटी छोटी बातों के लिए याचना कर सकते हैं लेकिन इसके लिए वे किसी प्रकार से याचना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आप उपभोक्ता भन्डारों के बारे में बातें कर रहे हैं।

(३.२७ म. प.)

(श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् १९६४ में माननीय सहकारिता मंत्री जो इस समय यहां मौजूद हैं उनकी अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ था और उस समय आपने इस बात को सामने रखा कि मंहगाई का इलाज मंहगाई का भत्ता बढ़ाने से नहीं होगा बल्कि उपभोक्ता भण्डार के लिए इसेन्शियल कोमोडिटीज को सस्ती कीमत पर देने की बातचीत हुई कि १९६० के प्रभावों से उपभोक्ता भण्डारों पर उनको चीजें दी जावेंगी। उन्होंने विश्नोई से बात करने के लिए कहा कि उनसे बात की जावे। विश्नोई और सारे कर्मचारियों के बीच में बात चीत हुई। उसके बाद में आपने बीकानेर कलेक्टर मिसेज बोरडिया है, उनको यू० पी० में इसकी जानकारी करने के लिए भेजा कि यू० पी० जाकर इसको स्टडी करे। वह वहां से वापिस आई और अपने विचार आपके सामने रखे और आपने और सचिव ने दोनों ने यह कह दिया कि यह स्कीम कामयाब नहीं होने वाली है। एक साल के पहले की स्टडी पर सरकार यह कह कर चलती है कि उपभोक्ता भण्डार खोलेंगे और एक साल के बाद में गवर्नर महोदय विधान सभा में भाषण करते हैं कि उपभोक्ता भण्डार खोले जावें। उसके कुछ समय बाद में फाइनेन्स मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ मई में, कुछ जून में, और अक्टूबर तक सब जगह खुल जावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर शहर में मई में आप उपभोक्ता भण्डार खोल देंगे तो बाकी के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में जून तक और बाकी की तहसीलों में आप अक्टूबर तक खोलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक ही हुकूमत में किस प्रकार का डिसक्रिमिनेशन लेकर चलते हैं। जयपुर में रहने वाले १९६६ की मई और जून में उसका लाभ उठावेंगे, तहसील रामगढ़, जालोर आदि है वहां पर लोगों को उपभोक्ता भंडार

(श्री भैरोंसिंह)

अक्टूबर में खुलेंगे और तब वे उसका उपयोग करेंगे। आपको मालूम है कि आपके यहां पर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग २०० तहसीलें है। कितने कर्मचारी होंगे। वे जयपुर शहर, कोटा और अजमेर शहर है उनमें आप अपने उपभोक्ता भंडार खोलें तो कितनी रुपया लगेगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कम से कम आपको ५०० उपभोक्ता भंडार खोलने पड़ेंगे। वे भी कम से कम होंगे चाहे जालौर की तहसील हो या जैसलमेर की तहसील हो। आपको ध्यान होना चाहिये कि जैसलमेर तहसील १२० मील की दूरी पर है। एक पटवारी ऊंट पर बैठकर आयेगा राशन लेने के लिए। वहां बस नहीं चलती है। वह ३०) रु० किराया देगा और एक महीने का सामान लेकर जावेगा। पोकरण की तहसील में आवे या जमवा रामगढ से जयपुर आवे तो उसको मिलेगी क्या, एक साबुन का बट्टा, थोड़ा सा तेल थोड़ा सा नमक मिर्च और आटा। उसको वह बांधकर १२० मील की यात्रा करेगा। वह राजस्थान की सरकार को गालियें देता हुआ अपने घर जावेगा और जब तक वह घर जावेगा वह सामान रास्ते में ही खा जावेगा। इसलिए यदि आपने स्टोर खोले तो आपका आवे से ज्यादा खर्चा एस्टेबलिशमेंट में करना होगा। डिस्ट्रिक्ट ओर्गनाइजेशन आपको करना होगा।

आपने एक करोड़ का प्रावधान रखा है और मेरा यह अनुमान है कि अधिकांश ५० से ६० लाख के बीच तो एस्टेबलिशमेंट में खर्चा चला जावेगा और जब एस्टेबलिशमेंट पर इतना खर्चा चला जायगा तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि ४० से ५० लाख रुपये बचेंगे उसमें सरकार खरीद फरोख्त करेगी। खरीद फरोख्त में राजस्थान में जितनी डिवेकेसी किया जाता है, उतना और कहीं नहीं होता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि घी जलता है वहां गेहूं जलता, केरोसिन आइल जलेगा, कहीं घी जल जायगा, ये शिकायतें आयेंगी और कुछ दिनों के बाद राजस्थान की हुकूमत उस ओडिट रिपोर्ट को लेकर आयेगी कि हमने उपभोक्ता भण्डार खोले उसमें १६ लाख का घाटा हुआ, इतना घाटा हुआ और धीरे धीरे हालत खराब हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारी सरकार ने फूड कोर्पोरेशन के चेयरमैन दीवान साहब हैं उन दीवान साहब को भेजा कि यू. पी. वाकी के क्षेत्रों में जाकर आइये और उपभोक्ता भंडारों की कैसी स्थिति होगी, कैसे खोलेंगे इस की रिपोर्ट प्रस्तुत करिये। वह रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। वह रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर भी रखेगी, यह मैं आशा करता हूं। उस रिपोर्ट में दीवान साहब ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ता भण्डार ऐसे नहीं है कि जिनसे सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का हल किया जाय, उपभोक्ता भण्डार बड़ी समस्याएं पैदा कर देंगे। अच्छी तरह इनसे सरकारी कर्मचारियों को सामान दे सकेंगे, सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रति एट्रेक्ट कर सकेंगे वह एट्रेक्टिवनेस उपभोक्ता भण्डारों में नहीं है। इस प्रकार की रिपोर्ट राजस्थान की हुकूमत को दीवान साहब ने पेश कर दी। यह हुकूमत क्या करेगी, क्या नहीं करेगी यह मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा लगता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

और कुछ मन्त्रियों ने इस प्रश्न पर जिद कर ली है और जिद इसलिए कर ली है कि सरकारी कर्मचारियों ने मांग कर ली। मांग में सरकारी कर्मचारियों ने कोई मामूली सी भी गलती नहीं की : क्या राजस्थान के कर्मचारी मांग भी नहीं कर सकते ? राजस्थान की हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में सबसे बड़ा एम्प्लोयर कौन है ? राजस्थान में किसी के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं तो राजस्थान हुकूमत के हैं। न नेशनल बाल बेअरिंग में इतने मजदूर हैं, न भीलवाड़ा टैक्सटाइल्स में इतने मजदूर हैं और न डी. सी. एम. कोटा में इतने मजदूर हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी एम्प्लोयर यदि कोई है तो वह राजस्थान सरकार है और राजस्थान सरकार सबसे बड़ी एम्प्लोयर हो कर भी अपने कर्मचारियों को सन्तोष नहीं करा सकती तो वह क्या उम्मीद करती है छोटे छोटे फैक्टरी-मालिकों से कि वे माथुर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेन्ट परसेन्ट न्यूटरेलाइजेशन करें, बोनस कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर वहां के कर्मचारियों को बोनस दिया जाय। क्या राजस्थान सरकार उनसे इस बात की अपेक्षा कर के चलती है कि फैक्टरी के सारे कानून हैं उनको वहां लागू किया जाय ? मैं राजस्थान की हुकूमत से पूछता हूं कि आप बिगेस्ट एम्प्लोयर हो कर इन लोगों के सामने क्या नजीर रखते हैं, क्या आदर्श रखते हैं। आप अगर बिड़ला जी से कहें कि वह नेशनल बाल बेअरिंग कम्पनी के मजदूरों को बोनस दें और दूसरी सुविधाएं दें ते वहां के अधिकारी आपसे कहेंगे कि सवा दो लाख राज्य कर्मचारी आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं. उनको तो आप पहले संतुष्ट कर लो, उनको कन्विन्स करने के लिये आप क्या कहेंगे, उनके सामने आपका मस्तक नीचा हो जायगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी कारण मजदूरों के सामने भी यह समस्या है।

आज राजस्थान सरकार यह नहीं समझती कि गुजरात सरकार ने ३५ रूपया अपने कर्मचारियों को दिया है, जम्मू और कश्मीर की सरकार ने २० रुपया मंहगाई भत्ता बढ़ाया है, महाराष्ट्र की सरकार ने ५ से ३५ रुपया मंगाई भत्ता बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाया हैं पर मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए एडीशनल एक्स्पेन्डीचर का बजट में प्रावधान कर दिया है, घोषणाएं जल्दी ही होने वाली हैं कुछ घोषणाएं हो गई हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ८ करोड़ का घाटा भुगत कर अपने कर्मचारियों का डी. ए. बढ़ाया है। बाकी की स्टेट्स कहीं पे कमिशन्स बैठा रही हैं, इन्टेरिम रिलीफ देने का प्रबन्ध कर रही है, डी. ए. बढ़ा रही है। वैसी हालत में यहां ४ प्रकार के कर्मचारी हैं, एक भारत सरकार के कर्मचारी, दूसरे राजस्थान सरकार के कर्मचारी, तीसरे नगर परिषद के कर्मचारी और चौथे प्राइवेट एम्प्लोयर्स के कर्मचारी। इनमें कितना अन्तर है, कितनी इकोनोमिक डेस्पेरिटीज हैं। हमारी हुकूमत समाजवाद का बाना पहन कर चलती है। यहां जयपुर में लाखों रुपया खर्च करके स्टेडियम में समाजवाद का नारा लगाया गया। इकोनोमिक डिस्पेरिटीजको दूर करने का नारा लगाया गया। अगर इकोनोमिक डिस्पेरिटीज को दूर नहीं किया गया तो कांग्रेस जिन्दा नहीं रह सकती, इस प्रकार के भाषण हुए और हमारे भी कई नेता

(श्री भैरोंसिंह)

सोशलिस्ट फोर्म के नेता बने हुए, प्रोग्रेसिव एलीमेंट उनमें है, इस प्रकार की बातें करते थे, मैं उन तथाकथित समाजवादियों से इस कांग्रेस की हुकूमत के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के कर्मचारियों और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन में, मंहगाई भत्ते में कितना फरक है और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के व नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते में कितना अन्तर है और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों में और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई भत्ते में कितना अन्तर है। कहां गया आपका समाजवाद ? कहां गया आपका समाजवाद का नारा ? कहां गया भुवनेश्वर का प्रस्ताव ? कहां गया जयपुर का प्रस्ताव ? यह सब ताक में रख कर जनता को ठगने के लिए समाजवाद का नारा दिया पर सरकार कर्मचारियों की डेस्पेरिटी को दूर नहीं कर सकी। राजस्थान सरकार के एक कर्मचारी को ३५ डी. ए. मिलता है, एक को ४० डी. ए. मिलता है।

राजस्थान सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों में अन्तर है। पर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में अन्तर है, एक को ३५ और एक को ४० मिले, यह इकोनोमिक डेस्पेरिटी नहीं तो क्या है। इसको दूर करने की आपने कोई कोशिश नहीं की बल्कि मैं तो कहूंगा कि पिछले दिनों में तो आपने इस डेस्पेरिटी को बढ़ाया है। ३१.१०.६१ को भारत सरकार के कर्मचारियों को जिनको ७० रुपये से ऊपर तनख्वाह मिलती थी, ७० से १०० रु० जिनको मिलते थे उन लोगों का सेन्टर का १० रुपया मंहगाई भत्ता था, राजस्थान में १० था। १.११.६१ को भारत सरकार का १५ रु० डी. ए. हो गया और राजस्थान का १० रु० ही रह गया। १.७.६३ को भारत सरकार का १७ रु० और २० रु० हो गया, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का १० रु० ही रह गया। १.२.६४ को भारत सरकार ने २० रु०, २५ रु० कर दिया और राजस्थान का फिर भी १० रु० ही रहा। १.३.६५ को भारत सरकार ने डी. ए. २० रु. से २५ रु० कर दिया और राजस्थान सरकार का १५ रु० किया गया, १.८.६४ को भारत सरकार में २५ हुआ और राजस्थान के कर्मचारी हैं उनका २० रु० हुआ। इस तरह अन्त तक जाते हुए आज ७० रु० से १०६ रु०, ११० रु० से १४६ रु० तक पाने वाले कर्मचारियों का ३३ रु० का डिफरेंस हो गया। १५० से ऊपर २०६ तक पाने वाले भारत सरकार के कर्मचारियों का ७६ रु० मंहगाई भत्ता और हमारे यहां ३५ रु० और इस तरह डिफरेंस रहता है ४१ रु० का। इसी प्रकार २१० से २६६, ३०० तक वेतन पाने वालों का सेंटर ९३ रु० मंहगाई भत्ता देती है और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में और भारत सरकार के कर्मचारियों में ५८ रुपये डिफरेंस रहता है, ३१५ से ३२० पाने वालों में ५८ रु० का डिफरेंस ३०० से ३२१ रु. पाने वालों का ५८ रु. का डिफरेंस और ६०१ से ११०० रु. पाने वालों तक आते आते यह अन्तर १६० रुपये का हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंस है उसको हमने सन् ६१ से कम करने की कोशिश नहीं की, हमारी कमजोरी के कारण हम किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाये और इस अव्यवस्था के कारण

(श्री भैरोंसिह)

अन्तर काफी सीमा तक बढ़ गया। हमारी हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं तो बड़े बड़े कर्मचारियों का वेतन स्तर महगाई भत्ता कैसे बढ़ा दिया? राजस्थान के मुख्य सचिव को २७५० रु. मिलता था अब उनका वेतन ३००० कर दिया। ये कमिश्नर जो इस प्रकार की सारी व्यवस्था करता है, उसको २२५० रु. मिलता था उनका वेतन २५०० रु. हो गया। सैक्रेटरीज, डिप्टी सैक्रेटरीज हैं उनको १०० रुपया महगाई भत्ता, कलेक्टर को १०० रुपया महगाई भत्ता, आई. पी. एस. को १०० रुपया महगाई भत्ता। आई. जी. पी. की तनख्वाह २५० रुपया बढ़ा दी गई।

मैं राजस्थान की हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि मुख्य सचिव से लेकर छोटे से छोटे डिप्टी सेक्रेटरी तक, कलेक्टर्स, नए आई० ए० एस० और आइ० पी० ऑफिसर्स का भी १०० रु० तक महगाई भत्ता आपने बढ़ा दिया है और २५० रु० तक वेतन बढ़ाया है, तो आखिर राजस्थान के गरीब कर्मचारियों ने कौनसा पाप किया है, माथुर साहब कि उनको महगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाय? और केवल मुख्य सचिव और बड़े अधिकारियों को बढ़ाया जाय?

(विराम)

मन्त्रियों की तनख्वाह बढ़ाई, मन्त्रियों की सुविधाएं बढ़ गई बिजली पानी और पेट्रोल की सुविधा मिल गई, उनकी तनख्वाह १००० की जगह १५०० कर दी, जिसको १००० रुपए का अलाउंस उनको २५०, रु० और जिसको डेली अलाउंस २१ रुपये मिलता था उसका भत्ता बढ़ा दिया, डेली वेजिज हमने बढ़ा दिए। यह सब कुछ करने के बाद मुख्यमंत्री ने और मुख्य सचिव और मंत्रीमंडल और सचिवालय के बड़े अधिकारियों ने अपने वेतन स्तर बढ़ा लिए, और राजस्थान में कंगाली नजर आती है जब ५० रु० तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी को, या पुलिस के सिपाही को बढोतरी देने का सवाल आता है, वह अपने पेट पर पट्टी बांधकर हुकूमत को कोसता भी है, आखिर यह स्थिति कब तक चलेगी? ऐसी हालत में कर्मचारियों को आगे आकर इसकी व्यवस्था के लिए सरकार के सामने खड़ा होना पड़ता है।

यह डिस्पैरिटी का प्रश्न है। मैं फिर कहता हूं यह बात नहीं है। भारत सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया, दास कमीशन उसने अपने प्रतिवेदन में साफ लिखा है।

"I considered that it would be unfair and unjust to deny the Govt. employ, "adjustment of D. A. to comepnsate for the form in their real income."

श्री जवाहरलाल नेहरू जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे उन्होंने भी एक बार इसी प्रकार की [illegible] में आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने इस बात के लिए खेद प्रकट किया कि आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों और केन्द्र के कर्मचारियों के महगाई भत्ते और वेतन में इतना अंतर है। उन्होंने इस बात की अपेक्षा की थी कि बहुत जल्दी इस अंतर को मिटाया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि हमारे श्री मोहनलाल सुखाड़िया, जो [illegible]

(श्री भैरोंसिंह)

अर्थशास्त्री बने हुए हैं। स्वयं को अर्थशास्त्री कहते हैं। उनकी केवल एक ही धुन है कि इसके लिए उपभोक्ता भंडार खोले जायें। हिंदुस्तान में जो माने हुए अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी ओपीनियन दी है उसके आधार पर हुकूमत को उन्होंने केस किया है। हुकूमत को लाछन लगाया है। उन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि डी० ए० और वेतन के अंदर जो प्राइस इंडेक्स है, लिविंग इंडेक्स है उस पर प्राइस इंडेक्स और लिविंग इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ता और वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। आपको विदित है कांग्रेस का इकोनोमिक रिव्यू है, हिंदुस्तान में माने हुए अर्थशास्त्रियों ने माना है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर समिति ने रिपोर्ट दी है। उसके आधार पर मंत्री महोदय बाकी फैक्टरीज से कहते हैं कि तुमको १०० प्रतिशत न्यूट्रेलाईजेशन करना पड़ेगा लेकिन अपनी हुकूमत से नहीं कहना चाहते हैं। हमारी हुकूमत सदन से धोखा देना चाहती है। मंत्री महोदय ने ४-५ दिन पहले कहा था कि उपभोक्ता भंडार खोलेंगे, उनमें १९६५ के इंडेक्स के बेसिज पर आपको सामान दिया जायगा और प्राइस इंडेक्स जो तय किये, मुख्य मंत्री ने प्राइस इंडेक्स बताया योजना मन्त्री ने कुछ और बताया। भारत सरकार की जो प्राइस इंडेक्स है वह तो है ही लेकिन भारत सरकार ने एक सावधानी बरतने की कोशिश की हालांकि १०० प्रतिशत सावधानी बरती हो ऐसा नहीं है लेकिन ज्यों ज्यों प्राइस इंडेक्स बढ़ा त्यों त्यों भारत सरकार ने वेतन और महंगाई भत्ते बढ़ाने की कोशिश की है, हालांकि वहां भी १०० प्रतिशत न्यूट्रेलाइजेशन नहीं हुआ।

लेकिन राजस्थान सरकार की हुकूमत में ज्यों ज्यों प्राइस इंडेक्स बढ़ा है त्यों त्यों लोगों की इन्कम पर कैपीटा इनकम राजस्थान का पर कैपीटा एक नये डीचर पर एक० एस० कलेक्टर ये सब आल-इण्डिया लेविल पर नहीं पहुंच पाए बल्कि बहुत नीचे हैं और ऐसी हालत में जब शूट अप कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी हालत में दुःख होता है कि ए० जी० ऑफिस के दफ्तर के सामने सेक्रेटेरियट में बैठने वाला चपरासी या एल० डी० सी० या यू० डी० सी० जो १० बजे से ५ बजे तक ड्यूटी देता है और सेक्रेटेरियट के बराबर जो दूसरी बिल्डिंग है ए० जी० की, उसमें भी चपरासी और क्लर्क उतनी ही ड्यूटी देते हैं, उसका वेतन भी बढ़ा हुआ होगा और महंगाई भत्ता भी ज्यादा होगा, लेकिन राजस्थान सचिवालय का कर्मचारी कम पाएगा। प्राइस इंडेक्स दोनों का बराबर है, लिविंग इंडेक्स दो में बराबर है, महंगाई का दोनों पर बराबर इफैक्ट होगा, खर्चे का बराबर इफैक्ट होगा लेकिन उस बात को सुनने वाली राज्य सरकार नहीं इसलिए इस हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में जो इस प्रकार का असन्तोष है उसको निकालने की कोशिश करें। यदि सरकार ने इस असन्तोष को नहीं निकाला तो ऐसा लगता है कि हम जो नहीं करना चाहते सरकारी कर्मचारी जो नहीं करना चाहते

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : एक बात का क्लेरीफिकेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता हूं। इससे इस चीज को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दीवान कमेटी के बारे में मुख्य मन्त्री और योजना मन्त्री ने कहा था कि हम अपने अधिकारी को बाहर भेजें। उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में यह देखने के लिए कि वहां उपभोक्ता भण्डारों का फंक्शन किस प्रकार से हो सकता है। तो क्या यह सही है कि दीवान साहब ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि राज्य कर्मचारियों के लिए जो भण्डार खोले जा रहे हैं उनका वर्किंग और फंक्शनिंग बिल्कुल इम्प्रेक्टीकेबल है, सम्भव नहीं है। क्या यह सही है? अगर सरकार कहती है कि रिपोर्ट आई है तो उसको कहना चाहिए; Then the matters would become more easy.

श्री भैरोंसिंह : उस रिपोर्ट के बारे में तो मन्त्री महोदय को कुछ कहना पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, मैंने जो अभी जिक्र किया वह काफी सीमा तक सही है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रश्न यह नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि आखिर सरकारी कर्मचारी किस भाषा के अन्दर, किस रूप में सरकार के सामने अपना प्रतिनिधित्व करें। मैं समझता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों की यूनियन्स अलग अलग बनी हुई हैं वे इस लए नहीं बनीं कि सरकार के प्रति डिस्लायल्टी दिखाएं, वे इसलिए नहीं बनीं कि शांति भंग हो, इसलिए नहीं बनीं कि सरकार में नो–कान्फीडेंस शो किया जाय, वे केवल एकमात्र चीज के लिए बनी है कि वे अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखें लेकिन जब वे अपनी समस्याएं रखते हैं तो सरकार सुनती नहीं। समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार को आमन्त्रित करते हैं तो सरकार सुनती नहीं। सरकार की गलती बताते हैं तो वह नाराज होती है। जब वह नाराज होती है तो प्रदर्शन करने वालों को किस प्रकार से दण्ड दिया जाय, उसकी व्यवस्था करते हैं। अब ये चीजें ऐसे होंगी जो सरकार पर रिकोइल करेंगी, जो सरकार के लिए समस्या पैदा करेगी। अब उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? समस्या का समाधान सीधा है कि सरकार जो कुछ उसने भारत सरकार से लिया है और बचाया है, सेन्ट्रल टैक्सेज में राजस्थान की ज्यादा आमदनी हुई, राजस्थान को ज्यादा हिस्सा दिया, आज तक आर० ए० सी० का खर्चा राजस्थान को करना पड़ता था अब एक बटालियन को छोड़ कर बाकी सब बटालियन्स भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार से पैसा ले लिया, ये सब बातें आती हैं तो फिर एक ही रास्ता है कि इन सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय। अब प्रश्न आता है कि कितना बढ़ाया जाय! आपको शायद यह डर लगेगा कि पांच रुपए मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो एक करोड़ रुपए का खर्चा होगा, १० रुपए बढ़ाते हैं तो दो करोड़ रुपए खर्च होंगे और १५ रुपए बढ़ाए तो तीन करोड़ खर्चा होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान का बजट कोई ५–१० लाख का नहीं है। राजस्थान का बजट है सौ करोड़ रुपये का। वैसे २११ करोड़ का है, एप्रोप्रियेशन बिल पास किया है, रेवेन्यू साइड एक्सपेन्डीचर और रेवेन्यू का हिसाब लगा कर चलें वह सौ

(श्री भैरोंसिंह)

करोड़ है। उस सौ करोड़ और दो सौ करोड़ में से एक करोड़ एक साल का नहीं बचा सकते, दो करोड़ एक सालका नहीं बचा सकते, तीन करोड़ एक साल का नहीं बचा सकते ? मैं समझता हूँ राजस्थान के विभिन्न विभागों में पांच पांच लाख की कटौती कर दें, राजस्थान के विभिन्न विभागों में पांच पांच लाख का खर्चा कम कर दें राजस्थान के विभिन्न विभागों में पांच पांच बिल्डिंग भी कम कर दें एक विभाग की तो राजस्थान में पांच करोड़ की सेविंग होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम करने की क्या आवश्यकता है। ७६ करोड़ की जो बकाया है उसी की वसूली क्यों न कर लें ?

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंहगाई ज्यादा हुई है तो क्यों नहीं पंचायत, पंचायत समितियां तोड़े दें ? इनके तोड़ने से १३ करोड़ की बचत होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मन्त्री का पत्ता काट दो तो १५० कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों का तो पत्ता काटने का सवाल ही नहीं आता। मंत्री तो बढ़ते जा रहे हैं।

हमारी सरकार मितव्ययता करे, विभागों के खर्च को कम करे तो कोई ताज्जुब नहीं कि एक सौ करोड़ के प्रावधान में से, दो सौ करोड़ के सारे प्रावधान में से पांच करोड़ की बचत नहीं कर सके। यह हुकुमत नहीं कर सकती है तो एक सुझाव मैंने कल दिया था आज भी देता हूं कि अपोजिशन को कन्फिडेन्स में लें, और कान्फिडेन्स में लेंगे तो निश्चत रूप से कह सकता हूं इस हुकुमत को कि पांच दस करोड़ रुपये की बचत का प्रावधान निश्चत रूप से करायेंगे। लेकिन यह

(विराम)

होगा नहीं। किस हुकुमत से बचत की जा सकती है ? क्या उस हुकुमत से जिस हुकुमत में २४ लाख रुपया एक साल में एम्बेजलमेन्ट हों, आडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि २४ लाख रुपया का एक साल में एम्बेजलमेन्ट हुआ।

(विराम)

कई बार प्रश्नोत्तर काल में सदस्यों के प्रश्न चलते हैं और सुनने को मिलता है कि अमुक पंचायत सरपंच ने ५ रुपये का गबन कर दिया मन्त्री महोदय कहते हैं कि जेल खाने में भेज दिया, सरपंच को सस्पेन्ड कर दिया गया, पंचायत को भंग कर दिया गया। राजस्थान की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि २४ लाख के गबन के केसेज रिपोर्ट हुए। यह हुकुमत बरखास्त करने लायक है। पांच रुपया गबन हो गया अथवा कम हो तो पंचायत को ही सस्पेन्ड करते हैं। इस हुकुमत में २४ लाख रुपये का एक साल में गबन हो और इतना ही नहीं २७ करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं हैं। जो हमने

(विराम)

एडवान्स दे रखा है, कर्ज दिये हैं, उसके २७ करोड़ के यूटिलाइजेशन सटिफीकेट नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)–

गबन भी किन में होता है ? छोटा मोटा महकमा नहीं । गबन होता है पुलिस में जो कि गबन को रोकता है और गबन को चालान करता है वहां पर २.४१ लाख का गबन । एजुकेशन में जहां पढ़ाई का सवाल है और कोई सवाल नहीं है, वहां पर २ लाख ६५ हजार का गबन, रेवेन्यू विभाग ६ लाख ४५ हजार का गबन । ये तीन विभाग मैंने बताये आपको । और सरकार खर्चा करती है । एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक आदिम जाति सेवक संघ उसको अब तक ३ लाख २० हजार रुपया दिया । किस बात के लिए ? मकान बनाने के लिए । ६५ तक मकान बने या नहीं बने, गारन्टी हुकूमत दे नहीं सकती और सर्टिफीकेट हुकूमत के पास नहीं आ सकता । और उसका परिणाम आगे जाकर यह होता है कि लोगों से टैक्स के रूप में लेते हैं उसका दुरुपयोग होता जाता है और रोक नहीं पाते । सरकार की आदत है । सारी लम्बी चौड़ी लिस्ट सदन में प्रस्तुत नहीं करूंगा डिमान्ड बनती हैं, खर्च होता है उसमें भयकर रूप से सेविंग होती है । एप्रोप्रियेशन करके दूसरी मदों में उसको खर्च किया जाता है । ६४–६५ का उदाहरण है । लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । ६४–६५ में २४ करोड़ की सेविंग की जाकर एप्रोप्रियेशन के द्वारा दूसरी मदों में खर्च की गई । यह हालत आज राजस्थान की जिस हुकूमत की हो उस हालत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार सम्हल जाय, राज्य सरकार सचेत हो जाय, राज्य सरकार केवल टालमटोल का प्रश्न बना कर सरकारी कर्मचारियों के मसले को नहीं देखे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकारी कर्मचारियों के सामने कोई मंहगाई भत्ते और वेतन का ही प्रश्न हो ऐसी बात नहीं, उनके सामने प्रमोशन का सवाल है, उनके सामने अपोइन्टमेंट की समस्या है, लोगों के एरियर्स पड़े हैं, हजारों लाखों के पड़े हैं । आपको सुन कर ताज्जुब होगा, उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट स्पीच दी, बजट भाषण दिया, उसमें खर्च बताया और बता कर कहा कि ५३ लाख रुपये अध्यापकों के एरियर्स के हमने चुकाये एक साल में । उस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि एक साल में ५३ लाख रुपया चुकाया, धन्यवाद की पात्र है, लेकिन इतने एरियर्स क्यों हुए ? क्यों ये एरियर्स एक्यूमुलेट हुए, क्यों बढ़े ? कौन हुकूमत इसके लिये जिम्मेदार है ? क्या ५३ लाख रुपये का इन्ट्रेस्ट दिया ? क्या सरकारी कर्मचारियों का ५३ लाख रुपया सन् ४७ से लेकर अब तक बकाया है उसका भुगतान किया उसका इन्ट्रेस्ट दिया ? नहीं दिया । भुगतान का रिएम्बर्समेंट किया ? वह नहीं किया । अब भी कहता हूं कि कुछ अध्यापक भूख-हड़ताल पर बैठे हैं । मेरी जानकारी के अनुसार लगभग ५० अध्यापक अलग अलग स्थानों पर भूखहड़ताल पर बैठे हैं । इस कारण भूखहड़ताल पर बैठे हैं कि उनके एरीयर्स का भुगतान नहीं होता, इसलिये भूखहड़ताल पर बैठे हैं कि उनके एरीयर्स का एक्यूमुलेशन होता है, इस कारण भूख-हड़ताल पर बैठे हैं कि उनकी फाइल्स नहीं मिलतीं, इसलिये भूखहड़ताल पर बैठे हैं कि फाइल्स मिलती है तो सेंक्शन नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होती । आज अध्यापक बैठे हैं, भूखे कर्मचारी बैठे हैं, उनके सामने बकाया की समस्या है, उनके सामने ट्रान्सफर की और अपोइन्टमेंट्स की समस्या है, उनके सामने प्रमोशन की समस्या है, उनके सामने महंगाई भत्ते और वेतन की समस्या है। आज आप चाहें कि सरकारी कर्मचारी इस महंगाई में ईमानदारी से काम करें, न मैं कहता हूं और न कहना चाहिये, न एन्करेज करता हूं कि सरकारी कर्मचारी इस भूख के कारण टेम्पटेशन में आ जाय इस कारण सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के तरीकों को अपनायें, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहने के स्थान पर करके दिखाने की बात ज्यादा हो सकती है। हम उपदेश देते हैं सरकारी कर्मचारियों कि महंगाई भत्ते और कमी के बावजूद उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, पुस्तकें उनके बच्चों को मिले नहीं, उनको अच्छा कपड़ा मिले नहीं, बीबी को कपड़ा न मिले, मां बाप की सेवा न कर सके, मकान की व्यवस्था न कर सके, इस सब के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को कहें कि पेट के पट्टी बांधो, बंधी हुई पट्टी को कसो और ज्यादा कसो, पट्टी में कसती हुई आंतड़ियों को और मसलो लेकिन जनता से पैसा मत लो। कहते कहते जब सरकारी कर्मचारी को यह पता लगता है कि कहने वालों का पेट बड़ा है, कहने वाले सारे सिद्धान्तों को ताक में रख कर दुनिया भर का भ्रष्टाचार करके बंगले बना रहे हैं, कहने वाले दुनिया भर का भ्रष्टाचार करके एशोआराम कर रहे हैं, कहने वाले भ्रष्टाचार करके कारें खरीद रहे हैं। आज सरकारी कर्मचारियों को मालूम हो गया कि राजस्थान के उप-मन्त्रियों ने ११ हजार के भत्ते लिये, ११ हजार के भत्ते केवल इतना ही नहीं, गाड़ी खरीद १६ हजार रुपया और गाड़ी के नाम पर रुपया लिया ३५ हजार। टी. ए. डी. ए. लिया। सरकारी गाड़ियों की कमर तोड़

(विराम)

डाली, सरकार का पेट्रोल जला डाला। वह कुछ नहीं। नियम बना दिया अपनी गाड़ी में सफर करेंगे तो डी. ए. इतना मिलेगा और उसका मतलब यह हुआ कि दो वर्ष गाड़ी रह गयी, ब्लेक करेंगे तब तो मिलेगा ८ हजार।

(४ म० प०)

और गाड़ी में यात्रा करेंगे तो तब मिलेगा २२ हजार रुपया। पेट्रोल की बचत में खा जायेंगे पांच हजार। इस तरह से दो वर्षों में पैंतीस हजार की कमाई करते हैं, बेईमानी करते हैं। वे मंत्री यह बात कहें कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत न लें तो हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है।

"आप मीयाजी पत्थर मारे दुनियां ने प्रमोद सिखावे"

आप तो इस प्रकार की कार्यवाहियां करें और सरकारी कर्मचारियों को कहें कि तुम पैसा मत खाओ। मैं समझता हूं यह सभी कहते हैं और हम भी कहते हैं सरकारी कर्मचारी भी यह कहे कि अमृतलाल जी ने यह डेढ़ लाख का बंगला कैसे बना लिया, इतना पैसा कहां से आया? यादव साहब

(श्री भैरोंसिंह)

कहते हैं कि इतना बड़ा बंगला उन्होंने और उनकी पत्नी ने पत्थर ढो ढोकर बनाया है तो मैं माथुर साहब से पूछना चाहता हूं; आपने और आपकी पत्नी ने तो नहीं बनाया इतना बड़ा बंगला ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनकी पत्नी ने साथ नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : दौलतरामजी बैठे हैं। वे भी विवाहित हैं उनका भी परिवार है। उनसे तो दस हजार का भी बंगला नहीं बनवाया गया; उनसे तो यह कहें कि आप भी बनवा लो, पांच हजार का ही बनवालो लेकिन ये नहीं बना सकते। अमृतलाल जी यादव डेढ़ लाख का बंगला बना सकते हैं। बाकी के मंत्री क्या क्या करते हैं, उसका उल्लेख मैं यहां करना नहीं चाहता।

दो साल पहले सुखाड़िया जी भी भूखे थे उन्होंने सदन में कहा था, मेरे पास झोपड़ा भी नहीं है। मुझे दया आयी। मैंने कहा १३ वर्ष से जो लगातार मंत्री रहे हैं, इनके पास झोपड़ा भी नहीं, इनके लिये झोपड़े की व्यवस्था की जावे। उन्होंने उस समय यह भी कहा मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सकूं, यह भी व्यवस्था नहीं, इतने पैसे नहीं। हमने कहा कहीं इनके बच्चे अशिक्षित न रह जाय। आज हम देखते हैं उनके पास उदयपुर में जमीन है, बून्दी में जमीन है, उदयपुर में भवन हैं, उनके साले का भवन है, जवाई का भवन है जिनके पास दुनिया भर की प्रोपरटी है जिसका विस्तृत रूप से प्रगतीकरण होता जा रहा है। ये सुखाड़िया जी अब अपने कर्मचारियों को कहें कि तुम लोग पैसे मत खाओ तो मैं माथुर साहब, आपसे ही पूछना चाहता हूं इसका असर क्या होगा? कोई असर नहीं होने वाला है और असर नहीं होने पर आप सरकारी कर्मचारी को, पैसा न खावें, इसके लिये बाध्य कर सकते हैं; करें तो भी क्या वे मानने वाले है? माथुर साहब पेट इतना पापी है वह पाप करवाकर भी पेट भरने की चेष्टा करता है। वही पाप आज सरकारी कर्मचारियों को इसके लिये बाध्य करा रहा है। आज हम चपरासी, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट, पुलिस का सिपाही किस स्थिति में है, वह हम आज देखते हैं। १६ घंटे ड्यूटी देने वाला व्यक्ति यदि किसी सरकारी अधिकारी के यहां अर्दली के रूप में कार्य करता है तो उसके बरतन साफ करने होते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, अधिकारी के बच्चों को साइकल पर बिठाकर, दो आगे और दो पीछे, स्कूल पहुँचाता है। चार बजे फिर उनको लाने जाता है। कभी बच्चों ने कह दिया कि हम तो रामनिवास बाग घूमना चाहते हैं तो घुमाकर लायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की सड़कों पर जब केसरिया साफा बांधे हुए, खादी का कोट और खादी की पेन्ट पहने हुए इन चपरासियों को साइकल पर बच्चों को लेजाते हुए देखता हूं तो मुझे कई दफा इतना गुस्सा आता है कि बच्चों को मोटर से उनके घर पहुँचा दूं और जिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार का काम लिया जाता है उसका सिर सड़क पर पटक मारूं। लेकिन देखता हूँ इससे शांति भंग हो जायगी। सरकार से कई दफा कहा गया कि इन चपरासियों का इस तरह पिन्ड छुड़वाओ। नहीं छुड़ाते। वह क्यों नहीं छुड़ाती, इसका भी छकारण है।

(श्री भैरोंसिह)

उनके यहां भी विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। उनके मकान पर भी कर्मचारी काम करते हैं। आप इसको कॉगनीजेबल ऑफेन्स क्यों नहीं बना देते जिससे कोई भी अधिकारी चपरासी से या किसी कर्मचारी से निजी काम नहीं ले सके। आज तक इतने मामले होगये लेकिन किसी को दण्ड नहीं दिया गया। दण्ड उसको मिलता है जो सरकारी अधिकारी का काम नहीं करता। उससे अधिकारी नाराज हो गया उसको सजा मिलती है। उसको सरप्लस डिक्लेअर कर निकाला जाता है।

आज आपने जितने इन्डस्ट्रीज विभाग के कर्मचारियों को सरप्लस किया उनमें राजस्थान के एक उप मंत्री है उनके भी पति हैं जो अजमेर में इन्डस्ट्रीज आफिसर हैं। आज सरप्लस उनको डिक्लेअर किया जाता है जिनके लिये कोई कहने वाला नहीं। आज उप मंत्री महोदय के पति हैं उनको सरप्लस नहीं किया जाता है इसके बारे में मेरे पास कई पत्र आते हैं। अजमेर जाता हूँ तब भी लोग कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं उनकी पत्नी उप-मंत्री हैं, इसमें पूछने का क्या कारण ? यह कोई क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब्ड नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन आप यह सोचिये जिनकी पत्नी राजस्थान की उप-मंत्री हो, उनको कैसे सरप्लस किया जा सकता है। जब कि यह कायदा है कि किसी अधिकारी को होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जाता, वे होम डिस्ट्रिक्ट में कभी से चले आ रहे हैं और मिश्रा एन्ड मिश्रा इन्डस्ट्रीज है उसको चलाते है मिश्रा जी ही इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर हैं। अजमेर में रहते हैं। इसमें उप-मंत्री महोदया की व्यक्तिगत रूप से आलोचना का सवाल नहीं है; अजमेर जाता हूं तो मुझे कहा जाता है; चिट्ठियां भी मिलती हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं, अजमेर में जो इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर हैं वे जोशी हैं।

श्री भैरोंसिह : महाराज, आप भी जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आप ही बता दीजिये, प्रभा मिश्रा जी के हसबैन्ड क्या हैं ?

श्री भैरोंसिह : प्रभा मिश्रा जी के पति इन्डस्ट्रीज अधिकारी हैं, इन्सपेक्टर हैं। मैं तो अधिकारी ही समझता हूँ, आप उनको चपरासी कहते हो तो यह पता नहीं। इन्सपेक्टर हैं, उप मंत्री के पति हैं, वे यदि चपरासी भी हों तो हमारे लिये देवता के बराबर हैं। मैंने उनको इन्डस्ट्रीज विभाग का अधिकारी बताया है, आपको इससे जलन हुई हो, कारण इसका मेरी समझ में नहीं आया। जब आप सरप्लस कर्मचारी डिक्लेअर करते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि वे ग्रेजुएट नोन ग्रेजुएट हैं, नोन टैकनिकल हैं। पी० एस० सी० से सिलेक्ट भी नहीं। गजेटेड ऑफिसर आपने कभी नोन ग्रेजुएट देखा है ?

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन लोगों से कहा उप-मंत्री का पति होने के बाद और किसी क्वालिफिकेशन की

(श्री भैरोंसिंह)

आवश्यकता नहीं । उनकी क्वालिफिकेशन का बखान करना भी उचित नहीं । आप भी किसी उप-मंत्री के पति होकर देखें, बिना सिफारिश के ही काम होता है या नहीं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप पत्नी होकर देख लो ।

श्री भैरोंसिंह : पत्नी तो हो नहीं सकता, इसलिये मजबूर हैं; आप यदि यह हुनर भी रखते हो तो बन सकते हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों के अन्दर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति रोश हो तो निकाल ले, अपने कर्मचारियों के प्रति यह भावना हो हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं यह बात हो तो भी निकाल ले, सरकार के दिमाग में यह भी हो कि कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दिया है इसलिये महंगाई भत्ता नहीं बढ़ायेंगे यह बात हो तो भी दिमाग से निकाल दें । इस समय प्रश्न यह नहीं है राजस्थान में अकाल है, राजस्थान में अकाल के कारण महंगाई बढ़ी हैं ।

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर है । पाकिस्तान से हमारे रिलेशन्स ताशकंद समझौते के उपरान्त भी बिगड़ने वाले हैं । पाकिस्तान ने राजस्थान की सीमा पर अपनी सेनायें लगा दी हैं । राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी मुजाहिदों ने लूटपाट शुरु कर दी है । इससे यह अन्दाज आसानी से लगाया जा सकता है भारत और पाकिस्तान में बहुत जल्दी संघर्ष होने वाला है । इस संघष में यह सीमावर्ती प्रान्त जहां सरकारी कर्मचारियों के आधार पर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकती है । मुझे इस बात की खुशी है कि जब चीन का हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान का हमला हुआ, राज कर्मचारियों ने चपरासी से लेकर सुरक्षा चौकी पर पहरा देने वाले सिपाही ने सुरक्षा कोष में पैसा देने में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखायी । इन लोगों ने अपनी डयूटी अन्जाम देने में कोई कमी नहीं दिखाई ।

रात को पहरा दिया । रात को यदि किसी स्थान पर जाकर स्ट्रेटेजिक पोइन्ट की निगरानी करने का प्रश्न आया तो उसने रात और दिन एक करके निगरानी की । मोहल्लों में शान्ति बनाये रखने का प्रश्न आया तो रात रात भर मोहल्लों में गश्त लगाई । ये सारे काम सरकारी कर्मचारियों ने किये । उस सीमावर्ती जगहों के कर्मचारी विधान सभा में पहले आये थे अकेले, अब कल आ रहे हैं सपत्नीक । बच्चे भी उनके साथ होंगे । मैं मन्त्रि मण्डल के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपका दिल नहीं पसीजता है तो आप अपनी पत्नियों और बच्चों को साथ लेकर उनका स्वागत करने को खड़े हो जावें । आप वापिस लौट सकते हैं, पर आपकी पत्नियां आपको रोक लेंगी और कहेंगी कि इन बच्चों और पत्नियों के परिवारों के लिये इनका पैसा बढ़ाकर जाओ ।

(हियर–हियर)

माथुर साहब, कोई करे या न करे, आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनका

(श्री भैरोंसिंह)

सपत्निक स्वागत करें और आप उनकी भावनाओं को देखिये कि क्या होता है।

एक माननीय सदस्य : अगर कोई पत्नीकी जगह किसी और को ले जाए तो ?

श्री भैरोंसिंह : अब कोई और किसी को ले आवे तो, वह तो आपत्तिजनक है और उसको मैं समझता हूँ कि न सदन बर्दाश्त करेगा और न कर्मचारी बर्दाश्त करेंगे। अगर किसी के पास गुपचुप में है, तो वह उसको लेकर न आवे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि सारे प्रश्न पर...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई कर्म-चारियों के साथ ही आ जावे तो क्या करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : जैसे कौल साहब।

श्री भैरोंसिंह : कर्मचारियों में कोई आवेगा या आवेगी तो सिंसियरली आवेगी, अपने साथी कर्मचारियों के साथ सिन्सि-यरीटी दिखावेगी या दिखावेगा। वह तो सरकार के खिलाफ ही नारे लगावेगा। कोई हो कौल साहब हों या और कोई हों। कोई भी आवेगा तो कर्मचारियों के साथ नारे लगावेगा उनके साथ लायल्टी दिखानी पड़ेगी उसे।

इस हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि कल तो पत्नी और बच्चों को लेकर विधान सभा के सामने आ रहे हैं पर मुझे किसी ने बताया है कि कर्मचारीगण यह भी विचार कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसा वे न करें, कि वे अपने बच्चों को मुख्य मन्त्री के मकान पर छोड़ने वाले हैं और जिलों में कलेक्टर के मकानों पर छोड़ने वाले हैं। तहसील में तहसील हैड क्वार्टर पर तहसील-दार के यहां छोड़ने वाले हैं। अगर इस तरह से उन्होंने अपने बच्चे छोड़ दिये तो इतने तो शिशु कल्याण केन्द्र भी राजस्थान में नहीं हैं। उनकी व्यवस्था कहां से होगी ? इसलिए आप इसे संकेत के रूप में समझ लें। इस तरह से यह प्रोब्लम सोल्व नहीं होने वाली है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : आप लोग इससे क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जिनकी परेशानी है, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं उस को लेकर ही यह बात सदन में प्रस्तुत की जा रही है।कांग्रेस या विरोधी दल का सवाल नहीं है। इसको समझना चाहिये और इस सन्दर्भ में यह बात दिमाग से निकाल कर चलना चाहिए कि हम चूंकि विरोधी दल में बैठे हैं इसलिए हमारा केवल कांग्रेस की आलोचना करने का ही ठेका है और उधर बैठे आप लोगों की सिर्फ हमारी बातों को काटें, इसकी मोनोपोली है। इस मनोवृत्ति को छोड़कर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को सुन्दर बनाने स्वस्थ और संतुष्ट बनाने के हिसाब से, उनमें संतोष और शांती की भावना पैदा करने के हिसाब से, एक न्यायिक दृष्टिकोण से इन समस्याओं का सामान करना पड़ेगा आपको।

इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर आप चलें तो राजस्थान के कर्मचारियों में वफा-

(श्री भैरोंसिंह)

दारी की भावना लुप्त न हो जाय, ऐसी कोई स्थिति पैदा न कर लें आप। अगर सरकार नहीं मानती है, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि फिर आपका कोई नैतिक आधार नहीं कि हुकूमत को आप अपने हाथ में रखें। आपका नैतिक आधार क्या था। हम अविश्वासी की बात करें आपके विरूद्ध, हम नारे लगायें आपके विरूद्ध तो आप यह कह कर चलते हैं कि विरोधी दल का तो यह काम है। पर माथुर साहब, आपके दफ्तर का एक चपरासी, आपको चाय पिलाने वाला आपको पानी पिलाने वाला, आपका बस्ता घर ले जाने वाला, आपका रात दिन साथ देने वाला चपरासी और टाइपिस्ट बाबू आपका, आपके दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क, एल. डी. सी., यू. डी. सी., जिसके माथुर साहब के होने से प्राण सूखते है, वे अगर यहां आकर नारे लगावेंगे कि हमारी मांगे स्वीकार करो, हमारा वेतन भत्ता बढ़ाओ, हमारी मंहगाई बढ़ाओ, उस समय यदि वे मांग करें तो आप क्या कहोगे ? आज तो वे आपके सामने आवाजें दें। आप कहोगे अगर कि आपके पास उनको देने को कुछ नहीं है तो कह सकते हैं। पर जिस प्रकार आन्ध्र के कर्मचारियों ने वहां की हुकूमत को झुकाया था, राजस्थान के कर्मचारी भी उनसे कमजोर नहीं हैं। वे भी आपको झुका देंगे। आपको झुक कर मंहगाई भत्ता बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्यों आज का चान्स खोते हो। क्यों प्रेस गवाते हो। जो आज म्यूचुअल अण्डरस्टेंडिग्ग है, आपस में कॉन्फीडेन्स है, उसको लूज करने की बात पैदा करते हो। अगर ऐसा करते हो तो अच्छी चीज नहीं होती। आप स्वयं हुकूमत के कर्मचारियों की वफादारी की गिरावट के कारण बनोगे इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर मजाक न बनाओ।

राजस्थान के कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर उनके वेतन भत्तों के प्रश्न को लेकर भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों के अनुकूल उनका मंहगाई भत्ता हो, इस प्रश्न को लेकर यदि आप भारत सरकार से सहायता मांगें तो पचास प्रतिशत भाग उसका आपको भारत सरकार से मिलने वाला है और हमने सहायता मांगी तो इतने ही रुपयों की कटौती हम राजस्थान के प्रशासन के खर्चे में कम करके दिखाने वाले हैं। किसी को कहने सुनने वाले नहीं हैं। पर अगर उनके इन प्रदर्शनों से और कहने सुनने से आप उनकी बातों से नाराज हैं और इसके आधार पर आप उनकी उचित बातों को ठुकराना चाहते हैं तो वह ठुकराई नहीं जा सकतीं।

इसलिए अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह जो प्रस्ताव रक्खा गया है इसको स्वीकार किया जाय। यही मैं सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको स्वीकार करके राजस्थान के कर्मचारीगण जो राजस्थान की सरकार के प्रति अविश्वास की भावना प्रकट करने वाले हैं उनको रोका जाय, उसे बन्द किया जाय। इसी भावना से मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है और सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ जाने, इस स्थिति और भावना को लेकर मैंने कुछ निवेदन किया है।

श्री मान्धातासिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज् ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि एक संकल्प यह है और एक आपका है। इस दृष्टि से समय का निर्धारण भी इसी प्रकार से होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : समय पूर्व निर्धारित है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आज तो चलने दीजिए आठ-नौ बजे तक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बाकी ११ कहीं चले गए, २२ में से चार बैठे हैं। इतना इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा है। मन्जूर नहीं है तो सुनने को तो बैठें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बैठा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जरूर हैं। बोल सकते हैं; पर आपका गला बैठा हुआ है।

श्री मानधातासिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का जब सवाल है तो सेन्ट्रल के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते का जो उनका सवाल है बिलकुल उचित है।

इस सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है और मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु एक विशेष बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि शायद सरकार यह कह सकती है कि सर्विस एक कन्ट्राक्ट है। जब कोई मुलाजिम सरकारी सर्विस ग्रहण करता है तो वह एक कन्ट्राक्ट में एन्टर होता है और उस वक्त उसको उस कन्ट्राक्ट की शर्तें मालूम होती हैं। उसको यह मालूम होता है कि उसकी तनख्वाह क्या होगी परन्तु यह पूरी तरह सही नहीं है।

तनख्वाह के बारे में मेरा कुछ निवेदन करना नहीं है। वह तो कन्ट्राक्ट के अन्तर्गत आ जाता है। पर महंगाई का सवाल इससे बिलकुल भिन्न है, अलग है। वह इसके अन्तर्गत नहीं आता। महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई भत्ता जो सरकार ने अलाऊ किया है वह वेतन के रूप में नहीं है।

वह जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है जिसमें भी कारण सरकार ही है, उस महगाई से गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कम्पेन्सेट करने के वास्ते यह भत्ता सरकार देती है। यह महंगाई सरकारी कर्मचारी की गलती से नहीं बढ़ी है। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पर, फाइनेन्सेज पर इकानोमी पर कन्ट्रोल नहीं कर पाने से यह बढ़ी है। आज उस रुपये की कीमत जिसकी कीमत आज से तीस साल, बीस साल पहले एक रुपया थी १६ और १७ पैसा भी नहीं रही है। तो उस वक्त जो सर्विस में एन्टर हुआ और जो उस वक्त मिलता था वह आज इतनी कम वेल्यू रखता है। तो इस सब को देखकर ही सरकार ने महंगाई भत्ते का प्रोवीजन किया है।

तो महंगाई का प्रोवीजन इस उद्देश्य से जब हुआ है तो कोई कारण नहीं कि एक ही राज्य में एक ही शहर में एक को सौ

(श्री मानधातासिंह)

रुपया मंहगाई भत्ता मिले और दूसरे राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ पचास ही मिले। तो मंहगाई एक सी हो यह मांग उनकी वाजिब है।

जैसा मैंने निवेदन किया कि मंहगाई जो है वह उस कर्मचारी की कोई गलती से नही बढ़ी।

उसने जब सर्विस एन्टर की थी तो उसको पता नहीं था कि मंहगाई कितनी बढ़ जायेगी। यह जितनी मंहगाई और अव्यवस्था बढ़ी है वह सरकार के दोष से बढ़ी है। अतः सरकार ही उसके लिए उत्तरदायी है। जब सरकार प्राईजेज कन्ट्रोल नहीं कर सकती, मंहगाई कम नहीं कर सकती और जितनी यहां कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती तो जो सरकार के मुलाजिम हैं उनको कम्पन्सेट करने का सरकार का फर्ज है।

दूसरा प्रश्न डिस्क्रिमिनेशन का आता है। एक ही जगह दो मुलाजिमों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं हो सकता। जयपुर शहर के अन्दर ही एक सेन्टर के मुलाजिम को १०० रुपये मिलते हैं और राज्य सरकार के मुलाजिम को उसी शहर में जो काम करते हैं उनको ५० रुपये या ७० रुपये या २० रु० नहीं मिल सकते। मंहगाई दोनों के लिए बराबर है। इसलिए उसमें कोई डिस्क्रिमिशन नहीं हो सकता। राज्य सरकार के कर्मचारी को भी मंहगाई सेन्टर के मुलाजिम के बराबर मिलनी चाहिए सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब कान्ट्रेक्ट किया था तो उस समय उसको कितना वेतन मिलता था और उस समय मंहगाई कितनी थी। सरकार की अव्यवस्था के कारण ही मंहगाई बढ़ी है इसलिए सरकार का पूर्ण उत्तरदायित्व है कि अपने मुलाजिमों को कम्पन्सेट करे और उनको उतनी ही मंहगाई दे जो कि सेन्टर के कर्मचारियों को मिल रही है।

दूसरी चीज में और निवेदन करना चाहता हूं। कुछ मंत्री महोदय अपने अधिनिस्थ कर्मचारियों को सरकारी काम देते हैं परन्तु उसके अलावा पार्टी का काम भी लेते हैं वह सर्वथा अनुपयुक्त है। वह कर्मचारी अपने मंत्रियों को कुछ नहीं कह सकते लेकिन मंत्रियों को सोचना चाहिये कि जो सरकारी काम के लिए मुलाजिम रखे हैं उनको एक पार्टी के काम के लिए या प्राइवेट काम के लिये वह कैसे लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि लाडनू से आने वाले माननीय मंत्री जी हैं उनके पी० ए० कई दफा कांग्रेस आफिस में बैठकर काम करते रहते हैं। कांग्रेस अधिवेशन के अन्दर कई मिनिस्टरों के पी०ए० काम कर रहे थे, यह बिलकुल गलत चीज है। बल्कि मैं सरकारी मुलाजिमों से निवेदन करूंगा कि उनको साफ मना कर देना चाहिये यदि उनसे ऐसा काम लिया जाये जो कि पार्टी का काम हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आज सदन में प्रस्तुत है इस संकल्प के सम्बन्ध में तो मेरी भी सहानुभूति है। लेकिन जिस कलाबाजी के साथ और जिस तरीके से इस संकल्प को तोड़ मरोड़ कर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं तो उसका एक ही मतलब समझता हूं और वह मतलब यह

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

है कि उन्होंने जो कलाबाजी इस बात की दिखाई है कि केवल उनकी ही सहानुभूति इस बात के लिए है कि वह कर्मचारी जो कि चतुर्थ श्रेणी के हैं, जो एल० डी० सी० या जो छोटी तनख्वाह पाते हैं उनको ही केवल उनके प्रति सहानुभूति है और दूसरों की नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से सहानुभूति रखेंगे और यह बात भी सब सोचेंगे कि आज के युग में जब मंहगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है उस समय हमारा क्या कर्तव्य है उन कर्मचारियों के प्रति जो कि आज मंहगाई में दबे जा रहे हैं। परन्तु जनसंघ के माननीय सदस्य के बोलने के तरीके और उनके बात रखने के तरीके को जब मैं देखता हूं तो मेरा सिर झुक जाता है इस बात से कि उन्होंने इस बात को रखा इस सदन के अन्दर कि आई० पी० एस०, आई० ए० एस० आदि ऑफिसर्स के सब के भत्ते बढ़ाये गये हैं, मिनिस्टर्स ने अपना भत्ता बढ़ाया, इस सदन के माननीय सदस्यों का १०० रुपये का भत्ता बढ़ाया गया है और १५) से २१) रु० किया गया तो मुझे एक दिन भी इस बात के लिए याद नहीं आता कि माननीय जनसंघ के नेता और माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया होता कि इस सदन के १००), रुपये जब कर्मचारी मंहगाई से दबे जा रहे हैं, जब आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, आज उसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं जैसा उन्होंने आज जाहिर किया है और वास्तव में कुछ ऐसी हालत है भी लेकिन माननीय सदस्य ने इस बात का एक दिन भी प्रोटेस्ट किया होता और बहुमत दल ने इसका तय किया कि यह २१ होने चाहिए और १००) रुपया बढ़ाना चाहिये तब तो कुछ नहीं कहा और आज उनको इस बात का कहना कि हमने यहां सब कुछ किया और इस सदन में किया और उस समय उनके दिल और दिमाग में थोड़ा भी नहीं आया और आज उन बातों को इस कलाबाजी के साथ कि मुख्य मंत्री ने ऐसा किया, मिनिस्टर्स ने ऐसा किया और दूसरे अधिकारियों ने इस तरह से बढ़ाया, इन बातों से हम दूर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं कि सदन को एडजॉर्न किया गया। किसी गलती की वजह से तारीख तय कर दी गई और वह ५५ दिन का अलाउन्स होता था और माननीय सदस्यों ने अपने अपने घरों में काम किया, किसी को ख्याल नहीं था परन्तु किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आया। हम जहां भी मौका आता है, जहां भी इस बात के लिए मिलते हैं तो हम प्रिन्सिपल्स पर टिकना नहीं चाहते हैं। यह बात भी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको प्रिन्सिपल्स के ऊपर टिकना होगा इसलिए कि एक तरफ आज अगर सदन का रेकार्ड १५ साल का उठाकर देखा जाये तो एक दिन भी आपने इस सदन में कहा कि यह टैक्स लगना चाहिए और १५ साल को जो रेवेन्यू बढ़ी है वह आपके विरोध से बढ़ी है।

आपने कोई एक भी टैक्स की हिमायत नहीं की। एक तरफ आप कोई भी टैक्स की हिमायत नहीं करो और आपको सहानुभूति लेकर और आपकी सलाह लेकर इस राजस्थान में बजट बनायें तो इस राजस्थान की विधान सभा में कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग नहीं है कि जिसमें माननीय जनसंघ के सदस्य ने यह कहा हो कि यह टैक्स

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वाजिब है और राजस्थान के शासन को चलाने के लिए और राजस्थान की हुकूमत को चलाने के लिए, राजस्थान में विकास करने के लिए, राजस्थान में तरक्की करने के लिए आपको यह टैक्स लगाने चाहिए। आप एक तरफ टैक्सों के विरोध में हैं और दूसरी तरफ आपको मानवता के लिए हमदर्दी है, उनके दिल और दिमाग में ज्यादा हो सकती है और उनके दिलों में ज्यादा होगी क्योंकि यह तो सही बात है कि यदि आप बाजार में जाते हैं और आपकी जेब में १० रुपये होते हैं तो बाजार से १० रुपये का ही सौदा मिल सकता है; यह नहीं कि १५ रुपये का सौदा मिल जाये। आखिर राजस्थान का एक बजट है और उसके अन्दर हमें सोचना होगा कि राजस्थान के बजट के मुताबिक हमको किस प्रकार से चलना है। उन्होंने एक बात कही कि १०० करोड़ का बजट है और उसमें ३ करोड़ या २ करोड़ रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो ऐसी बात कह गए जिस प्रकार से उन्होंने और बातें बताईं। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कहता कि वह बच्चे इस तरह से छोड़ आयें, और वह इस तरह से सत्याग्रह करें। वह नहीं चाहते कि अराजकता पैदा हो। इस मामले में अराजकता जो चाहते हैं उनका महंगाई और भत्ते से कोई सम्बन्ध नहीं है, उन्हें देश की तरक्की से सम्बन्ध नहीं है लेकिन उनका एक राजनैतिक मोटिव है।

मैंने कुछ दिन पहले इसी सदन में कहा था कि हमारे ही भाईबन्धु, हमारे ही दोस्त, हमारे ही मित्र, इस राजस्थान सरकार के मुलाजिम हैं। कोई योरोप से नहीं आया, कोई अमेरिका से नहीं आया, तो हमारे ही भाईबन्धु हैं। हमारी स्वतः ही हमदर्दी है कि जो आज हालात है, उनके अन्दर जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन राजस्थान सरकार से जरूर करना चाहता हूँ और वह यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सवाल है, जहां तक एल. डी. सी. और दूसरे छोटे कर्मचारियों का सवाल है उसके ऊपर दृष्टिपात करें तो इस बात का आपको स्वतः ही अनुभव होगा कि आज जो महंगाई है जो इतनी अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है उसके लिए आप पूरी तरह से ध्यान रखें और इसका ख्याल रखें कि राजस्थान के बजट के ऊपर जो एक भार स्वरूप जो आपके ऊपर बना पड़ा है, आप यदि इस बात को दृष्टिपात करें कि राजस्थान के अन्दर जब से हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी आई, राजस्थान की हुकूमत बनी जब से आपने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी और पद हैं इनकी संख्या कितनी बढ़ी है। यदि इस पर दृष्टिपात करें और उन छोटे कर्मचारियों की संख्या पर दृष्टिपात करें तो मैं इस बात के बहुत बड़े आंकड़ों में जाता हूँ तो मुझे इस बात का महसूस होता है कि छोटे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम बढ़ी होगी। और उन अधिकारियों की संख्या ज्यादा बढ़ी होगी। इसलिए बड़े बड़े अधिकारी जो आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठ कर अपनी तनख्वाहों के मामलों में बड़े सचेत रहते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाह और टी. ए., डी. ए. ड्रॉ करने में बहुत चतुराई से काम लेते हैं उनके ऊपर आपको निगाह रखनी है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यदि आपने इन पर निगाह नहीं रखी, किसी भी अधिकारी को किसी ब्याह-शादी में जाना होता है तो वह दौरे का कार्यक्रम बना लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था राजस्थान के बारे में कि आपके डेवलपमेंट कमिश्नर को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था तो उन्होंने रामगढ़ पंचायत समिति के मुआयने का कार्यक्रम रख दिया। आप देखिये राजस्थान के बजट के ऊपर उस डेवलपमेंट कमिश्नर के दौरे से कितना प्रभाव पड़ा। उसको अपनी बिरादरी में, भाईबन्दी में किसी की शादी में दिल्ली जाना था तो उसने रामगढ़ का दौरा, पंचायत समिति के मुआयने के नाम से दौरा रख लिया। आप बतायें कि एक कर्मचारी का अगर आप दस रुपये माहवार मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो डेवलपमेंट कमिश्नर के इस एक दौरे से ही हो बीस-पच्चीस कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की पूर्ति हो सकती थी। आप देखिये कि आपके अधिकारियों में इस तरह की बातें बढ़ रही हैं, परन्तु उसके ऊपर आप कोई चैक नहीं करना चाहते हैं। वह आपके बाहर होते जा रहे हैं और उनकी तबियत में आती है वैसा वे करते हैं। इसलिए इन छोटे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते पर हमको ध्यान देना चाहिये, क्योंकि वह रीढ़ की हड्डी हैं इस हुकूमत की। छोटे कर्मचारी जो काम करते हैं, एल. डी. सी. जो काम निकालता है और उस काम को तैयार करता है, वह फाइल पर नोटिंग करता है। मैं अनुमन सेक्रेटेरियेट में जाता हूं, मैं अनुमन और डिपार्टमेंट्स के अन्दर भी जाता हूं और उनमें देखता हूं कि आपके क्लर्क का जो नोटिंग आता है उसके ऊपर आठ दस लाईन से अधिक कोई बात अधिकारी नहीं लिखता। वह नोटिंग के ऊपर, इस बात पर डिपेंड रहता है कि उसके बाबू ने क्या नोटिंग किया है। जब वह बाबू नोटिंग करता है और उसको आप जो तनख्वाह देते हो, उसकी जो दिक्कतें हैं, उसकी मंहगाई की दिक्कतें हैं, उसके बाल-बच्चों की दिक्कतें हैं तो एक ओर जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उनकी मजबूरियों को देखते हैं और दूसरी तरफ आपके अधिकारियों का जिस प्रकार का रवैया है उसको देखते हैं तो दिल और दिमाग में यह बात आती है कि जब हमारा छोटा कर्मचारी है वह दुखी है, वह कर्मचारी, हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और एल. डी. सी. वगैरा जिनकी तनख्वाह तीन सौ रुपये से कम है, आज जो उनकी हालत खराब है तो उस हालत में हमें उन्हें राहत देनी चाहिए। वह राहत हम किस प्रकार से दे सकते हैं? हम वह राहत तब ही दे सकते हैं जब कि राजस्थान के अन्दर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके बारे में सोचें।

मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पंचायत समितियों में, राजस्थान के और विभागों में बहुत से ऐसे पद हैं जो साल भर तक, महीनों जिनको एक भी काम नहीं करना पड़ता। कहीं २ पर डुप्लीकेशन हैं, कहीं कहीं पर इस प्रकार के पद हैं जिनको कोई काम नहीं है। मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में कहूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी खाद्य उत्पादन की दृष्टि से देश के अन्दर, देश के अन्दर ज्यादा अन्न उत्पादन करने की दृष्टि से एक एक पंचायत समिति में दो दो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स लगा दिए

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हैं। एक एक पंचायत समिति में जब ये एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स गए और उनसे यह पूछा कि यह किस चीज की बाल है तो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम यह किस की बाल है। अधिक खाद्य उत्पादन के नाम पर जो एक कॉलेज से पढ़ कर आ गया ! बी. एस. सी. करके आ गया, उसकी आपने एक तनख्वाह भी कायम कर दी और इस तरह से आप उससे अधिक अन्न उत्पादन कराना चाहते हैं, खाद्य का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से नए नए पद बना दिए और नई नई जगहों से बजट पर भार पर भार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आप इसके अन्दर कटौती नहीं करेंगे, यदि इन पर आप निगाह नहीं रखेंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि कुछ दिन बाद एक मौका ऐसा आएगा जब राजस्थान में एक कर्मचारी और एक अधिकारी हो जाएगा; एक ऑफिसर होगा और एक कर्मचारी होगा। इस रेश्यो के अन्दर आपके अधिकारी राजस्थान के अन्दर नजर आने लग जायेंगे।

इस राजस्थान के अन्दर जिस गति से विकास की जरूरत है, जो राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से होना चाहिए, हम सब लोग उसके लिए लालायित हैं। उसमें हमारे सामने यह समस्या पैदा होती है और यह इसलिए पैदा हो गई है कि आज मंहगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसका एक ही कारण है कि आज हमारे प्रान्त के अन्दर २६ में से २३ जिलों के अन्दर अकाल है और इस अकाल की वजह से बहुत सा बजट अकाल सहायता के अन्दर चला गया। कोई फेमिन कोड के अन्दर काम चलते हैं तो कोई दूसरे सड़क बनाने के काम हो रहे हैं। हमारे बजट बहुत सा अंश इधर-उधर के कामों में ही खर्च हो जाता है। जब हम इस तरफ दृष्टिपात करते हैं और राजस्थान के बजट को देखते हैं तो कुछ मजबूरियां हमारे सामने आती हैं। तो भी मैं राजस्थान सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उन्होंने बजट के बारे में जो कुछ भी कठिनाई की बातें कही हों, उन्हें राजस्थान के कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। मैं उनको एक बात से सचेत कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के कर्मचारी को चाहे आप मंहगाई के रूप में कुछ भी आर्थिक सहायता देंगे, वह राजस्थान के कर्मचारी के लिए अच्छी चीज होगी। आप जो उनको उपभोक्ता भण्डारों के जरिए राहत देना चाहते हैं तो इन उपभोक्ता भण्डारों में उनको जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वे चीजें सही माने में उपलब्ध नहीं होंगी। एक कर्मचारी जो एक गांव में रहता है; एक कर्मचारी जो एक छोटे से कस्बे में रहता है, उसे तहसील हैडक्वार्टर पर अन्न लेने के लिए आना पड़ेगा। उसे तहसील हैड क्वार्टर से अनाज गांव में ले जाना पड़ेगा, उसका किराया उसको देना पड़ेगा, उसको अनाज लाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। यह सब दिक्कतें उसके सामने पेश आयेंगी। यदि आपने उसको अनाज के अन्दर, यदि आपने उसको दाल के अन्दर, यदि आपने उसको शुगर के अन्दर या दूसरी चीजों के अन्दर रियायत दी तो भी वह शायद दस रुपये महीने की रियायत से अधिक नहीं होगी लेकिन जब उसको कंजूमर स्टोर पर अनाज, शुगर और दूसरा सामान लेने के लिए तहसील हैडक्वार्टर पर आना पड़ेगा तो उसका खर्चा दस रुपये से भी अधिक हो जायगा। इसी प्रकार की

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

स्थिति दूसरे कर्मचारियों के साथ भी होगी। इसलिए जो डिफिकल्टी है, जो दिक्कतें हैं इसके ऊपर आप दृष्टिपात करें और इन दिक्कतों को आप महसूस करें तो आपको स्वतः इस बात का आभास हो जाएगा कि हमने कन्ज्यूमर्स स्टोर की जो व्यवस्था की है वह ठीक नहीं है। कन्ज्यूमर स्टोर्स को शहरों में व्यवस्था हो सकती है। यहां जयपुर के अन्दर रहने वाले कर्मचारियों के लिए सुविधा हो सकती है, यह अलवर में रहने वाले के लिए सुविधा हो सकती है, यह बड़े २ शहरों-भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं, परन्तु आम गांवों में जो छोटे २ कर्मचारी हैं और जिन कर्मचारियों को आप सुविधा देना चाहते हैं, जो कर्मचारी और उनके बाल-बच्चे छोटे २ गांवों में रहते हैं इससे उनको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है और इसी के साथ मैं आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि यदि राजस्थान के अन्दर, यदि राजस्थान के कर्मचारियों के हित में और राजस्थान का एक बहुत बड़ा वर्ग है उसके हित में यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए सोचना होगा। यह हो सकता है कि आज हमारा बजट इस बात के लिए अलाऊ नहीं करे, आज बजट हमको इस बात के लिए अलाऊ नहीं करे कि जो हम चाहते हैं, बराबर उन्हें महंगाई भत्ता देना चाहते हैं वह अभी नहीं दे सकें, परन्तु हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आज जो सेंटर के कर्मचारी हैं, चाहे वह इन्कमटैक्स में हों, सेंटर का कर्मचारी चाहे वह हमारे ए. जी. ऑफिस में हो, सेंटर का कर्मचारी चाहे हमारे किसी भी दफ्तर में हो, जयपुर में रहता है, अलवर में रहता है, भरतपुर में रहता है, उसको जो तनख्वाह मिलती है और हमारे कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलती है उसके अन्दर इतना बड़ा भेदभाव है कि एक तरफ तो जो सेंटर का चपरासी है उससे वह काम लेने की मुमानियत है, वह बहुत कम अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं लेकिन हमारे चपरासी जो हैं हमारे अधिकारियों और दूसरे लोगों के घरों पर काम करते हैं और जैसा कि अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक चपरासी अपनी साइकिल पर तीन-तीन, चार-चार बच्चों को बैठाकर ले जाता है, हमने भी यह देखा है और जब हम यह देखते हैं तो हमारा सिर भी इस बात से झुक जाता है। आखिर इस देश के स्वतंत्र नागरिक के साथ, जिस स्वतंत्र देश का नक्शा हम समझते थे और हम यह कहते हैं कि देश के अन्दर सोशियलिस्टिक पेटर्न का राज्य कायम करेंगे, हम समाजवादी व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं लेकिन इस तरह से हम समाजवादी व्यवस्था कायम रखने का कौन सा तरीका अख्तियार कर रहे हैं ? जिस आदमी को तनख्वाह थोड़ी सी मिलती है और उसके बदले में उसे आठ घण्टे की बजाय सोलह घंटे तक ड्यूटी देनी पड़ती है, आखिर उसने कौन सा पाप किया है, किस बात की उसको सजा दी जा रही है, यह किस प्रकार की व्यवस्था है आपकी, जिससे हमारे दिलों में वेदना पैदा होती है। परन्तु साथ में जब मैं राजस्थान के बजट का जो सवाल है उसको देखते हुए इतनी बात और कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर इतने अधिक कर्मचारी हैं और उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हमको राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ी मात्रा में धन चाहिए। तो फिर जितने आपके अधिकारी हैं, जो आपके अधिकारियों की संख्या है, उनको सामने रखिए और जो आपके कर्मचारी हैं उनकी संख्या को भी सामने रखिए और आप लोगों को देख लीजिए कि इनमें से बहुतों के पास महीने भर तक कोई काम नहीं है, केवल पद को बनाए रखने के लिए, केवल इधर-उधर की बातें करने के नाम पर, केवल इस प्रकार के नए नए डिपार्टमेंट्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिनों तक बनाया और फिर उनको अबोलिश कर दिया।

मैं तो एक बात से हैरान हूँ यह देखकर कि इस राजस्थान सरकार के अन्दर, इस राजस्थान के डिपार्टमेंट्स में किसी डिपार्टमेंट का जन्म होता है और तीन साल के बाद, चार साल के बाद वह डिपार्टमेंट मर जाता है।

पहले पंचायत समितियों में पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफिसर पैदा किये। हर पंचायत समिति में एक एक पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफिसर। पंचायत समिति से पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफिसर को खत्म किया तो फिर इन्डस्ट्रियल ऑफिसर आया। इन्डस्ट्रीज ऑफिसर को खत्म किया तो दो एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर और प्रोग्रेस असिस्टेन्ट आये। नये नये आदमी और नये नये डिपार्टमेंट्स पैदा किये, एक डिपार्टमेंट खत्म करते हैं तो दूसरा डिपार्टमेंट पैदा कर लेते हैं। भाई, सोचें कि यह डिपार्टमेंट आपने किस लिए पैदा किये? कुछ समय सोशियल वेलफेयर के लिए उन्होंने एस० टी० आई० और दूसरी पोस्ट उन्होंने सोशियल आर्गेनाइजर को पैदा की। सोशियल आर्गेनाइजर्स और एस. ई. ओ. ये उनको खत्म किया। हर पंचायत समिति में दो तीन एस. टी. आई. कर दिये। आखिर एक प्रारूप, इस देश का, एक तरह की कोई व्यवस्था हो। कुछ दिन तो उसको चालू रखें। अभी मैंने सुना है कि कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट और यह जो आपकी चक बन्दी हो रही है–इस डिपार्टमेन्ट और सैटिलमेंट डिपार्टमेंट में कुछ कमी की जा रही है। कमी तो उस डिपार्टमेंट में कर दी, परन्तु कुछ पटवारी और बढ़ाये जा रहे हैं, कानूनगो और बढ़ायेंगे। छोटे-छोटे सर्किल किये जा रहे हैं। तो कौन सी व्यवस्था इस मुल्क में, इस देश में कायम करना चाहते हैं।

आज एक तरफ तो कटौती के नाम पर कुछ कम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक नये डिपार्टमेंट को जन्म देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि, आप बड़े बड़े अधिकारियों का पद दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते हैं तो आप उन पदों पर नियन्त्रण रखें, और नियन्त्रण रख कर उन पदों की कमी करें, और कमी करने के बाद राजस्थान के अन्दर जो बजट उससे बचे और जो बजट उससे बचना चाहिए, उस बजट को एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह ३००) रु० से कम है, उनका महंगाई भत्ता सेन्टर के महंगाई भत्ते के बराबर नहीं तो कम से कम आज जो देते हैं उससे दुगुना भत्ता आप उनको कर दें, तो मैं यह समझूंगा कि यह जो कर्मचारी हैं वह इस बात को भली प्रकार से समझते हैं, क्योंकि उनकी देश के प्रति लॉयलटी, राष्ट्र के प्रति जो उनकी वफादारी है वह

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हमने चाइना एग्रेशन के टाइम में देखी, वह हमने पाकिस्तान के युद्ध के टाइम में देखी। आखिर हमारे प्रान्त के जो कर्मचारी हैं उन्होंने सुरक्षा कोष में धन देकर, उन्होंने अपने काम के प्रति वफादारी का सबूत देकर के उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया कि हम मुल्क के साथ हैं और मुल्क के दुःख में दुःखी हैं और मुल्क के सुख में सुखी हैं। जब वे मुल्क के दुःख में दुःखी हैं और सुख में सुखी हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि आज के समय जब महंगाई उनके सिर पर मंडरा रही है, जब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दुखी हैं, आज उनके सामने अनाज की बहुत बड़ी मुश्किल महंगाई की वजह से हो रही है। तो ऐसे समय में हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम उनका महंगाई भत्ता नकद रुपये के रूप में बढ़ायें। मैं समझता हूं कि कन्ज्यूमर्स स्टोर्स का मेरा खुद का व्यक्तिगत ख्याल है और मैं इस ख्याल का व्यक्ति हूं और मैं अपनी एक मान्यता कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के बारे में रखता हूं, तो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के द्वारा उन गरीब कर्मचारियों को जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, ३००)रु० से कम तनख्वाह पाते हैं, उन कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा हो जायेगा, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि उनका जो महंगाई भत्ता है वह ज्यादे से ज्यादा बढ़ाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, और यह एक देशव्यापी सवाल है। हमको इस समस्या को राजस्थान की समस्या ही समझ करके आगे नहीं चलना चाहिए। देशव्यापी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जो अन्य राज्यों में व्यवस्था हो रही है, उसको भी ध्यान में लेते हुए, राजस्थान की आर्थिक दशा को मद्देनजर रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, इस बात पर विचार करने के पश्चात् कोई निर्णय लिया जाय, तो मेरे ख्याल में श्रेयस्कर होगा। पर यह दिक्कत आ रही है कि लगातार विरोधी पक्ष की तरफ से सरकार को सुझाव दिये जाते हैं। सरकार उन सुझावों को कम से कम १० में से ९ सुझाव ठुकरा देती है, उन पर कोई ध्यान नहीं देती है। आज राजस्थान की गये १६ वर्षों के अन्दर १६ करोड़ की आमदनी से ९६ करोड़ की आमदनी हो चुकी। मैं नहीं कहता कि यह सारा अनुचित है। यह तो मत-मतान्तर प्रश्न है। न कोई प्रोपेगेण्डा स्टण्ट के रूप से, कोई सस्ती सौदागरी के रूप से सदन के समक्ष मैं यह रखना चाहूंगा, किन्तु मैं यह परमावश्यक समझता हूँ कि राज्य कर्मचारियों को संतुष्ट रखा जाय। वह राज्य कर्मचारियों को संतुष्ट किस तरह से रख सकते हैं जब कि इतना टैक्स लगा देते हैं कि जिसके द्वारा इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि उसी के फलस्वरूप उत्पादन कम हुआ है। यह आपकी खामी की नीतियां हैं। इनके ऊपर आप गम्भीरता पूर्वक विचार करें। आप आंखें मींच कर और सरकारी कर्मचारियों की तादाद अगर बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर अहितकर और अदूरदर्शिता की कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ सकती।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बारबार आपको कहा गया है कि आप मितव्ययता की ओर ध्यान दें। आपकी जो बकायत हैं उनके सम्बन्ध में आप ध्यान दें, और जैसा कि माननीय प्रस्तावक ने यह कहा कि अगर विरोधी पक्ष की बातों को आप मानें तो मेरे ख्याल में इस बजट के अन्दर आसानी से कम से कम ५ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, किन्तु आप वह नहीं करेंगे। मैं यह समझता हूं और मैं इस बात के हक में भी नहीं हो सकता कि बड़े कर्मचारियों का मंहगवारी भत्ता नहीं बढ़ाया जाय। बड़े कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय, लेकिन उसके साथ साथ गरीब और छोटे कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाना और भी अत्यन्त आवश्यक है।

अगर आप छोटे कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं रख सकते, तो, मेरे ख्याल में यह शासन भी नहीं चल सकता। इसलिए यह परमावश्यक है कि आप कर्मचारियों को संतुष्ट रखें। अगर आप कर्मचारियों को संतुष्ट रखेंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशियेन्ट होगा, आपकी प्रशासन-व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। यह ढिल्लंगी और यह रेड टेपिज्म कर्मचारियों में हतोत्साह उत्पन्न करती है। उसी के फलस्वरूप यह सब बातें हुई हैं। पंचायतों के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि पंचायतों में इतना अंधाधुन्ध खर्चा बढ़ा दिया कि जिसकी हद नहीं। दूसरे राज्यों के अनुपात में अगर इस व्यवस्था में कमी करेंगे तो मैं यह स्पष्टतया निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपकी यह जो पेनीवाइज़ और पौंड फुलिश पॉलिसी है वह आपको धीरे धीरे बिल्कुल एक खाई के अन्दर गिरा रही है, और मैं यह कहूंगा कि this Goverment is penny wise and pound foolish. आपको यह चाहिये कि कि पेनीवाइज़ और पौंड फुलिश की पॉलिसी को छोड़कर अगर तादाद जो कर्मचारियों की है उसको कम करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जितने कर्मचारी आप रखें उनको आप सन्तुष्ट नहीं रखेंगे तो आप मेरे ख्याल में एक गवर्नमेंट की संज्ञा में नहीं आ सकते। आप एक रद्दी, थर्ड क्लास सरकार भी नहीं कहला सकते। आप मेरे ख्याल में एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें किंकर्तव्यविमूढ आप ही नहीं हो रहे हैं, किन्तु सारे राजस्थान के समाज को आप बेईमान बना रहे है—यथा राजा तथा प्रजा।

अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी थे, उनका plain living and high thinking सादगी का जीवन उनका सिद्धान्त था। वे थर्डक्लास के अन्दर घूमते थे और गरीब से गरीब तबके के लोगों के साथ वह अपने जीवन को इस तरह ढाल करके सारे जगत को बताते थे कि वे गरीब, हरिजन आदिवासियों के सन्निकट हैं। आपके मन्त्री आज इस सिद्धान्त से, दुःख के साथ कहना पड़ेगा, सौ कोस परे जा चुके हैं, सौ कोस परे और आप धरती के ऊपर नहीं हैं; तीसरे आसमान के ऊपर मेरे ख्याल से कूद रहे हैं। और आपको पता नहीं यह कूद छलांग आपको कहां ले जाएगी; मैंने कहा, फिर मैं दोहराता हूं, कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का मैं विरोध नहीं करता, आप आई. ए. एस. और परमानेन्ट कर्मचारियों को सेटिस्फाइड रखिये, बड़े कर्मचारियों को सेटिस्फाई रखिये मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कहूँगा कि राजस्थान में अकाल है, राजस्थान के लोग भूखे मर रहे हैं। राजस्थान में भूखमरी, मंहगाई और भ्रष्टाचार है इसके उपरान्त भी मन्त्रियों का क्या हो रहा है ? आप मन्त्रियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने अभी बताया ११०००)रु० डी. ए. के लेते हैं....

एक माननीय सदस्य : १६००० रु.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसे उदाहरण है, १६००० रु. आप डी. ए. के लेते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है हल्की छींटाकशी और व्यक्तिगत आरोपों में मैं विश्वास नहीं रखता। ऐसे उदाहरण हैं वेतन से मंहगाई भत्ता बढ़ गया। यदि शासन में आटे में लूण के माफिक भ्रष्टाचार हो तो चल सकता है, जहां शासन है वहां भ्रष्टाचार अनिवार्य है लेकिन आज क्या देखते है कि आटे और लूण की मिकदर एक हो रही है; "अंधेर नगरी, बेबूझ राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा" ऐसा हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सामने राज्यपाल महोदय के मुंह से राजस्थान की केबिनेट ने कहलवा दिया कि हम उपभोक्ता भण्डार की व्यवस्था करेंगे बल्कि लूला-लंगड़ा एक आपने स्टेटमेंट लाकर राज्यपाल के भाषण में आपने यह एलान किया। अरे कुछ तो इस व्यवस्था का अंदाज तो दीजिए। आप ही की तरफ के एक माननीय सदस्य ने कहा था यह अदुरदर्शिता की पराकाष्टा है. These are not the ways of good Government सरकार यह उपभोक्ता भण्डार सुचारू रूप से नहीं चला सकती। और यदि आपको चलाना है तो आप एक्सपेरिमेन्टलबेसिस पर चलावें मैंने यह कहा था कि किसी भी राज्य में उपभोक्ता भण्डार हों तो तलाश करिये और देखिये कि वहां पर क्या व्यवस्था है, ठीक तरह से चलते हैं या नहीं। नहीं तो चीप ग्रेन शोप के माफिक यह कह दिया कि सस्ता अनाज बेचेंगे, वहां मैनेजर कायम हो गया, तकड़ियें कायम हो गई, चपरासी कायम हो गये और धान के नाम से एक कण नहीं, यह आपकी व्यवस्था है।

उपभोक्ता भण्डार एक हद तक आप जयपुर में चलाइये, आपकी निगाह के नीचे चलाइये और देखिए कि किस तरह चलते हैं। ठीक तरह से चलते हैं तो जोधपुर और उदयपुर में भी चलाइये। लेकिन कहां डूंगरपुर कहां भोमट और कहां और जैसलमेर, कहां उपभोक्ता भण्डार जैसा कि जनसंघ के नेता ने कहा मेरे ख्याल से कर्मचारी ऐसे मूर्ख होंगे नहीं, काहेको परेशान होकर उपभोक्ता भंडार से फायदा उठाने जायेंगे।

आपको जो कुछ व्यवस्था है सोच समझ कर करनी चाहिये। और मैं यह तो नहीं कहता कि आप एक दम आपके कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर करें, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, मैं तो आपका अच्छा काम होगा तो विरोधी पक्ष के नाते भी स्वागत करूंगा। मैं तो "Two and two four", दो और दो चार ही कहूंगा, आप कहेंगे कि दो एंड दो तीन होते हैं या दो और दो पांच होते हैं तो मैं कहूंगा हर्गिज नहीं होंगे। यदि इस समस्या का हल निकालता है तो गरीब और छोटे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दीजिये, अवश्य दीजिये, कितना दीजिये, यह नहीं कहता। मैं यह भी कहता हूं कि cut

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

the coat according the clo h. आपको हैसियत के अनुसार दीजिये। यदि केन्द्रीय सरकार जो मंहगाई भत्ता देती है उस अनुपात से आप छोटे कर्मचारियों को नहीं दे सकें तो भी जैसा कि आपके ही तरफ के एक सदस्य ने अनुभव करके कहा जो गरीब लोग हैं उनका मंहगाई भत्ता दुगुना कर दीजिये। मेरे ख्याल से सारे सदन की यही इच्छा है और इस पर भी मुख्य मंत्रीजी या मंत्रि-मंडल यह समझे कि हमारी व्यवस्था मंहगाई भत्ते की है वह बिल्कुल ठीक है, कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं, नियंत्रण भंग करते है इसलिये फॉल्स सेन्स ऑफ प्रेस्टिज, इज्जत का प्रश्न बनाकर मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाय तो मेरे ख्याल से इससे बढ़ कर मूर्खता कोई नहीं हो सकती। आपको चाहिए कि कर्मचारियों के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करें, उनकी उचित मांग पूरी करें। यह भी आम बात है कि मंत्री महोदय कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं, अपने घर पर उनकी सेवाओं का उपयोग लेते हैं तो मेरे ख्याल से यह व्यवस्था बहुत बुरी है। और मैं आपको कि यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो यह एक तरह की ऐसी हठधर्मी है, चांटा मारना और देना कुछ नहीं, यह कोई लोजिक नहीं है, यह कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसके द्वारा शासन सुधर सके। इससे तो दिन ब दिन असंतोष बढ़ेगा और आपकी हालत बदतर होगी। इससे बेहतर यह है कि हमारी बात आप सुनिये, मुस्तिकिल मिजाज के साथ सुनिये और साथ ही साथ छोटे कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करिये।

(कुछ सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है।

कुछ माननीय सदस्य : (एक साथ) बढ़ाया जाय।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : समय बढ़ाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव आज के सदन के सामने राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ाने के बाबत आया। मैं सोचती हूं कि २६ फरवरी, ६६ से जब से यह सत्र चल रहा है इस बीच में आनेवाले कितने ही अहम मसलों में यह भी एक मसला है जिसको हम अहम मानते हैं। राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में कई सुझाव आपके सामने आये इस लिये सब बातों में जाना और दोहराना उचित नहीं होगा। एक बात का स्पष्टीकरण मैं करना चाहती हूं; अभी विरोधी दल के नेता महोदय ने एक बात कही कि चाहे आप राज्य कर्मचारियों में कमी कर दीजिये, बात उनकी बहुत सही है लेकिन आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि राज्य कर्मचारियों को कम करदें, उनको सरप्लस नहीं कर सकते। मंहगाई भत्ता भी बढ़ाना होगा और सरप्लस भी नहीं कर सकते। सरप्लस नहीं कर सकते उसका कारण है। कारण यह है कि हमारे यहां १७-१८ साल आज आजादी को कायम हुए हो गये। उसको सफल बनाने और कायम रखने के लिये हमने कई सिद्धान्त अपनाये, योजनाएं अपनाईं, लेकिन हमारी शिक्षा ऐसी है कि जिसके जरिये जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इस शिक्षा से हमने ज्यादा से ज्यादा

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

एल. डी. सी., यू. डी. सी. तैयार किये हैं। पढ़े-लिखे लोगों को नौकरियों की तरफ आकृष्ट किया है। शिक्षा पूरी करने के बाद हर विद्यार्थी नौकरी की तलाश करता है। और सरकार के सामने तो एम्प्लॉयमेन्ट का प्रश्न भी रहा है। मैं सरकार को दोष देना नहीं चाहती, उनका दोष नहीं है। उन्होंने कोशिश नहीं की हो, यह बात नहीं है लेकिन कोशिश के बावजूद भी सफल नहीं हो सकी। यह भी हमारे सामने है कि एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा अधिक से अधिक नौकरियां दी गई।

इसके साथ साथ यह भी कहना पड़ेगा कि भगवान न करे कल पाकिस्तान हमारे पर हमला कर दे तो निश्चित तौर से हमको आर्थिक संकट, और सीमा की सुरक्षा के संकट को दूर करने में लगना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो हमारी सारी शक्ति, आर्थिक शक्ति सीमा पर लगानी पड़ी तो न जाने कितने बड़े बड़े विभाग बंद कर देने पड़े। यदि वह समस्या हमारे सामने बाद में आती है तो राज्य कर्मचारियों की आर्थिक शक्ति, राज्य कर्मचारियों की बौद्धिक शक्ति और राज्य कर्मचारियों की शारीरिक शक्ति को कायम रखने के लिए अगर कुछ काम कम करने पड़ते हों तो उन्हें कम कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। सरकार आज करे, सरकार कल करे, सरकार कल से आगे आने वाले दिनों में इस पर विचार करे लेकिन उसे यह करना पड़ेगा। और करना इसलिए पड़ेगा कि राज्य सेवा के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जो राज्य सेवा के एल. डी. सी. और यू. डी. सी. की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन राज्य कर्मचारियों को देखकर इनकी आर्थिक स्थिति के अन्दर कुछ अभाव खटकता है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति का अन्दाज सिर्फ उन्हें देखकर ही नहीं लगाया जा सकता है, इसका अन्दाज यदि करना है तो उनके घर की स्थिति को देखना पड़ेगा ...

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो गया है....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of order,

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए....

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो फिर वही बात हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५ बज कर २ मिनट पर शनिवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ का उत्तर देखिये)

कोटा स्ट्रॉ बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड,
मैन्यूफेक्चर्स ऑफ क्वालिटी स्ट्रॉ बोर्डस्

रेफ : १३४४४

गुमानपुरा,
कोटा, १६–१२–६५

नोटिस अन्तर्गत धारा २५ एफ एफ एफ
औद्योगिक विवाद अधिनियम

अत्यंत खेद के साथ आपको (कोटा स्ट्रॉ बोर्डस् (प्राइवेट) लिमिटेड में काम करने वाले श्रमिकों को) सूचित किया जाता है कि मिल का समस्त कार्य आज से एक माह बाद अर्थात् दिनांक [illegible] जनवरी, १९६६ से बन्द किया जावेगा, अतः यह क्लोजर (मिल बन्दी) का नोटिस एक माह की अवधि का उक्त धारा २५ एफ एफ एफ के तहत दिया जा रहा है। और नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाता है।

उक्त धारा के तहत जो Compensation (मुआवजा) कानूनन बताया गया है, वह नियमानुसार दिया जावेगा।

ह० सुरेन्द्रदास भाण्डुला
फैक्ट्री मैनेजर
कोटा स्ट्रॉ बोर्ड (प्राइवेट) लि०

सूचनार्थ

१) श्रम एवं समझौता अधिकारी, कोटा
२) श्री असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर, कोटा रीजन, कोटा।
३) श्री लेबर कमिश्नर राजस्थान, जयपुर।
४) श्री सेक्रेट्री, लेबर डिपार्टमेन्ट, राजस्थान सरकार, जयपुर।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	शीर्ष पंक्ति	[संख्या ३६	[संख्या ३१
,,	१०	सिचाई विभाग	सिचाई-विभाग
,,	अंतिम से ६	(पाटन):	(पाटन) ।
२	शीर्षक	[संख्या ३६	[संख्या ३१
,,	४	(छावड़ा)	(छवड़ा)
,,	१३	हुई, ?	हुई ?
४	११	नहीं	नहीं
५	७	आने	आने पर
७	अंतिम से ११	बिसरा	विसरा
,,	,, २	मैं	में
९	शीर्ष	—	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
१०	१	श्री मैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	६	इम्पोंटन्ट	इम्पोंटेन्ट
११	८	—	६५९
१२	१३	श्रम	श्रम
१३	शीर्ष	(श्री भीखाभाई)	———
,,	१०	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
,,	अंतिम से ९	मीटिंग	मीटिंग
१४	१४	है हो । सकता	है । हो सकता
,,	अंतिम से २	(डे गाना) ।	(डेगाना) :
१५	,, ९	आचार्य	आचार्य :
१७	२	श्री रावतराम : (सादुलपुर)	श्री रावतराम (सादूलपुर)
,,	३	गया]	गया] :
,,	५	करेंगे ।	करेंगे:-
,,	१२	हुआ	हुआ
,,	अंतिम से ९	श्री दौलत--	(श्री दौलत
१९	३	श्री निरंजननाथ आचार्य :	उप-मंत्री शिक्षा(श्री निरंजननाथ आचार्य) :

१	२	३	४
१९	४	(डेगना)	(डेगाना)
"	अंतिम से ३	श्री रामप्रसाद लंड्ढा	(श्री रामप्रसाद लड्ढा) :
२२	४	Bag	Beg
"	१६	(अकलेरा-मु.	(अकेलरा-मु०)
२४	७	पूर्व	पूर्व
"	अंतिम से ११	सम्बध	सम्बन्ध
२५	शीर्ष	(श्री भीमसेन)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
"	९	वना ो	बनाने
"	१३	श्री भीमसे ।	श्री भीमसेन
२६	१०	(निरंजननाथ आचार्य :	(श्री निरंजननाथ आचार्य) :
"	अंतिम से ७	श्री हरीप्रसाद	श्री हरिप्रसाद
"	" २	तापगढ़,	प्रतापगढ़,
२७	१७	जयपुर)	जयपुर) :
"	१९	ती	तो
"	अंतिम से ५	सम्ब ध	सम्बन्ध
"	" ३	खीलने	खोलने
२८	१	श्री निरंजननाथ	निरंजननाथ
२९	१	श्री स ीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
"	३	(छावड़ा)	(छबड़ा)
"	५	श्री स ीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
"	१४	श्री अध क्ष	श्री अध्यक्ष
"	१५	कृपया	कृपया
"	१८	श्री सांवलियाराग	श्री सांवलियाराम
"	अंतिम से ५	(२	(२)
३०	४	उस्लब्धि	उपलब्धि
"	१३-१४	उपल ध	उपलब्ध
"	१८	फाकट म	फोकट में
"	अंतिम से ६	म	में
३१	५	श्री जयनरायण	श्री जयनारायण
"	८	राजस्यान	राजस्थान
"	१५	लड्ढा :	लड्ढा) :
"	"	मन्त्रियों	मन्त्रियों

१	२	३	४
३१	अंतिम से ७	उपल ध	उपलब्ध
,,	,, ५	करें े	करेंगे
,,	,, ३	(हिन्डोन मु.)	(हिन्डौन-मु०)
३२	३	नाजस्थान	राजस्थान
,,	४	ज न री	जनवरी
,,	५	दिस्म्वर	दिसम्बर
,,	६	दौरों	दौरों
,,	अंतिम से ७	जन	जिन
३३	,, ४	जो	जो
,,	,, ३	जत्तर	उत्तर
३४	१०	उपलब्ध	उपलब्ध
,,	अंतिम से २	श्री भीमसिंहजी	श्री भीमसिंहजी
३६	५	—	६७२.
,,	१४	किया	लिया
३७	३	(लूणकरणशर)	लूणकरणसर
,,	७	लूप्करणसर	लूणकरणसर
,,	११,१७, व १६	साधारण	संधारण
,,	अंतिम से ३	श्रा	श्री
३८	१६	सेक्शन	सेंक्शन
३६	६	लड्डढा	लड्ढा
,,	अंतिम से ७	क्लेक्टर	कलेक्टर
४०	२	,,	,,
,,	११	मे ो	मेयो
,,	१२	—	६७५.
४१	७	-४	-६४
४२	१	श्री निरंज नाथ	श्री निरंजननाथ
,,	१४	से फाइनेन्स सेंक्शन	फाइनेन्स से सेंक्शन
,,	अंतिम से ६	श्री निरंजमनाथ	श्री निरंजननाथ
४३	,, ४	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिह
४५	२	स्यिति	स्थिति

१	२	३	४
४६	अंतिम से ६	छट्टी	छुट्टी
४७	११	विल्डिक	विल्डिग
,,	अंतिम से ६	थो	थी
४८	१३	श्री निरंजनाथ	श्री निरंजननाथ
,,	अंतिम से २	की तो बात	की बात
५०	३	समम	समय
,,	,,	मूमिकी	भूमि
५१	१४ व १५ के वीच में	२	
५४	अंतिम से १५	शर्दी	सर्दी
,,	,, ३	इसको	इसकी
५५	१४	मतोजे	मतीजे
५६	२	विरोधि	विरोधी
,,	५	छट्टी	छुट्टी
५७	अंतिम से ८	करवा	करवा
५८	४	हुक्मसिह	हुकर्मसिह
,,	अंतिम से ३	उनमें में	उनमें से
६०	८	माननीम	माननीय
६१	अंतिम से २	उनको	उनकी
६२	,, १३	चौहान—	चौहान (गिरवा)
६८	१	थ ी	थी
,,	६	डिस्कीडिमिनेशन	डिस्कीमिनेशन
७०	५	सरकार	सरदार
,,	,,	माण्ड	कमाण्ड
,,	१३	मुर बाबन्दी	मुरब्बाबन्दी
७१	२	ग्यक्तियीं	व्यक्तियों
७२	६	ध्यक्तियों	व्यक्तियों
,,	१०,१६ व २१	पत्नि	पत्नी
७३	४	परिवनित	परिवर्तित
७४	१	दरख्वास्तें	दरख्वास्तों
७५	१५	(१	(१)

१	२	३	४
७५	१६	झालावाड़)	झालावाँड़
७६	११	ट्राइज़	ट्राइब्ज़
,,	अंतिम से ६	,,	,,
७७	१	नियक्तियां	नियुक्तियाँ
,,	५	बं रह	बारहं
,,	८	नियुतियां	नियुक्तियां
,,	१४	मैंन	मैंने
,,	१९	हं	है
७९	३	मौर	श्रौर
,,	अंतिम से १६	श्री अ दुल जबार	श्री अब्दुल जब्बार
	,, १४	इन्डट्री	इन्डस्ट्री
,,	,, १	◌काएक	एकाएक
,,	,, १	दीया	दिया
८०	३	टैकनीक्ल	टैक्निकल
,,	अंतिम से २	टेकनिक्ल	,,
८१	शीर्ष	(श्री अदुल जब्बार)	(श्री अब्दुल जब्बार)
,,	अंतिम से १४	नंत्री	मंत्री
८२	११	कमी	कमी
,,	अंतिम से १०	डिस्केशन	डिस्कशन
,,	,,	औं	आप
८३	११	हिग्दुस्तानं	हिन्दुस्तान
,,	२२	कारिजोल्यूशन	का रिज़ोल्यूशन
,,	अंतिम से ११	हैं	हों
८४	१	दुवारा	दुबारा
,,	१५	श्री हरीराम	श्री हरिराम
,,	,,	मह व	महत्व
८५	४	को तो	कि
,,	१४	राज तिक	राजनैतिक
८६	८	बह गोई	बहनोई
८७	८	फे	को
,,	१०	दस्खतों	दस्तखतों

(६)

१	२	३	४
८७	अंतिम से २	प्रस्ता	प्रस्ताव
,,	,, १	निष्काशित	निष्कासित
८८	३	अनेल	अप्रेल
,,	१५	अ त	अन्त
,,	अंतिम से १२	दिजिये	दीजिये
९०	११	श्रोर	श्रोर
९२	१७	मपोदम	महोदय
,,	२०	तमर्थन	समर्थन
,,	अन्तिम	दहुत	वहुत
९३	२	कनेटा	कमेटी
,,	३	फो	को
,,	अन्तिम से ८	नाग	नाम
९४	शीर्षक	ि ष्कासित	निष्कासित
,,	१७	श्रोर	श्रौर
९५	अंतिम से ६	दिवेदन	निवेदन
९७	शीर्ष	लउढा)	लड्ढा)
१००	६	मुप्रीमकोर्ट	सुप्रीमकोर्ट
१०१	शीर्षक	नजरबिन्यों	नजरबंदियों
१०२	अंतिम से ६	रहै	रहे
१०३	१, २ व ३	उपज वैधकरण उपबन्ध विधेयक १९६६ । (पुरः स्थापना)	उपज निपणि (वैधकरण उपवन्ध) विधेयक, १९६६ (पुरः स्थापन)
,,	अंतिम से १०	इलक्ट्रिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी
२०४	११	वपयक	विषयक
१०५	अंतिम से १२	इम्र्पोटेंट	इम्पोर्टेन्ट
,,	,, २	इम्पों टन्स	इम्पोर्टेंस
१०६	,, ६	उदव	उदय
१०७	३	हो	हैं
,,	१८	इमारे	हमारे
,,	अंतिम से १२	अध्यपिकाए	अध्यापिकाएं
१०८	१२	माना	माने
११०	६	को	के

१	२	३	४
११०	१४	वेचा	बेचा
,,	अंतिम से ७	चूड़ावत	चूंडावत
,,	,, २	राजस्थाती	राजस्थानी
१११	१३	हसारे	हमारे
११२	१	दिया जाना	दिया जाता
,,	अंतिम से ८	जब तक	तब तक
११७	,, १५	बैठत	बैठते
,,	,, ७	जवोंगे	जावेंगे
१२१	८	ड० यू.	डब्ल्यू.
१२२	३	फमिन	फेमिन
१२६	६	सहानभूति	सहानुभूति
१३१	८	कॉम्पटीटिव	कॉम्पीटीटिव
,,	अंतिम से ७	व ास	व्यास
१३२	६	वीच	बीच
१३७	६	पसस्द	पसन्द
,,	अंतिम से ६	मजदूरी	मजदूरी
१३६	४	कॉन्ट्रैक्टर्स	कॉन्ट्रैक्टर्स
१४१	४	अस मानता	असमानता
,,	अंतिम से २	जाथ	जाय
१४६	शोषंक	स ा ी	स्त्री
,,	१	लाग	लोग
१५०	शीर्षक	म ादूरी	मजदूरी
१५३	७	व्ययस्था	व्यवस्था
१५४	१२	प्रस्ताब	प्रस्ताव
,,	,,	के ऊपर	में
१५५	शीर्ष	(अ	(श्री
१५६	अंतिम से ८	ससकार	सरकार
,,	,, १	काइस	का
१६१–१६२	शीर्षक	राहत कार्यों में मजदूरी–८ अप्रेल, ६६–राज्य कर्मचारियों संबंधी अ० संकल्प	राहत कार्यों में स्त्री-पु. को–८ अप्रेल, ६६–समान मजदूरी संबंधी अ. संकल्प

१	२	३	४
१६१	अन्तिम से ७	निषेदन	निवेदन
१६३	७	विषकय	विषयक
१६४	अंतिम से ७	श्री सती चन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१६६	„ ७ व १०	कॉन्टिट्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
१६७	„ ३	संरी	सारी
१६८	३	मसक्कद	मशक्कत
„	अंतिम से ५	हकूमत	हुकूमत
१७५	११	विंश्वासघात	विश्वासघात
१७७	१४	कह रही	कर रही
१८१	अन्तिम से १५	का	की
„	„ २	एस्टेबिलमेंट	एस्टेब्लिशमेंट
१८२	१६	यचेरमैन	चेयरमैन
„	१९	॰ डरों	भंडारों
१८३	७	हकूमत	हुकूमत
१८७	अंतिम से ३	सुविधमिल	सुविधा मिल
१८८	१४	व्यावस्था	व्यवस्था
„	१७	हे	है
„	अंतिम से ३	की	कि
१९०	१०	इडेक्स	इन्डेक्स
„	१२	सेक्रेटेरिदट	सेक्रेटेरियेट
१९१	अन्तिम से ७–६	इसलए	इसलिए
१९३	३	सालका	साल का
„	१७	तोड़े दें ?	तोड़ दें ?
१९४	३ व ५	निश्चत	निश्चित
„	अंतिम	सर्टिफीकेट	सर्टिफिकेट
१९५	१५–१६	„	„
२००	अंतिम से २	छड़ाते	छुड़ाते
„	„ १	ड़ाती	छुड़ाती
„	„ १	छुकारण	कुछ कारण
२०१	११	डिक्सेअर	डिक्लेअर
२०४	अंतिम से ५	पत्तियों	पत्नियों

[illegible]	२	३	४
[illegible]	अन्तिम से ११.	न्सिस्यिरली	सिन्सियरली
[illegible]	३	रहै	रहे
[illegible]	अंतिम से २	श्री मा धातासिंह	श्री मानधातासिंह
[illegible] २३४	शीर्षक	राहत कार्यों में स्त्री पु० को–८ अप्रेल, ६६– समान मजदूरी संबंधी अ० संकल्प	राज्य कर्मचारियों के मंहगाई –८ अप्रेल, ६६–भत्ते संबंधी अशासकीय संकल्प
[illegible]	१४	मंहगाई	मंहगाई
[illegible]	अंतिम	कया	क्या
[illegible]	११	बत	बात
[illegible]	अंतिम से ४	देश के अन्दर	—
[illegible]२०	१	। सड़क	सड़क
[illegible]	१	बजट	बजट का
,,	३	चं	खर्च
२३०	अंतिम से ४	निकालता है,	निकालना है
२३१	१	he	the
,,	२	आपको	आपकी
२३३	१६	सरक्षा	सुरक्षा
२३५	८	अलंत	अत्यन्त
,,	अंतिम	सेकेट्री	सेक्रेट्री